लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XXIX contains 51-62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 57 —शुक्रवार, 9 मई, 1969/19 वैशाख, 1891 (शक)

No.—57 Friday, May 9, 1969/Vaisakha 19, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता॰ प्र॰ संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1591.	कर्मचारी प्रबन्ध के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C.'s Recommendations on Personnel Administration	1—3
1592.	महानगरों में परिवहन का विकास	Development of transport in Metropolitan Cities	3—8
1593.	केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध जांच	C. B. I. Enquiry against Officers	8—11
1594.	चुनाव अभियानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रियों की सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं के लिए प्रयोग किया गया सरकारी धन	Public Funds Utilized for Security and other Facilities to Central Ministers in connection with Poll campaigns	11—15
1595.	आदिवासियों और हरिजनों को ईसाई बनाना	Canversion of Adivasis and Harijans	15—16

अल्प-सूचना प्रश्न

23.	भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति डा॰ जाकिर हुसैन की मृत्यु के समाचार के प्रसारण में आकाशवाणी द्वारा विलम्ब	Late Broadcast of News about the passing away of Dr. Zakir Husain, Late President of India by A.I.R.	16—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर ता० प्र० सं०	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
1596.	कुतुब मीनार, दिल्ली	Qutab Minar, Delhi	19—20
1597.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का विकास	Development of Andaman and Nicobar Island	20
1598.	राजनीतिक पीड़ितों को सहायता	Assistance to Political Sufferers	20
1599.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सचिव के विरुद्ध जांच	Enquiry against Secretary of Indian Council for Cultural Relation	21
1600.	बहु विवाह	Polygamy	21
1601.	दिल्ली रेलवे यार्ड में साइकल के टायरों की चोरी	Theft of cycle tyres at Delhi Railway Yard	21—22
1602.	भारतीय पर्यटन विकास निगम, अशोक होटल तथा जनपथ होटल के अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Chairman of India Tourism Development Corporation, Ashoka Hotels and Janpath Hotels	22
1603.	ओलम्पिक खेलें	Olympic Games	22
1604.	राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग	Use of Regional Languages for Education by States	23
1605.	दिल्ली प्रशासन तथा गृह कार्य मंत्रालय के बीच मतभेद	Differences between Delhi Administration and Ministry of Home Affairs	23—24
1606.	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	National Research Development Corporation of India	24
1607.	विदेशी सहयोग से चलाये जा रहे होटल	Hotels run with Foreign Collaboration	24
1608.	दिल्ली विकास योजनाओं के लिए धन	Funds for Delhi Development Schemes	24—25
1609.	प्रसिद्ध लेखकों की कृतियों का जाली प्रकाशन	Forged publication of works of Eminent writers	25
1610.	संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गये मामले	Cases referred to UPSC	25

ता० प्र० संख्या विषय S. Q. Nos.	Subject	पृष्ट Pages
1611. पाकिस्तानी एजेन्टों का भाग निकलना	Escape of Pak Agents	25—26
1612. इंडियन एयर लाइंस कार-पोरेशन के पास फालतू विमान न होना	Non-availability of spare Aircraft with IAC	26—27
1613. श्यामलाल कालेज, शाहदरा (दिल्ली)	Shyam Lal College, Shadara (Delhi)	27
1614. विदेशी ईसाई मिशनों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Christian Missions	28
1615. सूरज की गरमी एवं बिजली से चलने वाला पानी का हीटर	Solar cum Electronic water Heater	28—29
1616. भारतीय स्मारक	Indian Monuments	29
1617. बैंगकाक में "इकाफे" की परिवहन तथा संचार समिति का सम्मेलन	Conference of Transport and Communication Committee of ECAFE in Bangkok	29—30
1618. शिव सेना	Shiva Sena	30
1619. पर्यटन के विकास के लिए प्रचार	Publicity for Development of Tourism	30—31
1620. 'बद्रीनाथ' ड्रेजर का आयात	Import of a Dredger 'Badrinath'	31—32

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

8975. असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Over Time Allowance for Employees of Civil Aviation Department	32—33
8976. बम्बई में एक होटल खोलने के लिए सहयोग	Collaboration for a Hotel at Bombay	33—34
8977. भारत में चीनी तथा पाकिस्तानी जासूस	Chinese and Pak Spies in India	34—35
8978. प्लाट मालिकों के संरक्षण के लिए कानून	Legislation to Protect Plot holders	35
8979. इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा वर्दी बदलना	Change of livery by Indian Airlines	35—36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8980.	भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी	Pakistanis working in India	36
8981.	गुजरात राज्य के तटीय राजपथ का निर्माण	Construction of Coastal Highway of Gujarat State	36—37
8982.	तेलंगाना के रक्षा उपायों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श	Supreme Court's Advice Regarding Telengana Safeguards	37
8983.	महानगर परिषद का बजट अनुमानों पर चर्चा करने का अधिकार	Right of Metropolitan Council to discuss Budget Estimates	37
8984.	दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के घाटे का बजट	Deficit Budget of Constituent colleges of Delhi University	38
8985.	दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन	Changes in Examination System of Delhi University	38—39
8986.	शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा कल्याण परियोजनाओं सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्था	National Institute of Education Health, Education and Welfare Projects	39—40
8987.	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकें	Publications Brought out by NCERT	40
8988.	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद	NCERT	40—41
8989.	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग	Department of Curriculum and Evaluation of NCERT	41
8990.	थामस कप में भाग लेने के लिए भारतीय बैडमिन्टन संस्था को विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Foreign Exchange allotment to Badminton Association of India for Participation in Thomas Cup Match	41
8991.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्लि	Regional Engineering College Tiruchirapalli	42

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8992.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 9 का विस्तार	Expansion of National Highway No. 9	42
8993.	पनबर में पाकिस्तान का निष्कासित व्यक्ति शिविर	Pakistan's Deportees' camp at Panbar	42—43
8994.	प्रहलादपुर से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवा	DTU Bus Service from Pehaldpur to Central Secretariat	[illegible]
8995.	विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय स्तर पर दाखिला	Admission in Universities on All India basis	44
8996.	उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रवेश	Admission in Osmania University	44
8997.	विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषायें	Regional Languages as Media of Instructions at University	44—45
8998.	कुवेरी पूमपट्टीणम में खुदाई	Excavation work in Koveri Poompattinam	45—46
8999.	राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रखना	Maintaining CRP in States	46
9000.	दिल्ली में उपकुलपतियों का सम्मेलन	Vice-Chancellors conference in Delhi	46
9001.	नेफा में विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries in NEFA	46
9002.	महाराष्ट्र में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Maharashtra	47
9003.	भारतीय और रूसी मालवाहक जहाज के बीच टक्कर	Collission between an Indian and a Soviet Freighter	47
9004.	दिल्ली में लाटरी	Lotteries in Delhi	47—48
9005.	भारत की सीमा के सूचक द्वीप	Islands Denoting Border of India	48
9006.	सरकारी होटलों में गोमांस का प्रयोग	Use of Beef in Government Hotels	48
9007.	दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली नगर निगम को भंग करने का सुझाव	Suggestion of Lt. Governor of Delhi for Dissolution of DMC	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9008.	कुमारी अन्तरीप 'केप कमोरिन' के नाम में परिवर्तन	Change in Name of Cape Comorin	49
9009.	राष्ट्रपति अय्यूब खां की आत्म कथा की प्रतियां पकड़ने सम्बन्धी मामला	Case regarding Seizure of copies of President Ayub Khan's Autobiography	49
9010.	राष्ट्रीय जैविकी प्रयोगशाला	National Biological Laboratory	50
9011.	पब्लिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें	Text Books in Public Schools	50
9012.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पर मंत्रिमंडल समिति का प्रतिवेदन	Cabinet Committee Report on Aligarh Muslim University Act	51
9013.	पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण	Pak Intrusions into Indian Territory	51
9014.	शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी में कार्य	Work in Hindi in Education Ministry	51—52
9015.	शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी में कार्य	Work in Hindi in Education Ministry	52
9016.	दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Delhi Police Personnel	53
9017.	सरकारी क्षेत्र में होटल	Hotels in Public Sector	53
9018.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा शब्दावली तैयार करना तथा प्रकाशित करना	Preparation and Publication of Terminology by CSTT	54
9019.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा पुस्तकों का मूल्य निर्धारण	Pricing of books by CSTT	54—55
9020.	भारतीय क्षेत्र में द्वीप समूह	Islands in Indian Territory	55
9021.	जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए नामांकन	Nomination to IAS by Jammu and Kashmir Government	55
9022.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की घटनाओं के सम्बन्ध में गिरफ्तारी	Arrest in connection with incidents in BHU	55—56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9023.	प्राथमिक शिक्षा आयोग	Primary Education Commission	56
9024.	पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों का पुनरीक्षण	Revision of Grades and Allowances of Punjab, Haryana and UT of Chandigarh Government Employees	56—57
9025.	पंजाल के जैतू रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर तथा वाटरमैन की हत्या	Murder of Station Master and Waterman at Jaitu Railway Station in Punjab	57
9026.	चंडीगढ़ में धारा 144 का लगाया जाना	Promulgation of section 144 in Chandigarh	57—58
9027.	लक्कदीव में अपराध	Crimes in Laccadives	58
9028.	लक्कदीव द्वीपसमूह में पुलिस के सब-इन्सपेक्टरों की भर्ती	Recruitment of sub-Inspectors of Police in Laccadives	58—59
9029.	भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	National Research Development Corporation of India	59—60
9030.	भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	National Research Development Corporation of India	60
9031.	एक फ्रांसीसी राष्ट्रक की गिरफ्तारी	Arrest of a French National	61
9032.	पाकिस्तानियों द्वारा पशुओं की चोरी	Cattle lifting by Pakistanis	61
9033.	केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनें	Canteens run by Central Government Departments	61—62
9034.	इण्डियन एयर लाइन्स के विमानों में ले जाये गये यात्री	Passengers carried by IAC	62
9035.	विद्रोही नागाओं/मिजोओं द्वारा आत्म-समर्पण	Surrender by Hostile Mizos/Nagas	62
9036.	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सलाह देने में विलम्ब	Delay by UPSC in Tendering Advice	62—63
9037.	क्रांति के नेताओं के आश्रितों को दिये जाने वाले भत्ते	Allowance paid to dependants of Mutiny veterans	63

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9038.	दिल्ली नगर निगम को निर्दिष्ट करों का भुगतान	Payment of Assigned Taxes to DMC	63
9039.	रूस के साथ वैज्ञानिकों/पत्रकारों/लेखकों/चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान	Exchange of Delegation of Scientists/Journalists/Authors/Medical men with USSR	64
9040.	लक्कदीव द्वीपसमूह में वेतनों में विषमतायें	Disparities in Salaries in Laccadives	64
9041.	गणतन्त्र दिवस परेड, 1969	Republic Day Parades, 1969	64—65
9042.	मध्य प्रदेश में डाकुओं के आतंक का मुकाबला करने के लिए वायरलैस सैटों तथा हथियारों की मांग	Demand for Wireless sets and arms to combat Dacoit Menace in Madhya Pradesh	65
9043.	पंजाब में हिन्दी भाषा भाषी अल्प-संख्यकों के अधिकार	Rights of Hindi Speaking Minorities in Punjab	65
9044.	पंजाब में भाषायी अल्प-संख्यकों के अधिकार	Rights of Linguistic Minorities in Punjab	65—66
9045.	परिवहन तथा संचार संबंधी समिति	Transport and Communication Committee	66—67
9046.	भटिंडा में जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of spies in Bhatinda	67
9047.	नेफा मुख्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of NEFA Headquarters	67—68
9048.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विभागीय कार्यवाही के लिए भेजे गये मामले	Cases Forwarded by CBI for Departmental Action	68
9049.	सीमा विवाद को हल करने के लिए महाराष्ट्र तथा मैसूर के मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Maharashtra and Mysore Chief Ministers Convened to resolve Border Dispute	69
9050.	दिल्ली में मोटर गाड़ियों की चोरियां	Theft of vehicles in Delhi	69
9051.	जीरा नदी पर पुल	Bridge over River Jira	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9052.	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of Central Government Officers	70
9053.	उर्दू के लिए पाठ्य पुस्तक समिति	Text Book Committee for Urdu	70—71
9054.	अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए परमिट	Permits for Inter-State Routes	71
9055.	हवाई अड्डों पर सुविधा देने सम्बन्धी प्रक्रिया	Facilitation procedures at Airports	71—72
9056.	शिक्षा में परिवर्तन तथा युवा पीढ़ी	Change in Education and Young Generation	72—73
9057.	राज्यपालों को बदलने के लिए मांग	Demand for change of Governors	73
9058.	लमलोंग के निकट विद्रोही नागाओ के साथ मुठभेड़	Encounter with Rebel Nagas near Lamlong	73—74
9059.	परीक्षा में वर्तमान पद्धति में परिवर्तन	Changes in present system of Exa mination	74
9060.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने की अधिकतम आयु सीमा	Maximum age limit for apprearing in the UPSC Examination	74—75
9061.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित भूमि का वापस देना	Release of land acquired by Aligarh Muslim University	75
9062.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इजीनियरी अनुसंधान संस्था	Central Public Health Engineering Research Instituse in Madhya Pradesh	75—76
9063.	मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यक्रम	Road Construction programme in Madhya Pradesh	76
9064.	मध्य प्रदेश में डाकुओं से पीड़ित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार की धन के लिए मांग	Demand of funds by M. P. Government for Economic Development of Dacoit infested Areas of Madhya Pradesh	77
9065.	भारत के व्यापार के लिए आधुनिक वाणिज्यिक जहाज	Modern Merchant Vessels for India's Trade	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9066.	उपाध्याय की हत्या की जांच	Upadhyaya Murder Enquiry	77—78
9067.	दिल्ली में विद्यार्थियों को छुरे मारना	Stabbing of students in Delhi	78
9068.	हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ओर चंडीगढ़ के बीच कर्मचारियों का बंटवारा	Allocation of staff between Himachal Pradesh, Haryana' Punjab and Chandigarh	78—79
9069.	पालम हवाई अड्डे पर टेंडर मांगे बिना दुकानों का आवंटन	Allotment of shops at Palam Airport without inviting tenders	79
9070.	कलकत्ता पत्तन-न्यास के अधिकारियों का घेराव	Gherao of Calcutta Port Trust Officials	79—80
9071	अल्प-संख्यकों के हितों की देखभाल के लि विभाग	Department to look after Minorities interests	80
9079.	मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा (बिहार)	Mithila University, Darbhanga (Bihar)	80—81
9073.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सरकारी कर्मचारियों को आयु में रियायत	Age concession to Government Employees in NPSC Examination	81
9074.	राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें तथा पुल	Roads and Bridges in Border Areas of Rajasthan	81—82
9075.	सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के निलम्बित कर्मचारी	Staff of Ministry of Education and Youth Services suspended for participating in September, 1968 strike	82
9076.	दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के निवास स्थानों पर टेलीफोन	Telephones at the Residences of officers of Delhi Administration	82—83
9077.	काशी विद्यापीठ, वाराणसी की अध्यापक परिषद द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Teachers Council, Kashi Vidyapeeth, Varanasi	83
9078.	काशी विद्यापीठ, वाराणसी	Kashi Vidynpeeth, Varansi	84
9079.	काशी विद्यापीठ, वाराणसी का बजट	Budget of Kashi Vidyapeeth, Varanasi	84—85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9080.	एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में कार्य करने के लिए शक्तियाँ देना	Powers conferred on police of one State to Function in another State	85
9081.	अखिल भारतीय सेवाओं को बनाया जाना	Creation of All India Services	85—86
‘082.	नई दिल्ली में संसद सदस्यों के घर में चोरी	Theft in M.P.'s House in New Delhi	86—87
9083.	हरियाणा में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak spies in Haryana	87
9084.	युवकों की गतिविधियों के लिए कार्यक्रम सूचियां	List of Programmes for Youth Activities	87—88
9085.	मारमागाओ पत्तन पर माल चढ़ाने की कम दरें	Low Rate of Loading at Mormugao Port	88
9086.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees	88—89
9087.	कांडला पत्तन पर रात्रि नौगम्यता	Night Navigation at Kandla Port	89
9088.	दिल्ली प्रशासन के कार्य संचालन में तथाकथित हस्तक्षेप	Alleged interference in the working of Delhi Administration	89—90
9089.	अमरीका संग्रहालय को भारतीय कलाकृतियों की सप्लाई	Supply of Indian Art pieces to US Museum	90
9090.	'राकेट' अनुसंधान तथा अन्तरिक्ष इंजीनियर स्नातकोत्तर अध्ययन	Rocket Research and Space Engineering Post-Graduate studies	90
9091.	नक्सलवादियों का समर्थन करने वाले समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against newspapers supporting Naxalite activities	91
9092.	कलकत्ता-गोहाटी मार्ग पर वाइकाउन्ट विमान की दुर्घटना की जांच का प्रतिवेदन	Report of Enquiry into Accident involving viscount Aircraft on Calcutta-Gauhati Route	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9093.	केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference on Centre-State Relations	92
9094.	ड्राइवरों में अन्धापन	Blindness among drivers	92
9095.	अमरीका के इन्डो-बर्मा पायनीयर मिशन की गतिविधियां	Activities of Indo-Burma Pioneer Mission of America	92—93
9096.	संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग	Union Territories IAS/IPS Cadres	93
9097.	सर्कस कलाकारों की दुर्घटनायें	Accident among Circus Artists	93—94
9098.	जम्मू और काश्मीर राज्य के सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान का गाया जाना	Plying of National Anthem in Cinema Houses in Jammu and Kashmir	94
9099.	पुलिस सुपरिन्टेंडेन्टों का हरियाणा के बाहर हस्तांतरण	Transfer of Superintendents of Police out of Haryana	94—95
9100.	सरकारी कर्मचारियों को व्यापारिक फर्मों में अपने पुत्रों को रोजगार दिलाने के लिए प्रभाव का प्रयोग करने से रोकना	Prohibiting Government Employees from Using Influence to seek Employment in Commercial Firms for their Sons	95
9101	अखिल भारतीय सेवायें बनाना	Creation of All India Services	95—96
9102.	मनीपुर विधान सभा द्वारा पारित विधेयक	Bills passed by Manipur Assembly	96
9103.	केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में राजनैतिक दलों का अखिल भारतीय सम्मेलन	All India Conference of Political Parties on Centre-State Relations	96—97
9104.	भारत में स्त्री शिक्षा	Female Education in India	97
9105.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8-क के लिये रन के ऊपर पुल	Bridge across the Rann for National Highway No. 8A	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9106.	राजस्थान में भारत और पाकिस्तान की दुहरी नागरिकता धारण किये मुसलमान	Muslim in Rajasthan Holding Double Citizenship of India and Pakistan	98—99
9107.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययनार्थ छात्रवृत्तियां	Awards of Overseas Scholarships to Students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes	99
9108.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययनार्थ यात्रा अनुदान	Award of passage Grant to overseas students of scheduled castes and scheduled tribes and backward classes	99—100
9109.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की महिलाओं में शिक्षा प्रसार के लिए सहायता	Assistance for promotion of education among women belonging to scheduled castes and schenuled tribes	100—101
9110.	केरल में आँतकवादियों को चीन द्वारा धन दिया जाना	Chinese Financing Kerala Terrorists	101
9111.	विदेशों के विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्षों के पदों पर भारतीय	Indians holding Faculty Positions Abroad	101—103
9112.	दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का क्षेत्रीय मुख्यालय	C. R. P. Regional Headquarters at Durgapur	103
9113.	पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानी घुसपैठ	Pak infiltration in West Bengal	103
9114.	आन्ध्र प्रदेश के अन्तर्गत स्वायत्तशासी तेलंगाना राज्य	Autonomous Telengana State within Andhra Pradesh	103
9115.	केन्द्र प्रशासित विश्वविद्यालय	Centrally Administered Universities	104
9116.	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	Nation Highways in Uttar Pradesh	104—105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9117.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	Indian Council of Social Science Research	105
9118.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	High Court Judges	105
9119.	सतना नगर (मध्य प्रदेश) से पुरातत्वीय महत्व की मूर्तियों की चोरी	Idols of Archaelogical importance stolen from Satna Nagar (Madhya Pradesh)	106
9121.	पिछड़े वर्गों के लोगों संबंधी आंकड़े	Assessment of Backward People	106
9122.	त्रिपुरा में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pak Intrusion in Tripura	107
9123.	पाकिस्तानियों द्वारा त्रिपुरा में अतिक्रमण	Pak Intiusions in Tripura	1C7
9124.	इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार के बारे में एक संसद सदस्य का पत्र	Letter from a Member of Parliament complaining about rough deal by I. A. C.	107—108
9125.	अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा स्थापित करना	Formation of All India Backward Classes Welfare Service	1C8
9126.	विदेशी जहाजों के कप्तानों द्वारा भारतीय बन्दरगाहों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इंकार	Refusal by Master of Foreign ships to hoist Indian National Flag at Indian shores	109
9127.	अमेलिया जहाज के कप्तान द्वारा बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से इंकार	Refusal by Master of ship, Amelia to hoist Indian National Flag at Bombay	109—110
9128.	पदोन्नतियों के ममाले में अधिलंघन	Supersession in promotion	110—111
9129.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Officers to Selection Grade of the Central Secretariat Services	111—112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9130.	ग्रेड एक के अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय में सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाना	Grade I Officers placed in Selection grade of Central Secretariat Service	112
9131.	पश्चिमी बंगाल में दस्यु आक्रान्त क्षेत्रों में सड़कें	Roads in dacoit infested areas of West Bengal	112—113
9132.	विश्वविद्यालय स्थापित करने का मापदण्ड	Criteria for certain of a University	113—114
9133.	इंडियन एयर लाइन्स की दिल्ली से मद्रास और बंबई से कोचीन तक विमान सेवा	I. A. Flights from Delhi to Madras and Bombay to Cochin	114—115
9134.	पालम हवाई अड्डे पर 'कैटरर' पर बकाया राशि की वसूली	Recovery of dues from caterer at Palam Airport	115—116
9135.	केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी	Officers of Central Services	116—117
9136.	कार्यालय में काम के समय पहनने हेतु सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष वर्दी	Wearing of Special dress by Government employees on duty	117
9137.	भारत की शिक्षा समस्याओं को हल करने के लिए अमरीकी विश्वविद्यालयों से सहायता की पेशकश	Offer of help from American Universities in solving Educational problem of India	117—118
9138.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की योजना	C. S. I. R. schemes to popularise science	118—120
9139.	पटना में गंगा नदी पर पुल	Bridge over River Ganga in Patna	120
9140.	भारत में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा	Universal Primary Education in India	120—121
9141.	छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि के नियतन में वृद्धि	Increase in provision for Scholarship to students	121—122
9142.	मोहनजोदड़ों की मुहरें	Mohenjo Daro Seals	122
9143.	शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Ministry of Education and Youth Services	122—123

ग्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9144.	कोहिमा में सेना के एक मेजर की पत्नी का एक लड़की को गोली से मारना	Girl shot at by Army Major's Wife at Kohima	123
9145.	त्रिपुरा में राजकीय परिवहन सेवा	State Transport Service in Tripura	124
9146.	त्रिपुरा में सड़क विकास	Road Development in Tripura	124
9147.	ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों के छात्रों को विदेश ग्रध्ययन छात्र त्रवृत्तियां देना	Award of overseas scholarships to Students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	124—125
9148.	सशस्त्र पाकिस्तानियो के गिरोहों की कठुग्रा के सीमा क्षेत्र में गतिविधियां	Activities of Armed Pak Gangs on Kathua Border	125
9149.	सिल्चर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	Silchar Regional Engineering College	125—126
9150.	बंगाल बंद के दौरान केंद्रीय सरकार के कार्यालयों का बन्द रहना	Closure of Central Government offices during Bengal Bandh	126
9151.	शिक्षा स्तर में सुधार के लिए त्रिभाषा सूत्र	Three languages formula for improvement of Educational standard	126
9152.	ग्रन्दमान में कोठरियों वाली जेल	Cellular Jail in Andaman	126—127
9153.	प्रतिनियुक्ति के लिये हवाई ग्रड्डे के ग्रधिकारियों के चयन की कसौटी	Criteria for selection of officers of Aerodromes on Deputation	127
9154.	हवाई ग्रड्डों के नियंत्रकों का स्थानान्तरण	Transfer of controllers of Aerodromes	128
9155.	ग्रशोक होटल, नई दिल्ली का टावर	Ashoka Hotels, New Delhi Tower	128—129
9156.	राजस्थान में हवाई ग्रडडे तथा हवाई पट्टियाँ	Airports/Airstrips in Rajasthan	129
9157.	गुजरात राज्य में तटवर्ती राजपथ	Coastal Road Highways in Gujarat State	129—130

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9158.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों का शीघ्र निपटारा	Expeditious disposal of cases pending in courts under Punjab and Haryana High Court	130
9159.	भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए संयुक्त सदाचार समिति को सहायता	Aid to Samyukta Sadachar Samiti for Eradication of Corruption	130
9160.	जामा मस्जिद में पकड़ा गया ट्रांसमीटर	Transmitter seized in Jama Masjid	131
9161.	केन्द्रीय तथा राज्यों की सेवाओं और स्वायत्तशासी निकायों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	Reservations for scheduled castes/ scheduled tribes in Central and State Services and in Autonomous Bodies	131—132
9162.	राष्ट्रीय गीत का गाया जाना	Singing of National Song	132
9163.	इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमा धारियों को बेरोजगारी भत्ता	Unemployment Allowance to Engineering Graduates and Diploma Holders	132—133
9164.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा बनाये गये जहाजों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत	International Price of Ships built by Hindustan Shipyard	133
9165.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	Hindustan Shipyard Limited	133—134
9166.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में युद्ध पूर्व भर्ती किये गये मुख्य भूमि के व्यक्ति	Pre-War Mainland Recruits in Andaman and Nicobar Islands	134
9167.	अन्दमान प्रशासन में विशेष वेतन	Special Pay in Andaman Administration	134—135
9168.	दिल्ली विकास प्राधिकार की नारायणा कालोनी के रेल के पुल पर सड़क	Road Over Rail Bridge in D. D. A. Naraina Colony, New Delhi	135
9169.	पश्चिमी बंगाल में कानून में सुधार	Legal Reforms in West Bengal	135

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9170. होटल पुनर्विलोकन तथा सर्वेक्षण समिति के सुझाव	Suggestions made by Hotel Review and Survey Committee	135—136
9171. ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी	Indian Students in British Universities	136
9172. प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना	Setting up of a Natural History Museum	136—137
9173. टैक्सी ड्राइवरों की दिल्ली बम्बई और कलकत्ता में हड़ताल	Strike by Taxi Drivers in Delhi, Bombay and Calcutta	137
9174. देश के प्रतिरक्षा सम्बन्धी ढाँचे में सुधार	Reforms in Defence set-up of the Country	137—138
अतारांकित प्रश्न संख्या 6162 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answers to U. S. Q. No. 6162	138
अतारांकित प्रश्न संख्या 1863 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answers to U. S. Q. No. 1863	138
अतारांकित प्रश्न संख्या 3959 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answers to U. S. Q. No. 3959	138
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	139
सभा का कार्य	Business of the House	139
चौथी पंचवर्षीय योजना—प्रारूप के बारे में प्रस्ताव	Motion re-Fourth Five Year Plan Draft	140—150
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	140—141
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	141—143
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	143—147
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao	147
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	147—148
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	148—150
श्री हुमायूं कबिर	Shri Humayun Kabir	150
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	150
49वां प्रतिवेदन	Forty-ninth Report	150

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution Re-Appointment of Commission to go into charges against Birla Group of concerns Negatived	151—159
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shre Tenneti Viswanatham	151
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	151
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	152
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	153
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	153
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	153—154
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	154—157
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanatha Menon	157—159
निजी थैलियों को समाप्त करने के बारे में संकल्प	Resolution re-Abolition of Privy Purses	159—164
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	159—161
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	161—162
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	162—163
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	163—164
दिल्ली पुलिस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion on Delhi Police Commission Report	164—167
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	164—165
डा० रानेन सेन	Dr. Rannen Sen	165
श्री सीताराम केसरी	Shri Sita Ram Kesri	165
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kondu	165—166
श्री श्रीचन्द	Shri Sri Chand	166
श्री रनधीर सिंह	Shri Randhir Singh	166—167
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	167
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	167

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 9 **मई**, 1969/19 **वैशाख**, 1891 (**शक**)
Friday, May 9, 1969/Vaisakha 19, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कर्मचारी प्रबन्ध के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

+

1591. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी प्रबन्ध के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिषों का ब्यौरा क्या है, तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं। प्रतिवेदन सरकार को 18 अप्रैल, 1969 को प्राप्त हुआ था। उस की जांच की जा रही है।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : जब यह सुझाव दिया गया था कि सेवा निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष कर दिया जाये, तो सरकार ने यह तर्क पेश किया था कि वह अनुभवी व्यक्तियों को नहीं छोड़ सकती है। जब यह सुझाव दिया गया कि योग्य विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नतियां करके उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तो सरकार ने एक भिन्न तर्क पेश किया था कि वह सम्पूर्ण शैक्षिक अर्हता प्राप्त नव-युवकों को छोड़ने में असमर्थ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वह किस तरीके से प्रोत्साहन देना चाहती है। क्या सरकार

पदाधिकारियों के राज को कायम रखते हुए उसी नीति को अपनाये रहेगी जिस से उसे वृद्ध व्यक्तियों को सेवा में रखने तथा उन पदाधिकारियों को नियमित प्रतियोगिता मूलत परीक्षा के बिना ही, जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में किया गया है, अपने सम्बन्धियों को नौकरियों में रखने में प्रोत्साहन मिलता रहे ?

इस बात को देखते हुए कि व्यक्तिगत योग्यताओं की अवलेलना करके केवल शैक्षिक अर्हता के आधार पर बड़े पैमाने पर सीधी भर्ती किये जाने का सब सेवाओं के प्रबन्ध पर कुप्रभाव पड़ा है, क्या गृह मन्त्रालय सीधी भर्ती को कम से कम करने तथा इस प्रकार अच्छे प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिये, अविलम्ब कोई सामान्य निदेश जारी करेगा ? प्रशासनिक सुधार आयोग ने महसूस किया है कि प्रबन्ध का स्तर गिर गया है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसाकि मैं ने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन लगभग तीन सप्ताह पूर्व ही प्राप्त हुआ था तथा उस पर विचार किया जा रहा है । मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने मामलों पर जो कि माननीय सदस्य के दिमाग में है, अपनी सिफारिशें की हैं । हम अवश्य उन सब की जांच करेंगे ।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार कर्मचारी प्रबन्ध सम्बन्धी नीतियों पर जिन की प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा रिफारिश की गई है, उन में फेर बदल किये बिना, उन्हें कब तक क्रियान्वित करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देना संभव नहीं है ।

श्री तन्नेटि विश्वानाथम् : क्या माननीय मंत्री ने उन सिफारिशों को पढ़ा है ? आयोग ने एक सिफारिश यह की है कि उन सिसारिशों को शीघ्रता से क्रियान्वित कराने के लिये एक सर्वदलीय संसदीय समिति गठित की जानी चाहिये । क्या माननीय मंत्री ने इस बारे में सोचा है और क्या वह ऐसा करेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार को यह सिफारिश प्राप्त हो गई है तथा इस की जांच की जा रही है । इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी: अपने हाल के एक प्रतिवेदन में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । मैं आशा करता था कि प्रशासनिक सुधार आयोग इस सम्बन्ध में अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के नेताओं की बातें सुने बिना ही यह सिफारिश की है कि उपद्रवी प्रदर्शनों इत्यादि को इजाजत नहीं दी जानी चाहिये । मैं श्री कामत को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस सिफारिश से असहमति प्रकट की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी तथा सरकार कर्मचारियों के संगठनों से विचार विमर्श किये बिना तथा उन की राय जाने बिना ही उन पर निर्णय लेगी ? मेरा निवेदन है कि उन सिफारिशों को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रतिवेदन की जांच करते समय सब बातों को ध्यान में रखा

जायेगा। उन सिफारिशों पर पूरे तौर से विचार किये जाने के बाद ही या तो उन्हें स्वीकार किया जायेगा या अस्वीकार किया जायेगा परन्तु इस समय यह बताना संभव नहीं है कि उन्हें स्वीकार किया जायेगा अथवा अस्वीकार किया जायेगा।

श्री हनुमन्तैय्या: मैं केवल एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं श्री बनर्जी ने कहा है कि आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के संगठनों की बातें नहीं सुनी है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि संयुक्त सलाहकार परिषद् के सदस्यों सहित आयोग ने कम से कम सरकारी कर्मचारियों के एक दर्जन संघों की बातें सुनी हैं तथा उन का साक्ष्य लिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं सब से बड़े संघ का प्रतिनिधि हूँ। जब मैंने श्री कामत से यह सुना कि प्रशासनिक सुधार आयोग इस समस्या पर विचार करेगा तो मैंने संयुक्त संघर्ष परिषद् के सयुक्त सचिव श्री पाटिल अल्वेरीज को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने को कहा था तथा उन्होंने ऐसा किया था। हम आशा करते थे कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व कुछ नेताओं को ध्यान पूर्वक सुना जायेगा। मेरी श्री हनुमन्तय्या के विरुद्ध कोई दुर्भावना नहीं है।

श्री अंबाजागन : इस तथ्य को देखते हुए कि प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की जांच करने में अत्याधिक विलम्ब होता है तथा इस बात को देखते हुए मन्त्री मण्डल द्वारा जांच किये जाने के बाद ही उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा क्या सरकार उन की जांच करने के लिये तथा यह निश्चय करने के लिये कि उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जाये एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति नियुक्त करेगी ? इस बात को देखते हुए कि उन सिफारिशों को सतर्कता पूर्वक क्रियान्वित किया जाना है क्या सरकार सब दलों के नेताओं की एक संसदीय समिति नियुक्त करने के सुझाव को स्वीकार करेगी ? प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् सदस्यों नहीं दी गई हैं। चूंकि सब माननीय सदस्यों को अध्ययन करने के लिये प्रतिवेदनों की जरुरत है, क्या मंत्री महोदय संसद् सदस्यों को प्रतिवेदनों की प्रतियां मुफ्त सप्लाई करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : आयोग से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों की नियमित रूप से संसदीय पुस्तकालय में रखा जाता है ताकि माननीय सदस्य उसे पढ़ सकें और सरकार को अपने सुझाव दे सकें।

जहां तक प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों की जांच का सम्बन्ध है, आयोग ने इस सम्बन्ध में विशिष्ट सिफारिशें की हैं कि उन की जांच कि प्रकार की जानी चाहिये। मैं ने कहा है कि सिफारिशों की जांच की जा रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Development of Transport in Metropolitan Cities

*1592. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : **Shri Brij Bhushan Lal** :
Shri Ranjit Singh : **Shri Jagannath Rao Joshi** :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the recommendations made in the Interim Report of the Study Team on Transport in Metropolitan cities and also in its memorandum regarding the development of transport in the Metropolitan cities during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the action taken thereon by Government and the result thereof ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). महानगरों में परिवहन सम्बन्धी अध्ययन दल के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें उन पर लिये गये निर्णयों के सहित और चौथी पंचवर्षीय योजना में महानगरों में परिवहन विकास कार्यक्रम के बारे में उसके ज्ञापन में सिफारिश की गई योजनाओं को सूचित करने वाला विवरण जो योजना आयोग से प्राप्त हुआ है सभा पटल रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1059/69]

Shri Ranjit Singh : Sir, we all are aware of the transport difficulties of Delhi. There are long queues in the evening at 5 p.m. and in the morning at 9.30 a.m. Some steps were taken in this regard by the popular Government of Delhi after 1967 election and the people felt same relief as a result thereof. The authority of giving relief in the matter of transport rests to a great extent with the chairman of D. T. U., but the chairman had been transferred by the Central Government and the result was that the relief which we wanted to give could tho be given. I want to know whether Government is prepared to hand over the D. T. U. to not popular Government of Delhi as had been done in other States, so that people may get me relief. The condition is worse in summer, because there are no sheds at many places.

Shri Iqbal Singh : The main purpose of the study report was to assess the transport needs of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras and to fore see the conditions that would be there in the next 10 or 20 years. The popular Government of Delhi has also been asked to take certain steps in this regard and they have taken certain steps. The popular Government is meant for the people and so it should look after their welfare.

So far as D. T. U. is concerned a provision of Rs. 1 crore and 40 lakhs was made in the last year's budget for giving loan to D. T. U. and an amount of Rs. 60 lakhs has already been given. This year also a provision of 1 crore and 50 lakhs has been made. If they are ready to keep their house in order. We are ready to give them loan. The losses in D.T.U. are increasing day by day and it is for them to improve the condition.

Shri Ranjit Singh : Sir, is matropolitan cities like Calcutta and Bombay there are duplicate or even triplicate means of transport whereas in Delhi road transport is the only means. There are local trains there. A plan was chalked out by Government for having ring railway in Delhi and there was also a proposal for underground railway. But these plans have been put in cold storage. I want to know the time by which these plans will be implemented.

I would also like to know the time by which decision would be taken by Government in regard to this report.

Shri Iqbal Singh : The question of mode of transport is being studied by the Indian Road Research Institute and it will have to be seen whether the mass transport system or Ring Railway system or the under-ground railway system will suit the transport needs of Delhi. The study will be completed by June and it will be decided thereafter as to what should be the system of transport in Delhi to solve its transport problems for the next 10, 15 or 20 years.

Shri Brij Bhushan Lal : The study team have recommended in their interim report and the memorandum submitted there with that the transport scheme prepared by Delhi Development Authority should be implemented immedately. I want to know the steps taken by Government to implement that scheme.

Secondly what steps are being taken to give traffic education to the children in schools so that the road accidents which are increasing day by day are minimised.

Thirdly what steps are being taken to construct ports for giving traffic training to the public.

Shri Iqbal Singh : The Delhi Administration has been asked to take immediate steps in regard to all these matters.

Shri Jagannath Rao Joshi : The hon. Minister has just stated that a provision of Rs. 1 crore and 40 lakhs was made for giving loan to Delhi Municipal Corporation and a credit of Rs. 60 lakhs was advanced to them. He has further stated that in case they try to minimise the losses further credit can be given to them. Actually the Central Government is pressing them to increase there income and enhance rates of fare. The pnsition is that when buses and trains are run on the basis of utility service they should be run on no less no profit basis so the Central Government instead of pressing them should help them. The position has inproved to a great extent and in case a further credit of Rs. 1 crore and 80 lakhs is given to them, they will be in a better position to manage their affairs. Generally the transport services in Metropolitan cities are not run on the basis of profit and it is the responsibility of the Central Government or the State Government to make available necessary resources to them. The position has improved to a great extent and so my submission is that further loan should be given to them.

Bombay is a very big city but proper attention has not been given to give proper facilities to the extent as are required there and there is wide spread discontentment as a result thereof. So I want to know whether proper attention is being paid to the needs of Bombay.

Shri Iqbal Singh : So far as D. T. U. is concerned, as I have said, we wanted to help them. We had advanced an amout of Rs. 60 lakhs out of the provision made in the last year's budget. I agree that they should run the service on no profit no loss basis. But they suffered a loss of Rs. 83 lakhs in the year 1965-66 and last year they suffered a loss of Rs. 1 crore and 82 lakhs and if they maintain the same tradition the loss would go up to Rs. 2 crores this year. This loss should not be there. They have been asked to mortgage certain assets for the credit that will be advanced to them, because we have to see that the loan advanced to this is returned by them.

श्री म० ला० सोंधी : दिल्ली कम घनत्व वाला क्षेत्र है । यहां की परिवहन व्यवस्था की संरचना को वैज्ञानिक आधार पर समझा जाना चाहिये । माननीय डा० वी० के० आर० वी० राव ने कहा है कि दिल्ली कम घनत्व वाला क्षेत्र है इसलिए मैं यह स्पष्टीकरण चाहूँगा कि कम घनत्व तथा परिवहन व्यवस्था की आर्थिक संरचना में.......

श्री शिव नारायण : आप प्राध्यापक हैं । आप अधिक अच्छा स्पष्टीकरण दे सकते हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपाकर : देश में लागू ट्रामों, बसों तथा गाड़ियों के किराये को देखते हुए क्या यह हिसाब लगा लिया गया है कि भूमिगत परिवहन व्यवस्था सस्ती पड़ेगी ?

श्री इकबाल सिंह : अध्ययन दल के प्रतिवेदन के अनुसार उस नगर की जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, समस्त परिवहन आवश्यकता भूमि पर चलने वाले वाहनों से पूरी नहीं की जा सकती है अत: उन नगरों के बारे में यह निर्णय करना होगा कि वहां किस प्रकार की परिवहन व्यवस्था हो अर्थात भूमिगत अथवा उपरिगामी अथवा वहां छोटी रेलगाड़ी अथवा भूमिगत रेलगाड़ियां अथवा ये सब चलाई जायें और इसी उदेश्य से बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास का व्यापक अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री समर गुह : महोदय मैं संक्षेप में कलकत्ता की परिवहन व्यवस्था का वर्णन करना चाहता हूँ । विभाजन के बाद कलकत्ता की जनसंख्या दुगुनी हो गई है और वर्ष 1976 में यह

पुन: दुगनी हो जायेगी। इस नगर से हो कर प्रतिवर्ष 81 करोड़ व्यक्ति गुजरते हैं तथा उन नगरों से प्रतिदिन 2 लाख व्यक्ति यहाँ आते हैं और नगर में रहने वाले 35 लाख से अधिक व्यक्ति प्रति दिन पैदल चलते हैं। फिर भी इस नगर की वे गलियां जहां अधिक से अधिक यातायात रहता है केवल 25 फुट चौड़ी हैं। पंजीकृत माल वाहनों की संख्या में वर्ष 1956 और वर्ष 1969 के बीच 52 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा यात्री वाहनों में 46 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा वर्ष 1962 से 1965 तक दुर्घटनाओं में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है और उनकी संख्या 15000 से बढ़ कर 18000 हो गई है। एक ट्राम में औसतन 80 यात्रियों का स्थान होता है परन्तु उस में 200 व्यक्ति सफर करते हैं। इस नगर में बड़े बड़े उद्योग तथा व्यापार गृह हैं और देश का 43 प्रतिशत आयात-निर्यात व्यापार यहां से होता है। इस नगर के लिए कहा जाता है कि यह केन्द्रीय सहायता की मांग करता रहता है, परन्तु इसे केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार वृहद् कलकत्ता की समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या मानकर उन पर विचार करेगी तथा क्या इस महानगर के विकास के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को 80 करोड़ रुपये की राशि दी गई जिसकी कि वह गत कई वर्षों से मांग कर रही है ?

श्री इकबाल सिंह : माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं उनमें से कुछ आंकड़े प्रतिवेदन में भी दिये हुए हैं तथा उनमें से कुछ सही भी हैं। कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन ने इन सब बातों का पूरी तरह से अध्ययन किया है। हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि कलकत्ता की समस्याओं को हल करने के लिए किस प्रकार की परिवहन व्यवस्था की जाये। रेलवे तथा अन्य प्राधिकार इस सम्बन्ध में अध्ययन कर रहे हैं तथा उन के निष्कर्षों से कलकत्ता की समस्याओं को सुलझानें में सहायता मिलेगी। हुगली नदी पर एक दूसरा पुल भी बनाने की स्वीकृति दी गई है। यह कलकत्ता की एक प्रमुख समस्या है तथा इस के लिए ऋण भी दिया गया है।

डा० रानेन सेन : भारत में जितने महानगर हैं उनमें सबमें सबसे खराब स्थिति कलकत्ता की है। इस की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है, क्यों कि गत 46 वर्षों में कलकत्ता नगर निगम पर कांग्रेस का अधिकार रहा और गत 22 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार रही है। जैसा कि श्री गुहा ने कहा है कलकत्ता की समस्याओं को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को मिल कर हल करना चाहिए। इस विवरण से पता चलता है कि परिवहन विकास बोर्ड अथवा परिवहन संगठन अथवा ऐसी ही किसी अन्य संस्था द्वारा कुछ सुझाव दिये गये हैं। कलकत्ता क्षेत्र के विकास के लिए परिवहन बोर्ड द्वारा जो कार्यक्रम सुझाया गया है, उस के सम्बन्ध में कहा गया है कि इसके लिए 71,53,00,000/-रुपये की जरूरत होगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तथा योजना आयोग ने इन योजनाओं को स्वीकार कर लिया है और यदि स्वीकार कर लिया है तो क्या भारत सरकार राज्य सरकार को कलकत्ता का शीघ्र विकास करने के लिए 71,53,00,000/-रुपए की सहायता देगी, जिसका बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया है ?

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : माननीय सदस्य ने यह याद दिलाया है कि पश्चिम बंगाल में काफी लम्बे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात को याद दिलाया है, क्योंकि सभा पटल पर जो विवरण रखा गया

है कि कांग्रेस सरकार ने अध्ययन दल की अधिकांश सफारिशों को स्वीकार कर लिया था और मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां का वर्तमान सरकार भी कांग्रेस सरकार के बताये हुए रास्ते पर चले।

डा० रानेन सेन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न था क्या भारत सरकार ने सुझाव को स्वीकार कर लिया है। आप हमें संरक्षण दीजिये।

श्री समर गुह : कलकत्ता की वर्तमान दयनीय स्थिति की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। इस समस्या को दलगत दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है, एक दूसरे दल की आलोचना करने के लिए नहीं। अतः अध्यक्ष किसी भी दल की रक्षा कैसे कर सकता है? मेरा कार्य तो सभा के कार्य को चलाना है। यदि माननीय सदस्य सत्तारूढ़ दल पर आक्षेप नहीं लगाएंगे तो सत्तारूढ़ दल भी विरोधी दलों पर कोई आक्षेप नहीं लगाएंगे। माननीय सदस्य का प्रश्न था कि क्या 71.5 करोड़ रुपयों की सिफारिश की गई है, और यदि हां तो, क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है अथवा नहीं।

डा० रानेन सेन : क्या केन्द्र सरकार ने उसे स्वीकार किया है अथवा नहीं?

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस दल आदि के प्रसंग को छोड़कर प्रश्न का यह एक भाग है समिति ने 71.5 करोड़ रुपयों की सिफारिश की थी। माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि क्या केन्द्र सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया था और क्या वह उनकी सहायता करना चाहती थी। इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए।

श्री रघु रामैया : अध्ययन दल की सिफारिशों का उत्तरदायित्व राज्य सरकार के ऊपर है केन्द्र सरकार को नहीं। मुझे जो एक टिप्पणी मिली है उसके अनुसार आंकड़े ये हैं...

श्री म० ला० सोंधी : माननीय मन्त्री दिल्ली के बारे में स्थिति का स्पष्टीकरण करें। क्योंकि दिल्ली का उत्तरदायित्व तो केन्द्र सरकार के ऊपर है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय कलकत्ता के बारे में उठाये प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है।

श्री रघु रामैया : पश्चिमी बंगाल सरकार के विकास तथा योजना विभाग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए यातायात तथा परिवहन के बारे में लगभग 47 करोड़ रुपयों के लागत की योजना बनाई थी। अध्ययन दल ने उन पर ब्यौरेवार विचार किया था। सीमित साधनों के कारण प्राथमिकता दिये जाने वाले कार्यों का पता लगाया गया था तथा सड़क विकास को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 23 करोड़ रुपयों की लागत का कार्यक्रम तैयार किया गया था।

डा० रानेन सेन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह राशि पश्चिमी बंगाल सरकार को दी जाएगी अथवा नहीं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं मुख्य रूप से विभिन्न राज्य सरकारों की नगरीय बस परिवहन पद्धति के बारे में चिंतित हूं। माननीय मन्त्री ने दिल्ली परिवहन में बढ़ती हुई हानि के

बारे में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। दिल्ली ही इस बारे में कोई प्रतिवाद नहीं है वस्तुतः प्रत्येक राज्य के हर नगर में राज्य परिवहनों को हानि उठानी पड़ रही है जबकि प्रत्येक गैर सरकारी बस सेवा को लाभ हो रहा है। केवल हानि की भी बात नहीं है इस बारे में दो और भी मुख्य कठनाइयां हैं। पहली कठिनाई तो यह है कि 90 प्रतिशत बसों में डीजल का प्रयोग होता है जिससे इन बसों से बड़ा बुरा धुंआ निकलता है तथा वातावरण दूषित हो जाता है। दूसरे इन बसों की प्रातः काल उचित रूप से सफाई नहीं की जाती। इन की सफाई तो केवल यात्रियों के कपड़ों से ही होती है। इन परिस्थितियों में मैं जानना चाहता हूँ कि इन राजकीय परिवहन उपक्रमों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है और यदि सरकार स्वयं को इस बारे में असमर्थ मानती है तो क्या वह इस सारी सेवा को राष्ट्रीयकरण से निकाल कर गैर सरकारी व्यक्तियों के हाथ में सौंपने को तैयार है ?

श्री रंगा : इससे जनता के धन का भी अपव्यय नहीं होगा।

श्री इकबाल सिंह : माननीय सदस्य अपना मत बता रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह मत नहीं तथ्य है। शत प्रतिशत माननीय सदस्य मेरी बात का अनुमोदन करेंगे।

श्री इकबाल सिंह : यह तो माननीय सदस्य का अपना मत है...।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह केवल मत नहीं तथ्य है। वह इसे केवल मत ही कैसे बताते हैं ?

श्री इकबाल सिंह : दिल्ली परिवहन दिल्ली की पूर्ण परिवहन पद्धति का एक भाग है। हम केवल आज ही नहीं वरन पिछले 25 वर्ष से दिल्ली की परिवहन पद्धति के बारे में विचार करते आ रहे हैं। अध्ययन दल ने यही पुनरीक्षण किया था।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

C. B. I. Enquiry Against Officers

+

*1593. **Shri Sharda Nand :** **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Onkar Singh :** **Shri Gopal Saboo :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Officers of the rank of Joint Secretary and above against whom inquiry was conducted by the C. B. I. during the past three years ; and

(b) the nature of complaints against them and the details of the reports submitted by C. B. I. thereon ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). 31 मार्च 1969 तक की 3 वर्ष की अवधि में इस श्रेणी के 12 अधिकारियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की थी।

जांच कार्यों के अन्तर्गत सरकारी पद के दुरुपयोग करने, अनुचित आर्थिक लाभ कमाने

तथा ज्ञात साधनों से होने वाली आय के अनुपात में अधिक पार्ट सम्पत्तियों को रखने के साथ साथ प्रशासनिक त्रुटियों के आरोपों को भी सम्मिलित किया गया था।

कुछ मामलों की अभी भी जांच या परीक्षा की जा रही है अतः उनके नाम तथा अन्य ब्यौरे का उल्लेख करना उचित नहीं होगा।

Shri Sharda Nand : Mr. Speaker, sir, in view of statement given by the hon. Minister that it would not be desirable to divulge the names of the 12 officers against whom the enquiries are under way may I know the time by which the attention of the Goverment was drawn towards the necessity of holding the enquiries against there officers and the time by which the investigation was initiated actually against the officers ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : प्रत्येक मामले में जाँच कार्य आरम्भ करने का समय बताना ही कठिन है। किन्तु जहाँ मैं समझता हूँ प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध उचित समय पर जांच कार्य आरम्भ कर दिया गया था तथा उनमें से कुछ एक अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्य उचित समय पर पूरा भी हो चुका है।

Shri Sharda Nand : I wanted to know that at what time it was felt by the Government necessary to hold an enquiry against there officers.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि जांच कार्य भिन्न भिन्न समय पर आरम्भ किये गये थे तथा उनमें समय भी भिन्न भिन्न ही लगा। वह प्रत्येक मामले के बारे में कुछ नहीं कह सकते।

Shri Sharda Nand : May, I know whether the hon. Minister is able to indicate the time by which these enquiries would be completed ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां। मैं कुछ और ब्यौरे वार सूचना दे सकता हूँ। इन 12 मामलों के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :

जांच कार्य हुए तथा सी० बी० सी० के परामर्श के बाद समाप्त कर दिये गये।	5
जाँच कार्य पूर्ण हुए किन्तु मामला न्यायालय में है।	1
शेष जांच कार्य।	2
जाच कार्य पूर्ण हुआ और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश की	1
आरोप प्रमाणित नहीं हुए किन्तु सी० बी० सी० की राय की प्रतीक्षा की जा रही है।	1
सी० बी० सी० की सलाह की प्रतीक्षा की जा रही है।	2

श्री फ० गो० सेन : जिन व्यक्तियों के मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाती है उनमें से कितने अधिकारी मद्यपान करते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मद्यपान के आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नहीं कराई जा रही है।

श्री बलराज मधोक : यह सभी के लिए सामान्य है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The nature of the allegation made against these officers against whom the enuqiries are being held is said to be abuse of their official position or earring money through under means. In this context may I know whether the Government will also consider this fact that there are still some other categories of the officers who likewise have abused their official positions and earned by of money. Have the Government received any complaints of this nature, and if so, what is the number of such complaints received by the Government so far ? Will the Government also undertake enquiries against such persons ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य का यह प्रश्न सामान्य प्रकार का है। यदि कोई विशेष आरोप हों तथा प्रथम दृष्टितः कोई मामला बनता हो तो अवश्य ही उसके विरुद्ध जांच कराई जायेगी ।

श्री हेम बरुश्रा : क्या यह सच नहीं है कि असम के राज्यपाल के नेफा-कार्य सम्बन्धी सलाहकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं ? यह भ्रष्टाचार असम विपणन समिति के सहयोग से किया गया था तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा था। क्या यह भी सच नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच के सम्बन्ध में असाधारण समय लगाया है जिससे सम्बद्ध अधिकारियों को दस्तावेजों तथा साक्ष्यों को तोड़ने मोड़ने का समय मिल गया ? मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जिस व्यक्ति के विरुद्ध गम्भीर मामलों की जाँच की जा रही थी उसको मुअतिल करना उपयुक्त क्यों नहीं समझा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने एक व्यक्तिगत अधिकारी के विरुद्ध आरोपों के बारे में प्रश्न किया है। उसके विरुद्ध मेरे पास शिकायत नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बारे में भी मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य को कोई सूचना है और यदि वह मुझे बताते हैं तो मैं अवश्य ही उसकी जांच करूंगा ।

श्री हेम बरुश्रा : इस विषय पर मैंने एक मास पहले एक प्रश्न रखा था किन्तु वह प्रश्न अभी तक नहीं आया। मुझे यह भी ज्ञात है कि वह पत्र उनके कार्यालय में रद्दी की टोकरी में पड़ा है। और इसका कारण यह है कि माननीय मंत्री उस अधिकारी की रक्षा करना चाहते हैं जो कि शिलोंग में हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं, ऐसा कोई कागज मेरे कार्यालय में नहीं है। उन्हें मेरा विश्वास करना चाहिए।

श्री मोहसिन : क्या यह सच है कि इन मामलों में अनुचित रूप से देर की जा रही है क्योंकि इन प्रतिवेदनों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास भेजा रहा है ? जब इन मामलों में पहले ही बहुत देरी हो गई है तो इन्हें केन्द्रीय सतर्कता विभाग को भेजने की क्या आवश्यकता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : केन्द्रीय सतर्कता आयोग के गठन का ध्येय ही वास्तव में यही है। मामलों के जांच कार्यों में उनसे परामर्श लेना होता है।

श्री मोहसिन : क्या उन्हें इस बात की सूचना मिल गई है कि इन मामलों में अनुचित रूप से देरी हो गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किन्हीं मामलों में देरी हो जाने की सम्भावना हो सकती हैं। मैं इस प्रकार की गारंटी तो नहीं दे सकता किन्तु इस मामले में भी कोई देरी हुई भी इसका मुझे निश्चित ज्ञान नहीं है।

Shri Ram Charan : The complaints are made to the C. B. I. by individuals or by the Departments concerned officially. The genuine complaints are made by the individdals are sorted out by the C. B. I. Due to the inadequate strength of this Bureaue, all the genuine complaints are not entertained by them. In view of increased work load on this department due to increased corruption, will the Government make this organisation Permanent ?

And in order to make them capable of undertaking better investigations will the Government increase the strength of the Central Bureau of Investigation ?

Shri Y. B. Chavan : There is no question of working this organisation permanent because it is already a permanent organisation, so for as the strength of this Bureau is concerned it will be increased commensurate with the work load.

चुनाव अभियानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय मन्त्रियों की सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं के लिये प्रयोग किया गया सरकारी धन

\+

***1594. श्री यशपाल सिंह :**

श्री क० लकप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विरोधी दलों के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार से विरोध किया है कि सरकारी धन में से बहुत सी राशि देश में चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री समेत केन्द्रीय मंत्रियों को सुरक्षा तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने पर व्यय किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री की सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं पर गत दो वर्षों में कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस प्रकार के कुछ आरोप हैं।

(ख) तथा (ग). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 1060/69] बिहार, जम्मू और काश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों से सूचना प्रतीक्षित है।

Shri Yashpal Singh : The hon. Prime Minister and Shri Jagjiwan Ram had given assurance at a number of places that the sugar-cane would be purchased from the farmers at the price not less than Rs. 10/- per quintal. But the fact is that the sugar cane is being purchased at the rate of Rs. 7.50 per quintal by the Mill-owners and the agriculturists are being expoited openly. May I know the amount involved in the Pole compaign which practically gave nothing to the agriculturists but unfulfiled assurances by the Government ?

Shri Vidya Charan Shukla : It does not arise out of the main question.

So far as the assurances are concerned, I feel, every responsible candidate makes assurances during the poll compainys. I do not find that there is any truth is what the hon. Member has just now stated.

Shri Yashpal Singh : May I also know whether it is not a fact that in a country like one's where only 11 percet of the total population is literate the real spirit of the elections is corrupted by the Ministers and the Prime Minister because of their assuming pomp and show during their Poll companies and that lakhs of rupees are spent during that period ?

Shri Vidya Charan Shukla : Both the points raised by the hon. Member are incorrect. People of our country can not be influenced by the Pomp and show. We should not under estimate the intellect of our people. It should be noted that there who assume airs and graces and approach the people while riding on horses as their symbles of opulance hardly secure much votes from the public.

As I have already mentioned the state Governments provide security and other facilities to the various Ministers. No provisions for exhibiting pomp and show etc. are made by them.

Shri Yashpal Singh : Minister visit their constituancies all alone but during the election compaings they move in a big group.

श्री रंगा: हम जानते हैं कि सरकार ने हमारी यह माँग स्वीकृत नहीं की है कि चुनावों से 3 या 6 मास पहले सरकार को अपना पद छोड़ देना चाहिए। चाहे राज्य सरकार व्यय कर अथवा केन्द्र सरकार व्यय करे, जैसा कि श्री यशपाल सिंह ने कहा है, जहां तक जनता का सम्बन्ध है उसे हमसे कोई अन्तर नहीं पड़ता। क्या सरकार कम से कम इतना तो स्वीकार करेगी कि व्यक्तिगत चुनाव क्षेत्र के अतिरिक्त किसी को अन्य उम्मीदवार के चुनाव क्षेत्र में जाकर अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करना चाहिए। जिससे खर्च में कमी हो सके ? प्रधान मंत्री नगर को हल के चुनावों में नहीं गई तथापि वहां उनके उम्मीदवार की जीत हुई। उन्होंने यह एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है तथा अन्य मंत्रियों को भी उस पर चलना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह स्पष्ट तथ्य है कि मंत्री किसी राजनैनिक दल से सम्बद्ध होते हैं। कम से कम वरिष्ठ मंत्री अपने अपने दल के वरिष्ठ नेता होते हैं। अतः मध्यकालीन चुनाव अथवा सामान्य चुनाव में दल के वरिष्ठ नेताओं को अपने दल के लिए प्रचार करना होगा, चाहें वे मंत्री हों अथवा नहीं। अत: मैं नहीं समझता कि इस कारण से मंत्रियों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में जाने की सम्भावना न हो। परन्तु हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई सरकारी व्यय न हो तथा मंत्री पद का आम चुनाव पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी कि जब मंत्री चुनाव के लिए दौरे पर जायें तो सुरक्षा प्रबन्धों के अतिरिक्त कोई ऐसा स्थानीय अधिकारी उनके साथ न जाये जो निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय मामलों से सम्बन्धित हो। मैं बताना चाहता हूँ कि काशमीर के हाल ही के चुनाव में जब मुख्य मंत्री चुनाव प्रचार के दौरे पर गये थे तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी उनके साथ थे। अतः निर्वाचन अधिकारी कार्यपालिका अधिकारियों में से नहीं बल्कि सचिवालय आदि से नियुक्त किये जाने चाहियें। क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि चुनाव अभियान के समय इस प्रकार का कोई भी अधिकारी मंत्रियों के साथ साथ न जाये ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो बात माननीय सदस्य कह रहें हैं, वह वांछनीय हो सकती है परन्तु मैं नहीं समझता कि जो मंत्री दौरे पर जाता है, वह राज्य सरकार को बताता है कि कौन-

सा अधिकारी उसके साथ जाना चाहिये। परन्तु यदि राज्य सरकार किसी विशेष अधिकारी को मंत्री के साथ रहने को कहती है तो हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखेंगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में विशिष्ट रूप से कहा है। मंत्री महोदय कृपया इसकी जांच करायें।

Shri Balraj Madhok : In the statement laid on the Table, expenditure in Haryana is about Rs. 10,000 while in Punjab it is approximately Rs. 28,000. Regarding other States, it has been said, no expenditure has been incurred or information is being collected. A number of the questions were asked in this connection during the present session and every time it has been said that the information is being collected. I would like to know whether the machinery of the Government has become so in effective that such an information could not be collected ?

The arrangements for security should be made for Ministers or Prime Minister. However, during Prime Minister's election tour of Uttar Pradesh A. R. P. men were deputed in large number on a long route and one week before the date of the tour. What is the necessity of such elaborate arrangements ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is the duty of local authorities to see that there is no stample during Prime Minister's public utterances when lakhs of people assemble to hear her speeches. Even in the case of religions and other type of fairs where people assemble in large numbers, such arrangements are made. Such arrangements are not made by the Prime Minister or Central Government but by the State Governments.

During elections the Prime Minister did not visit only such place which were under Congress rule but she also visited places which were under President's rule or under non-congress rule *(Interruptions).*

Shri Ram Charan : In Bulandshahr alone Ten thousand Rupees were spent... *(Interruptions).*

Shri Balraj Madhok : My question has not been replied lakhs of beople do not assemble for them alone. The assemble forms also and no such arrangements are made for us.

अध्यक्ष महोदय : सभा में इस प्रश्न का उत्तर दो अथवा तीन बार दिया जा चुका है। प्रश्नकाल के बाद विवाद को निपटा नहीं सकते हे क्योंकि उनका और आपका मत अलग अलग है।

Shri Ramavtar Shastri : During the recent mid-term elections in Bihar the Prime Minister and other Ministers visited Bihar. On the tour of Prime Minister alone Rs. 7 lakhs were spent. She visited so constituencies. A great deal more was spent on security and other purposes. I would like to know the total amount spent on the tours of Congress Ministers in Bihar and whether the amount was realise from State Congress or not.

Shri Vidya Charan Shukla : It has been clearly stated in the statement that the information has been asked for from the State Government and will be laid on the Table, when received.

Shri Shashi Bhuushan : Lakhs of people assemble to have a glimpse of leaders in our country. I would like to know why more policemens were not deputed for the security of women and children who assembled in lakhs during Prime Ministers recent visit in Patna and Uttar Pradesh ? Elaborate security arrangements should also be made for the voters. I would also like to know how many Chief Ministers in India, whether of Kerala, Bengal or Madhya Pradesh, have asked for doing away with security arrangements.

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that cleborate arrangements are made for both leaders and people. we also make security arrangements for the leader of other Parties.

श्री अंबाजागन : इस मामले पर सरकार तथा विरोधी दल सहमत नहीं हो सकते क्योंकि केन्द्रीय मंत्री मध्यावधि चुनाव अथवा अन्य चुनावों पर प्रचार के लिए जाते रहते हैं। सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में कई बार प्रश्न उठाये जाने का यही कारण हैं, सुरक्षा प्रबन्ध हटाने के बारे में केन्द्रीय सरकार निर्णय नहीं कर सकी है। अब केन्द्रीय मंत्री इतने लोक प्रिय नहीं हैं कि उनके लिए सुरक्षा प्रबन्धों की आवश्यकता न पड़े। जब वे सरकारी कार्यों के लिए जायें तो सुरक्षा प्रबन्ध करने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जब वे दल के कार्य के लिए अथवा चुनाव के लिए जायें, तो क्या केन्द्रीय सरकार सुरक्षा तथा अन्य प्रबन्धों के लिए खर्च वहन करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : चाहे खर्च राज्य वहन करे अथवा केन्द्र, ऐसा खर्च सरकारी धन में ही होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन मामले का सम्बन्ध 'सार्वजनिक व्यवस्था' की प्रविष्ट से है। सुरक्षा के लिए प्रबन्ध करना राज्य सरकार के स्वविवेक में है। यह बात नहीं है कि केन्द्रीय मंत्री उन्हें ऐसा प्रबन्ध करने के लिए कहते हैं और यदि वे ऐसे प्रबन्ध करते हैं तो उन्हें खर्च वहन करना होगा।

Shri Shiv Kumar Shastri : The elections are not held after every five years now. A lot of expenditnre was incurred during recent mid-term elections. May I know whether Government have considered the question of according extra vagence during such terms elections.

Shri Vidya Charan Shukla : It is for the State Governments to see how much expenditure they have to incur on the security. It depend on their diservation.

Shri Sheo Narain : Mr. Robert Kennedy and President Kennedy were killed in U. S. A. Members from Orissa know what happened in Orissa during previous years. Is it not your prime duty to protect the Prime Ministers wherever she goes.

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा उसको माननीय मंत्री स्वीकार करते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस मामले पर मार्गदर्शन करने का गृह-कार्य मंत्री को अधिकार है। सुरक्षा के बारे में आधुनिक सिद्धांत यह है कि श्वेत कपड़े वाले व्यक्तियों को सुरक्षा के लिये प्रयोग में लाया जाये न कि बहुत दिखावट की जाये।

जब प्रधान मंत्री बिहार में अभ्रक की खान वाले क्षेत्र गिरिडीह में गई तो वहां एक हवाई पट्टी बनाई गई की, एक दिन पहले पुलिस द्वारा पूर्वाभ्यास किया गया था और दमकल भी बुलाया गया था। लोग समझने लगे कि वहां एक नई अभ्रक की खान का पता लगा है। गृह-कार्य मंत्रालय को इस मामले में मार्ग दिखाना चाहिए ताकि सुरक्षा की व्यवस्था हो और उसके साथ ही ब्रिटिश प्रथा को नहीं अपनाया जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसमें कोई सन्देह नहीं कि सुरक्षा की व्यवस्था सदा सादे कपड़े वाले लोगों द्वारा होती है। परन्तु भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए कुछ पुलिस प्रबन्ध करने होते हैं

ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। यदि प्रबन्ध में कोई त्रुटि हो और उक्त व्यक्ति मेरा जायें तो बहुत आलोचना होगी। इससे बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह प्रबन्ध किये जाते हैं और हमारा इस पर कोई नियंत्रण है।

Shri Latafat Ali Khan : The language of Q. No. 1595 is objectionable and is derogabory to Harijans and tribals.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Conversion of Adivasis and Harijans into Christianity

+

*1595. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Christian priests are converting a large number of simple and innocent Adivasis and Harijans into Christianity ; and

(b) if so, the action being taken by Government so that the Christian priests may not take advantage of the simplicity and proverty of the people ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) There are reports of conversion of Harijans and Adivasis to Christianity.

(b) The subject relates primarily to public order which under the seventh schedule to the Constitution of India falls within the sphere of state legislation. Use of force for conversion can also be dealt with under the provisions of the Indian Panel Code.

Shri Kanwar Lal Gupta : I admit that every religion in our country should be free to propagate and in fact it is so. But the Christian Missionaries are converting poor people and people belonging to backward and sensitive areas by giving them inducements. Rupees 10 crores used to be received by the missionaries ten years ago but now they have received about Rs. 100 crores—Rs. 66 crores in cash and Rs. 34 crores in the shape of goods. The increase in Christian population is much more than general increase in population. The conversion should not by force or inducements. I would like to know whether the Central Government will enact a law on the lines of Madhya Pradesh law according to which a person will have to declare before the Deputy Commissioner that his conversion is voluntary ? I would also like to know whether the Central Government is making a provision that the facilities given to Harijans and tribals should be stopped after their conversion.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस सम्बन्ध में विधान बनाने का अधिकार राज्य की सूची में है, अतः यदि हम ऐसा करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। परन्तु ऐसा करने की हमारी इच्छा नहीं है।

श्री कंवरलाल गुप्त : जब हरिजनों का धर्म परिवर्तन किये जाने पर उन्हें सुविधायें नहीं दी जानी चाहियें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री कंडप्पन : ऐसा धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : I would like to know whether a legislation will be enacted to provide that the money spent by Christian Missionaries should be spent on religious and charitable purposes alone as in the case of Gurdwara Act or Wage Board Act. Secondly, what steps have been taken to see that the number of foreign missionaries in India is reduced and Indian missionaries come in the place ? I would also like to know the steps taken to open more hospitals and educational centres in backward and tribal areas.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विभिन्न पादरियों को धन किस प्रकार प्राप्त होता है, यह प्रश्न उनके आन्तरिक प्रबन्ध से सम्बन्ध रखता है, वे पूर्त न्याय अधिनियम आदि के अन्तर्गत आते हैं। अतः मैं नहीं समझता कि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अधिनियम की लाइनों पर कोई विशेष विधान बनाने की आवश्यकता है। हम पादरियों के स्थान पर भारतीयों को लाने की नीति अपना रहे हैं। परन्तु उसमें कुल उदार रवैया अपनाना होगा। उन वर्गों में, जिनके लिए हम स्थानीय व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अवश्य ही हम ऐसा कर सकते हैं। परन्तु मेरा व्यक्तिगत अनुभव पर है कि कुछ वर्गों के लिए हमें स्थानीय व्यक्ति नहीं मिल सकते। उदाहरण के लिए, कुष्ठ रोग के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक भारतीय मिलना कठिन हैं। ऐसे मामलों में हमें सम्बन्धित पादरियों के उद्देश्यों के अनुसार चलना होगा।

Shri B. N. Kureel : Hindu saints and scholars hate Harijans and tribals, believe in untouchability and do not like to stand near them, whereas the Christian Missionaries love them, and help in educating them. I would like to know what right do these saints have to question conversion.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो लोग अस्पृश्यता को पवित्र मानते हैं, उनके बारे में हमने अपने विचार व्यक्त किये हैं। हमने इसका विरोध और निन्दा की है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Late Broadcast of News about the Passing Away of Dr. Zakir Hussain, Late President of India by A. I. R.

+

23. **Shri Ramavatar Shastri** : **Shri S. M. Krishna** :
Shri Bhogendra Jha : **Shri Hem Barua** :
Shri P. Viswambharan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the late President of India Dr. Zakir Hussain died at 11.20 a. m. on the 3rd May, 1969 ;

(b) if so, whether it is also a fact that the news of his death was broadcast from the Delhi Station of All India Radio after two hours at 13.20 hours ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government have taken any action against the officers responsible for the delay ;

(e) if so, the nature thereof ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जी, नहीं। यह कहना ठीक न होगा कि स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु 11 बज कर 20 मिनट (म० प्र०) पर हुई थी। उनको फिर से जिलाने के लिए डाक्टरों के प्रयत्न 11 बज कर 50 मिनट (म० पू०) तक जारी रहे और जब तक ये प्रयत्न जारी रहे, तब तक मृत्यु नहीं मानी जा सकी।

(ख) समाचार आकाशवाणी द्वारा दोपहर के 1 बज कर 20 मिनट पर प्रसारित किया गया था।

(ग) आकाशवाणी की ओर से कोई देरी नहीं हुई। जैसे ही समाचार राष्ट्रपति भवन सूत्रों द्वारा सरकारी रूप से घोषित किया गया, उसे तुरन्त कर दिया गया।

(घ) से (च). सवाल नहीं उठते।

Shri Ramavtar Shastri : This question was raised here and in Rajya Sabha yesterday, but a different reply was given.

Now it is being said that the President did not expire at 11.20. His death occured later. I would, therefore, like to know whether the news of sad demise of the President was given to the A. I. R. authorities before official announcement and if so, who gave the news and at what time ? I would also like to know wherther after receiving the information the Ministry consulted any minister and if so, the advice given by them ?

Shri Satya Narain Sinha : There is no discrepency in the reply given yesterday and today. As a matter of fact, till the rules are complied with, announcement cannot be made. The news of the death of a high dignitary is not broadcast till an official communication or announcement is received. In this regard the rule is clear which says :

> "In the case of high State dignitaries, a special procedure for announcement of news has been laid down by Government. It clearly states that things can be broadcast only after official confirmation has been obtained from the Secretary/Joint Secretary, Ministry of Home Affairs. The official announcement, as stated above, came after 13.15 hrs. and within minutes the news was broadcast by A. I. R."

Even the flag at Rashtrapati Bhawan was flown at half mast only at 1.20 hrs. when the announcement was made from A. I. R....

श्री पी० राममूर्ति : सरकारी घोषणा इतनी देर से क्यों की गई है।

श्री सुरेन्द्रपाल द्विवेदी : इसमें इतना विलम्ब क्यों किया गया। सरकारी घोषणा करने में दो घन्टे क्यों लग गये ?

Shri Satya Narain Sinha : After the attack Doctors came, We cannot given a statement independently about such a great dignitary. An announcement about the death of Shri Annadurai was made by A. I. R. on the basis of a news agency report. It was severely criticized in the House. Unless and untill the doctors are satisfied about the death, we cannot do anything.

अध्यक्ष महोदय : यह बात बड़ी स्पष्ट है। मैं वहां 12 बजकर 10 मिनट पर था। वे डाक्टरों के दल की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं स्वर्गीय राष्ट्रपति के शरीर के समीप था। डाक्टरों ने आकर पुनः जांच की। उन्होंने हस्ताक्षर करने थे। उससे पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती थी।

Shri Ramavtar Shastri : I do not agree with it. The A. I. R. officials are being shielded. The normal music was played on A. I. R. and the President had already expired. The entire country was grief stricken and A. I. R. was broadcasting music. I want to know

whether they are prepared for an enquiry into this and take action against the persons responsible for this ?

Shri Satya Narain Sinha : If A. I. R. has done such thing after the announcement, I am prepared to take action, But unless official announcement was made... (*Interruptions*). It was only doctors who could certify.

श्री प० विश्वम्भरन : डाक्टरों ने किस समय यह प्रमाण पत्र दिया कि डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई है और कितने बजे प्रैस को विज्ञप्ति दी गई और आकाशवाणी के कितने बजे समाचार प्रसारित किया ? क्या इस में कुछ विलम्ब हुआ, यदि हां तो क्यों ?

श्री सत्य नारायण सिंह : सरकारी सूचना के मिलने के तीन मिनटों, चल रहे कार्यक्रम को बन्द करके, यह समाचार प्रसारित किया गया था ।

श्री प० विश्वम्भरन : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने बजे डाक्टरों के राष्ट्रपति को मृत घोषित किया ?

श्री सत्यनारायण सिंह : हमें यह समाचार 1 बज कर 17 मिनट पर मिला और 1-20 पर इसे प्रसारित कर दिया गया ।

श्री एस० एम० कृष्ण : यह एक अच्छी बात नहीं कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु का समय विवाद का विषय बनाया जाये (**व्यवधान**) हम आकाशवाणी से यह आशा नहीं करते कि किसी की मृत्यु के समय पर अनुमान लगाये । श्री अन्नादुरै के बारे में आकाशवाणी ने बहुत खराब कार्यकुशलता का परिचय दिया और उनकी मृत्यु से तीन दिन पूर्व उनकी मृत्यु का समाचार प्रसारित कर दिया । मैं इसके लिये आकाशवाणी को दोषी नहीं कहता । हम चाहते हैं ऐसे मामलों में आकाशवाणी को बड़े ध्यान से कार्य करना चाहिये ।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : इस बार कोई विलम्ब नहीं हुआ है । श्री अन्नादुरै के बारे में समाचार पी० टी० आई० के समाचार के आधार पर प्रसारित किया गया था । हमारा संवाददाता वहां था परन्तु लाईन खराब होने के कारण हमे पी० टी० आई० पर निर्भर करना पड़ा । (**व्यवधान**)

श्री हेम बरुआ : जब चीनियों ने बोमडिला (नेफा) पर कब्जा किया था, उस समय इसका समाचार आकाशवाणी से पहले बी० बी० सी० ने प्रसारित किया था । आपको यह याद होगा । इस मामले में भी राष्ट्रपति की मृत्यु के समाचार के प्रसारण में विलम्ब हुआ है । राष्ट्रपति की मृत्यु का वास्तविक समय क्या था ? क्या आप पी० टी० आई० के समाचार अथवा राष्ट्रपति भवन से प्राप्त समाचार पर चलते हैं ।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : हम सरकारी घोषणा के अनुसार चलते हैं । 1-5 पर डाक्टरों ने कहा था कि मृत्यु हो चुकी है । डाक्टरों के आने में 5 से 10 मिनट तक लगे थे ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि आकाशवाणी से प्रसारण से पूर्व प्रधान मंत्री को लाने के लिये हेलिकाप्टर भेज दिया गया था ? क्या उपराष्ट्रपति जी बाहर थे, को भी पहले सूचित नहीं किया गया था ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : राष्ट्रपति को दिल का दौरा पड़ा था। इसलिए उनको सूचित करने और बुलाने का समय था। (व्यवधान)

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं सरकार का पहला सदस्य था जो वहां पहुंचा था। मुझे 11 बज कर 50 मिनट पर सूचना मिली थी। जैसे ही मैं कार्यालय में पहुंचा, राष्ट्रपति के सचिव ने मुझे टेलीफोन पर सूचना दी कि राष्ट्रपति को दिल का गम्भीर दौरा पड़ा है और शायद ही वह बच पायें (व्यवधान)। मैं वहाँ चार अथवा पाँच मिनटों में पहुंच गया। उस समय तक डाक्टरों ने उन्हें पुन: चेतन अवस्था में लाने के पूरे प्रयत्न कर लिये थे। जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें होश में लाना असम्भव है। मैंने उनसे और डाक्टर बुलाने को कहा ताकि बाद में यह न कहें कि हमने बड़े डाक्टरों का लाभ नहीं उठाया। हमने डा० ढांडा और डा० विग को भी बुलाया। वे तुरन्त आ गये। उन्होंने आकर राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की जांच और 1 या 1-5 बजे कह दिया कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है और उनके बचने की कोई आशा नहीं। अत: हमें तुरन्त आगे की कार्यवाही करनी चाहिये। उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री यहां नहीं थे। उन्हें तुरन्त सूचना देनी थी और बुलाना था। ऐसी स्थिति में हम जोखिम नहीं ले सकते थे। यह सभी कुछ मेरी उपस्थिति में हुआ। ऐसी स्थिति में ऐसी बातें करना ठीक नहीं। मुझे यही माननीय सदस्यों से कहना है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Qutab Minar, Delhi

*1596. **Shri Balraj Madhok :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 853 on the 15th November, 1968 and state :

(a) the expenditure incurred on the brick-work around the foundation of Qutab Minar to check the seeping of water there ;

(b) the difficulties in providing funds for the repairs to the Qutab Minar ;

(c) whether it is a fact that arrangement for the provision of drinking water and refreshments for the visitors to the Qutab Minar are not adequate ;

(d) whether Government propose to instal sever water-taps in the vicinity of Qutab Minar and to provide other amenities for visitors ; and

(e) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) The expenditure booked on the work is Rs. 510/-.

(b) Repairs could not be taken up during the earlier years due to non-availability of funds. It is proposed to take up the work of strengthening the foundation of the Qutab Minar during 1969-70.

(c) No, Sir. There are arrangements for the supply of drinking water to visitors. Besides provision of cool water kept in earthen pitchers, iced-water is also supplied by a contractor on a nominal charge. There is a canteen at Qutab for supply of refreshments.

(d) and (e). There is a proposal to provide water taps and water coolers during 1969-70 for the convenience of visitors. Other amenities like toilets etc. are already there.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का विकास

*1597. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का भारतीय जनता के लिये छुट्टियों में सैर करने तथा पर्यटकों के आकर्षण स्थल के रूप में विकास करने की सम्भावना पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस द्वीपसमूह को छुट्टियों में सैर का स्थल बनाने के लिये उसका विकास करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार को अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूहों की अवकाश विहारों (होलीडे रिजार्टस) के रूप में पर्यटन सम्भावनाओं की जानकारी है, लेकिन इन स्थानों के लिए पर्यटक यातायात पर मौजूदा पाबन्दियों के कारण वहां पर पर्याप्त सुविधाओं का विकास करना संभव नहीं हो सका है ।

राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*1598. **श्रीमती सावित्री श्याम** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को कितनी सहायता दी गई और सहायता किस आधार पर दी गई ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को इस समय भारी वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उनको सहायता देने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह मंत्री के स्वेच्छानुदान से स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को 1955-56 में अनुदान के आरम्भ से अब तक 25,98,909 रु० की राशि बांटी गई है । ये अनावर्त्तक अनुदान विशेष सहायता की आवश्यकता वाले स्वतंत्रता सेनानियों को दिये जाते हैं ।

(ख) सरकार को मालूम है कि बहुत से स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके परिवार दीन-हीन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं ।

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों को राहत तथा पुनर्वास सुविधाएं देना मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है जिन्होंने पेंशन, नकद अनुदान, भूमि अनुदान, पुनर्वास ऋण तथा उनके बच्चों के लिए शैक्षिक रियायत के रूप में उनके लिए राहत तथा सहायता की योजनाएं बनाई हैं । कठिनाइयों के अलग-अलग मामलों में गृह मन्त्री के स्वेच्छानुदान से नकद अनुदान दिये जाते है ।

Enquiry Against Secretary of Indian Council for Cultural Relations

*1599. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 875 on the 20th December, 1968 and state :

(a) whether the report of the Inquiry Committee constituted by the Managing Committee of the Indian Council for Cultural Relations has been received ;

(b) if not, when such a report is expected to be submitted to the Managing Committee ;

(c) the reasons for the delay ; and

(d) if the report has already been presented, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d). No, Sir. The Enquiry Committee has met several times and has gone into the relevant files some of which are many years old. It is collecting all the information, records and evidence necessary for the enquiry. The enquiry is in progress and report of the Enquiry Committee, when ready, will be submitted by the Governing Body of the Council, which is the competent authority to take action on the report.

बहुविवाह

*1600. **श्री सूरज भान :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय असैनिक सेवा नियमों के नियम 21 में हाल ही में संशोधन कर के एक समुदाय विशेष से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के मामले में बहुविवाह की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 44 पर चर्चा के दौरान संविधान सभा द्वारा इस आशय के चार संशोधन अस्वीकार किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो ये संशोधन किन आधारों पर अस्वीकार किये गये थे और क्या नियम 21 में हाल में किया गया संशोधन संविधान की भावना के विरुद्ध नहीं है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1061/69]

दिल्ली रेलवे यार्ड में साईकल के टायरों की चोरी

*1601. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 सितम्बर, 1968 अथवा उसके लगभग किसी तारीख को दिल्ली रेलवे यार्ड से चोरी किये गये 40,000 टायरों की चोरी के बारे में जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उस की जांच का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 10 सितम्बर, 1968 अथवा इसके लगभग किसी तारीख को दिल्ली के रेलवे यार्ड से 40,000 साईकल टायरों की कोई चोरी नहीं हुई। तथापि, सितम्बर, 1968 के दौरान रेलवे संरक्षण दल ने कुछ मोटर टायर व दवाइयां बरामद की थीं जो दिल्ली नगर में रेलवे के विभिन्न स्थानों से तथाकथित चुराये गये थे। इस संबंध में दर्ज किये गये मामलों की अभी की जा रही है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम, अशोक होटल तथा जनपथ के अध्यक्ष की नियुक्ति

*1602. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रामेश थापार को भारतीय पर्यटन विकास निगम, अशोक होटल्स लिमिटेड, जनपथ होटल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पद पर नियुक्ति के पूर्व वे किस पद पर कार्य करते थे तथा इस पद के लिए उनकी अर्हतायें व अनुभव क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) श्री रामेश थापर वर्तमान नियुक्ति से पहले किसी भी सवेतन पद पर कार्य नहीं करते थे। वे एक 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले बुद्धिजीवी एवं पत्रकार हैं।

ओलम्पिक खेलें

*1603. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने उन खिलाड़ियों के चयन में हस्तक्षेप किया था, जिन्होंने मेक्सिको ओलम्पिक खेलों में भाग लेना था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ खिलाड़ियों को ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के अन्तिम समय पर ही सूचित किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमारे खिलाड़ियों को परम्परागत तरीकों से ही खेलने का प्रशिक्षण दिया गया है और आधुनिक तरीके के प्रशिक्षण प्राप्त अन्य खिलाड़ियों से मुकाबिला करने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में अपनाये जाने वाले नवीनतम तथा आधुनिकतम तरीकों का अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) अपने खिलाड़ियों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित करने लिए, साधनों की उपलब्धता के अनुरूप, सभी सम्भव कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं।

Use of Regional Languages for Education by States

*1604. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri J. H. Patel :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the progress achieved by States in the use of Regional languages in the field of education and the progress likely to be achieved during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the State which has made the highest progress and the State which has shown the lowest achievement in this direction ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

1. Much progress has been achieved by all States in the use of regional languagel in the field of education so far as school level education is concerned. Regionas languages are generally the media of instruction at the entire school stage in all States excepting in Nagaland where the medium of instruction is English and in some special schools situated in other States.
2. State Governments have been producing textbooks at schools level in their respective regional languages and continuous efforts are being made for improvement in the writing of such books.
3. They have also taken steps to provide facilities in their Teachers Training Colleges for teaching of all subjects through the medium of regional languages.
4. As regards use of regional languages in the field of education so fas as university level education is concerned, the State Governments in association with universities situated in the States have set up or are setting up autonomous boards/organisations for writing of university level books in regional languages at the first degree level. They have already availed of a grant of Rs. 34,47.828/- from the Government of India for financing the scheme for writting of books at university level.
5. In regard to production of supporting literature at university level like encyclopaedias, dictionaries etc. the States have availed of financial assistance from the Central Government amounting to Rs. 13.90 lakhs and 36.13 lakhs in the second and third five year plans respectively for the purpose.
6. It is expected that by the end of the fourth Five Year Plan the medium of instruction at the degree level in universities in certain subjects will be the regional languages and books for this purpose will also be available.
7. It is difficult to assess comparative progress made by different states relating to use of regional languages in the field of education. Some States have advanced in certain directions and some have gone faster in other directions.

Differences Between Delhi Administration and Ministry of Home Affairs

*1605. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there have been differences on certain issues between the Delhi Administration and his Ministry for some time past ;

(b) if so, the main points of difference ;

(c) whether some further steps are being taken to solve the points of dispute ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The Delhi Metropolitan Council had made demands for the transfer of reserved subjects to the Executive Council/Metropolitan Council, and for making the New Delhi Municipal Committee an elected body. It has not been possible for the Government to accept these demands.

भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

*1606. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को पिछले तीन वर्षों में (1) अनियमितताओं (2) चोरी (3) स्टाक में कमी (4) आग अथवा ऐसे अन्य कारणों से कितनी हानि हुई।

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी कुछ नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहयोग से चलाये जा रहे होटल

*1607. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी सहयोग से कौन-कौन से होटल चलाये जा रहे हैं ;

(ख) गत वर्ष इन होटलों में कितने विदेशी पर्यटक ठहरे थे ; और

(ग) इसी अवधि में भारत के अन्य होटलों में कितने विदेशी पर्यटक ठहरे थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस समय एक ही होटल-ओबराय इन्टरकान्टीनेन्टल, नई दिल्ली है जोकि यू० एस० ऐ० के० इन्टरकान्टीनेन्टल होटल्स कारपोरेशन के सहयोग से चल रहा है।

(ख) इस होटल से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1968 के दौरान इसमें 50745 विदेशी पर्यटन ठहरे।

(ग) सूचना अभी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Funds for Delhi Dovelopment Schemes

*1608. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Metropolitan Council has demanded a sum of Rs. 225 crores from the Central Government for the development works for Delhi ; and

(b) the amount of money that the Central Government have since decided to pay for the development schemes of Delhi and when it is likely to be paid ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The outlay approved for the Fourth Five Year Plan of Delhi is Rs. 155.65 crores. Provision for expenditure on development schemes in Delhi is made in the Central budget annually having regard to the approved Plan outlay and availability of resources and when the budget is voted by Parliament and the connected Appropriation Bill becomes law, the amounts included are available to the Delhi Administration for expenditure.

प्रसिद्ध लेखकों की कृतियों का जाली प्रकाशन

*1609. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रसिद्ध लेखकों का अनेक कृतियों के अखिल भारतीय स्तर पर जाली प्रकाशनों की ओर अकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है और साहित्यिक तथा अन्य रचनाओं की चोर-बाजारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गये मामले

*1610. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने 1968 में कितने मामले संघ लोक सेवा आयोग को भेजे थे ; और

(ख) इनमें से कितने मामलों में आयोग का उत्तर एक महीने में, 1-3 महीनों में, 3-6 महीनों में, 6-9 महीनों में, 9-12 महीनों में, तथा एक वर्ष से अधिक समय में प्राप्त हुआ था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1968 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग को 301 मामले भेजे गये थे ।

(ख) 152 मामलों में एक महीने के भीतर, 112 मामलों में 1-3 महीनों के भीतर, 22 मामलों में 3-6 महीने के भीतर, 7 मामलों में 6-9 महीने के भीतर तथा एक मामले में 9-12 महीने के भीतर आयोग का उत्तर प्राप्त हो गया था । एक मामले के सम्बन्ध में उत्तर एक वर्ष के बाद प्राप्त हुआ । छः मामलों के सम्बन्ध में उत्तर अभी मिलने बाकी हैं जिनमें सबसे पुराना मामला लगभग नौ महीने पुराना है ।

पाकिस्तानी एजेन्टों का भाग निकलना

*1611. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में श्रीनगर में सेंट्रल जेल से भाग जाने वाले उन तीन मुसलमानों के नाम

क्या हैं, जिनमें दो पाकिस्स्तानी तोड़-फोड़ करने वाले थे जिनको मृत्यु दण्ड मिला हुआ था और एक निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी था और वे किस प्रकार जेल से भागे थे ;

(ख) उनकी निगरानी के लिये जिम्मेदार जेलरों, अधिकारियों और अभिरक्षकों के नाम क्या हैं और क्या वे अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करने के दोषी है ;

(ग) अभिरक्षकों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनके क्या नाम हैं ; और

(घ) इस प्रकार फरार हुये व्यक्तियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) नाम इस प्रकार हैं :—

(i) मुहम्मद मकबूल बट्ट उर्फ अकबर पुत्र गुलाम कादिर बट्ट ।

(ii) मुहम्मद यासीन उर्फ मीर अहमद उर्फ गुलाम कादिर पुत्र स्व० सैन खां ।

(iii) गुलाम यासीन बधाना पुत्र नियाज मुहम्मद बधाना । बताया गया है कि ये बन्दी उन छिद्रों से भाग निकले थे जो उन्होंने दीवारों में किये थे ।

(ख) और (ग). जम्मू व कश्मीर सरकार ने बन्दियों के महा- निरीक्षक को जांच करने के लिए कहा था ; उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रारम्भिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है । जेल अधीक्षक श्री एम० एच० कुरेशी तथा हैड चीफ वार्डन श्री मखनलाल बामबाई इंचार्ज थे । इन अधिकारियों तथा दो गार्ड कमान्डरों तथा एक सशस्त्र कांस्टेबल को मुत्तल कर दिया गया है ।

(घ) राज्य सरकार ने उन्हें पुन: पकड़ने के लिए व्यापक उपाय किये हैं ।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के पास फालतू विमान न होना

*1612. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के पास पर्याप्त संख्या में फालतू विमान नहीं है और किसी विमान में मशीनी खराबी हो जाने पर उड़ान में विलम्ब होता है और विमान सेवाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि चार बड़े हवाई अड्डों में से प्रत्येक पर कम से कम एक फालतू विमान रहे ताकि उसे स्थानापन्न विमान के रूप में प्रयोग किया जा सके ;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार ऐसी योजना तैयार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके वित्तीय पहलू क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जो विमान यांत्रिक खराबियों, सेवाओं में बाधा तथा अन्य दुर्घटनाओं के समय

सामान्यतया आपातकालिक उपयोग के लिए रखे जाते हैं उनमें एक कारवेल, एक वाईकाउण्ट, एक एफ-27, एक एच. एस. 748 और चार डी. सी. 3 विमान हैं। आपातकालिक उपयोग के लिए दो डी. सी.-3 विमान कलकत्ता में रखे गये हैं तथा दिल्ली और बम्बई प्रत्येक स्थान में एक-एक डी. सी.-3 विमान रखा गया है। समिति संख्या में उपलब्ध विमानों तथा उनका उपयोग किये बिना उन्हें खड़ा रखने में निरन्तर होने वाली हानि को दृष्टि में रखते हुए इस पूल को बढ़ाना अथवा चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से प्रत्येक पर आपातकालिक (स्टैण्डबाइ) यूनिन रखना वाणिज्यक दृष्टि से लाभप्रद नहीं समझा गया है।

श्यामलाल कालेज, शाहदरा (दिल्ली)

*1613. **श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्यामलाल कालेज, शाहदरा (दिल्ली) को भवन के निर्माण और भूमि खरीदने इत्यादि के लिए 8 लाख रुपये दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भवन के निर्माण और भूमि की खरीद आदि पर होने वाले व्यय में कालेज के प्रबन्धकों ने उतनी ही राशि देनी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्माण कार्य बिना टेन्डर मांगे एक फर्म को दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि जिस फर्म ने भवन बनाया है वह कालेज के व्यवस्थापक द्वारा स्थापित की गयी एक जाली फर्म है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। कालेज के मुख्य भवन तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक 3.46 लाख रु० का अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया है। आयोग ने कालेज के विज्ञान खण्ड के निर्माण तथा उसे सज्जित करने के लिए 1.5 लाख रुपये का अनुदान भी दिया है। भूमि खरीदने के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

(ख) मुख्य भवन तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत प्रबन्ध मंडल वहन करेगा। विज्ञान खण्ड के निर्माण और सज्जा पर 1.50 लाख रुपये की सीमा से अधिक का खर्च भी प्रबन्ध मंडल द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मन्त्रालय में सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु, इस सम्बन्ध में सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

Nationalisation of Foreign Christian Missions

*1614. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 900 on the 20th December, 1968, and state :

(a) the time likely to be taken in nationalising foreign Christian Missions as per Government's policy in this regard ;

(b) the details of the action taken against the antinational elements according to the provisions of law ;

(c) the time proposed to be given to the antinational foreign missionaries for leaving India ;

(d) whether Government realise the extent of danger to the solidarity of the country which is inherent in not taking action against the conspirators for a pretty long time ; and

(e) if so, the time by which these foreign missionaries would be asked to leave India ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) As stated in the reply to Starred Question No. 655 on the 21st March, 1969 Indianisation of foreign Christian Missions is proposed to be achieved progressively by allowing fresh foreign missionaries only if they possess outstanding qualifications or specialised experince and no suitable Indians are available for the work. The precise time likely to be taken in Indianisation cannot be indicated.

(b) to (e). Government have no information to show that all foreign missionaries are engaged in conspiracies or other activities prejudicial to national interests. Therefore, the question of all of them being a danger to the solidarity of the country or to their being required to leave by a specified time does not arise. Whenever an individual foreign missionary has come to the notice for undesirable activities, he has, where appropriate, been asked to leave the country. Where there has been a violation of any law, suitable action has been taken under the provisions of that law.

सूरज की गर्मी एवं बिजली से चलने वाला पानी का हीटर

*1615. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "दि स्टेटमैन" के 23 जनवरी, 1969 के अंक में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसंधान संस्था, रुड़की में काम करने वाले भारतीय इंजीनियरों ने सूरज की गर्मी एवं बिजली से चलने वाले पानी के एक ऐसे हीटर का आविष्कार किया है, जिससे मध्याह्न पश्चात् 56 डिग्री सेंटिग्रेड तक तथा प्रातः 50 डिग्री सेंटिग्रेड तक कुछ मात्रा में पानी गरम किया जा सकता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा तथा विशेषतायें क्या हैं तथा उसका नमूना तैयार करने और उसे बनाने पर कितना समय तथा धन लगा है ;

(ग) क्या ये हीटर बेचने के लिये बनाये जायेंगे तथा उन्हें बाजार में बेचा जायेगा ; और

(घ) क्या इसे चलाने के लिये कोई अन्य आवर्ती व्यय भी करना पड़ेगा और यदि हां, तो कितना ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1062/69]

(ग) व्यापारिक उपयोग के लिए डिजायन को मैसर्स एम० एस० जैन (इंजीनियर्स) रूड़की को प्रदान कर दिया गया है।

(घ) पानी गरम करने के लिए साफ दिनों में आमतौर पर सूर्य का ताप ही काफी हो सकता है। फिर भी, बादलों वाले दिनों में अथवा जब भार, डिजायन मूल्य से अधिक हो, टंकी में लगे तापानुचालित नियंत्रित हीटर (1.5 कि० वा०) को काम में लाया जा सकता है जिसमें उसी क्षमता के बिजली के गीजर की अपेक्षा कम बिजली खर्च होगी।

भारतीय स्मारक

*1616. **श्री बे० कृ०दासचौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से एक ऐसा कार्यक्रम आरम्भ किया है, जिससे भारतीय स्मारकों को पर्यटकों के लिये आकर्षक बनाया जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्रसंघ से कितनी वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त होने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारतीय स्मारक पर्यटकों के लिये पहले से ही महत्वपूर्ण आकर्षण के केन्द्र हैं। इस आशय से किसी विशेषज्ञ की राय लेने के लिये कि पर्यटकों को अधिकाधिक संख्या में उन स्मारकों को सैर करने करने के लिये किस प्रकार आकर्षित किया जाये, यूनेस्कों से एक सांस्कृतिक पर्यटन विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गयी थीं। विशेषज्ञ ने देश में पुरातत्वीय एवं सांस्कृतिक महत्व के मुख्य केन्द्रों का दौरा किया है और पर्यटकों के लिये इन स्थानों का आकर्षण स्थल के रूप में विकास करने तथा उनके परिरक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था के बारे में उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता लेने के प्रश्न पर विशेषज्ञ की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद विचार किया जायेगा।

बंगकाक में इकाफे की परिवहन तथा संचार समिति का सम्मेलन

*1617. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगकाक में 'इकाफे' की परिवहन तथा संचार समिति के सम्मेलन का उद्घाटन करते समय एशिया तथा सुदूर-पूर्व के शीघ्र आर्थिक विकास के लिये क्षेत्रीय सहयोग को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में अन्य क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) क्या भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था ?

संसद कार्य, तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ग). जी हां।

(ख) इकाफे की परिवहन और संचार समिति के 17 वें अधिवेशन के निष्कर्षों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1063/69]

शिव सेना

*1618. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री स० अ० अगड़ी :**
श्री वासदेवन नायर : **श्री किरुतिनन :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में तथा अन्य स्थानों में शिव सेना की अराष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में जांच करने के लिए एक समिति या आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार विचाराधीन है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या महाराष्ट्र में हुए हाल के दंगों के दौरान हुई जान और माल की हानि का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार के विचार में ऐसी कोई समिति अथवा आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 7 फरवरी से 13 फरवरी, 1969 तक बम्बई शहर में उपद्रवों के दौरान, 1,19, 43, 365 रु० के मूल्य की सम्पत्ति को क्षति पहुंची। 59 व्यक्ति के मारे गये जिनमें से 56 व्यक्ति पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के दौरान लगी गोली से मरे, 2 पथराव के कारण मरे और एक अन्य घावों के कारण मरा। पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से 177 व्यक्ति घायल हुए और 97 व्यक्ति अन्य कारणों से घायल हुए। दंगों के दौरान 151 पुलिस कर्मचारी घायल हुए।

पुलिस ने उपद्रवी भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए गोली चलाने के अतिरिक्त, रोकथाम के उपायों के रूप में 3,278 व्यक्तियों को और उपद्रवों के सम्बन्ध में दर्ज किये गये मामलों में 431 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

Publicity for Development of Tourism

*1619. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the amount of money spent on publicity to attract tourists during the last three years, year-wise and the income earned from tourism ;

(b) whether it is a fact that India's share in the world's income through tourism has been going down for the last ten years ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the measures proposed to be adopted by Government to attract tourists to India in large number ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Dr. Karan Singh): (a) Information is as follows :

Expenditure		Estimated earnings which are calculated for calalendar year	
Year	Rs. in crores	Year	Rs. in crores
1966-67	0.76	1966	22.61
1967-68	0.97	1967	25.23
1968-69	1.02	1968	26.54

(b) and (c). Tourism is a highly competitive industry and a number of countries have developed new destinations for attracting tourists. India's share in world tourism has shown a decline during the last ten years. In absolute terms, however, tourist traffic to India as well as our earnings from tourism have been steadily rising.

(d) Within the limit of availabe resources, the following are some of the steps being taken to attract foreign tourists to India in larger numbers :

1. Intensive publicity programme in foreign countries and in India with highly improved quality of tourist literature.
2. Liberalisation of policy regarding charter flights.
3. Abolition of visa fees on a reciprocal basis with a number of countries.
4. Improvement of facilitation procedures at airports.
5. Improvement of approach roads to airports.
6. Creation of holiday resorts at Gulmarg, Kovalam and Goa for destinational traffic.
7. Provision of more hotel-beds and better transport facilities both through public sector activity and by giving loans and incentives to private sector.
8. Better maintenance of places of tourist interest including archaeological monuments.
9. Efforts to eliminate nuisances like beggars and touts which constitute irritating factors for tourists.
10. Major improvements to our four international airports.

Import of A Dredger 'Badrinath'

*1520. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had imported a very valuable and powerful Dredger 'Badrinath' to carry out dredging operations in the Ganga and the Brahmputra rivers ;

(b) whether it is also a fact that the said dredger was pushed into the sea and it later sank near Tuticorin Port in February, 1967 ;

(c) the price of this Dredger 'Badrinath' and the steps taken to make good the loss ;

(d) the reasons why the Dredger was pushed into the sea ; and

(e) the alternative arrangements made to carry out Dredging operation in the Ganga and the Brahmputra ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) to (c). The erstwhile Ganga-Brahmputra Water Transport Board had acquited in 1965 a cutter suction dredger "Badrinath" at a cost of Rs. 25.28 lakhs for dredging the shoals in the Brahmaputra. The dredger was built at Calcutta in collaboration with a foreign firm. Due to the Closure of the river route from Calcutta to Assam in September, 1965, the dredger could not be moved to Assam. As there was no immediate use of the dredger, it was given on loan to the Government of Tamil Nadu for carrying out dredging operations in connection with the establishment of a fishing harbour at Tuticorin. The dredger was made sea-worthy before it was towed by a ship. While in tow, it sank off the East Coast of Ceylon on the 1st February, 1967. The dredger was insured for Rs. 40.25 lakhs against total loss during the voyage and the insured amount was recovered from the Company.

(d) The dredger was not pushed into the sea. The facts have been mentioned above.

(e) The conservancy works on the rivers Ganga and Brahmaputra are now being carried out by bandalling.

असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

8975. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन विभाग में कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष उनके वेतन पर कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिदिन औसतन कितने घण्टे काम करना पड़ता है तथा किन श्रेणियों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता मिलता है और समयोपरि की दर क्या है ;

(ग) गत पांच वर्षों में कर्मचारियों द्वारा श्रेणीवार प्रति वर्ष कितना समयोपरि भत्ता लिया गया ;

(घ) श्रेणीवार कर्मचारियों के मूल वेतन तथा समयोपरि भत्ते में कितना अनुपात है ;

(ङ) क्या यह सच है कि अधिकतर कर्मचारी काम के सामान्य घण्टों में खाली बैठे रहते हैं तथा समयोपरि भत्ता कमाने के लिए काम रख लेते हैं ; और

(च) यदि हां, तो मक्कारी की प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट I में दी गई है। [**पुस्तकाल में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 1064/69]

(ख) दैनिक कार्य के औसत घंटों के बारे में सूचना परिशिष्ट II में दी गयी है और उन वर्गों के बारे में सूचना जिन्हें समयोपरि भत्ता दिया जाता है और उस भत्ते की दरें परिशिष्ट III में दी गयी हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये**। संख्या एल० टी० 1064/69]

(ग) और (घ). अपेक्षित सूचता परिशिष्ट IV में उपलब्ध है। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये**। संख्या एल० टी० 1064/69]

(ङ) जी, नहीं। कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की स्वीकृति केवल तभी दी जाती है जब सक्षम प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि किया जाने वाला कार्य तात्कालिक प्रकार का है और वह लोक हित में अगले कार्य दिवस तक टाला नहीं जा सकता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में एक होटल खोलने के लिए सहयोग

8976. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में एक होटल खोलने के लिये इंडियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटा) तथा इंटरकांटीनैन्टल होटल कारपोरेशन, अमरीका के बीच हुए सहयोग करार की सरकार द्वारा स्वीकृत आवश्यक शर्तें क्या हैं।

(ख) इस होटल के लिए कितनी विदेशी मुद्रा किन-किन वस्तुओं के लिये मांगी गई अथवा मंजूर की गई तथा यह विदेशी मुदा किन-किन वस्तुओं के लिए मांगी गई है अथवा मंजूर की गई है ;

(ग) इंटरकांटीनैन्टल होटल्स कारपोरेशन, अमरीका द्वारा प्रति वर्ष कितने प्रतिशत मुनाफा अथवा एक मुश्त राशि बाहर भेजी जायेगी ; और

(घ) इस के क्या कारण हैं कि भारतीय होटल मालिक विदेशी सहयोग के बिना एक होटल भी नहीं बना सकते हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). विदेशी सहयोगियों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि सहित इस सहयोग की आवश्यक शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

1.	प्रायोजना की अनुमानित लागत	190 लाख रुपये
2.	होटल का आकार	450 कमरे
3.	विदेशी पार्टी का धन विनियोजन	16,00,000 रु० (रुपयों में)

4. तकनीकी सहायता शुल्क	1,70,000 डालर और प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिये 20,000 डालर
5. प्रचार एवं आरक्षण के लिए सदस्यता शुल्क	सकल राजस्व का 3 प्रतिशत अर्थात् अनुमानतः 4,10,000 डालर प्रति वर्ष जिस पर कि कर लगेगा।
6. करार की अवधि	10 वर्ष जोकि कुल 20 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

(ख) अभी तक कोई विदेशी मुद्रा नहीं माँगी गयी है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रथम श्रेणी के आधुनिक होटल चलाने के लिए उच्चस्तरीय तकनीकी एवं विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। भारतीय प्रतिभा इन आवश्यकताओं को बहुत तेजी से महसूस करती जा रही है, और भारतीय होटलों के मालिक भारतीय प्रतिभा का उपयोग करने के लिये इच्छुक हैं। परन्तु इससे भी अधिक की आवश्यकता है, विशेषतया अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं को प्राथमिकता देने की चालू अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के प्रसंग में, जहां कि उनके नाम की ख्याति मात्र से ही एक विशेष प्रकार के स्तर एवं सुविधाओं की प्रतीति हो जाती है। होटलों की सुविख्यात अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं की स्थापना का लाभ देश में पर्यटकों के अधिक संख्या में आगमन के रूप में होता है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा के उपार्जन में भी वृद्धि होती है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी अपने भारतीय साझेदारों को निम्न सेवायें प्रदान करते हैं, जोकि भारतीय प्रतिभा और होटल मालिकों के लिए उनके बाद के उद्यमों में जबकि वे इन तकनीकी ब्यौरों को सीख चुके होंगे, अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होंगी :—

(1) श्रृंखला से संबंधित होटलों की सेवाओं की उन्नति, बिक्री और विज्ञापन ;

(2) विश्व-व्यापी बिक्री और आरक्षण सुविधायें ;

(3) आधुनिक और कुशल होटल प्रशासन तथा परिचालन कार्य विधियों की व्यवस्था के लिए तकनीकी सेवायें।

(4) होटल के डिजाइन, निर्माण और उपस्कर के लिए इंजीनियरिंग और आर्किटैक्चरल सेवायें ; और

(5) होटल औद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रगति।

भारत में चीनी तथा पाकिस्तानी जासूस

8977. श्री बाबूराव पटेल : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चीनी तथा पाकिस्तानी जासूसों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा उनके

नाम क्या हैं जिन्हें तोड़फोड़ के आरोप पर 1965 से गिरफ्तार किया गया है तथा उनमें कितनी स्त्रियां हैं तथा कितने पुरुष ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा 20 सर्वोच्च जासूसों को क्या-क्या सजा दी गई है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि नागालैंड में, जहाँ चीनी जासूस भारी संख्या में हैं, एक भी जासूस गिरफ्तार नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). राजकीय रहस्य अधिनियम अथवा अन्य सदृश अधिनियम के अन्तर्गत जासूसी के अपराध करने के सन्देह में गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) इस बारे में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्लाट मालिकों के संरक्षण के लिए कानून

8978. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री 29 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां बस्तियां बनाने की योजनायें बनाई गई हैं ; वहां प्लाट मालिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कानून तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में संसद् में कब तक विधेयक पुरःस्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या हरियाणा में ग्रीन-फील्ड्स तथा अन्य कालोनाइजरों के मामले भी इसमें शामिल करने का विचार है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). मामले पर विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया है कि अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीय विधान बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि नगर विकास का विषय राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। फिर भी, हम नगर-विकास-विभाग से निवेदन कर रहे हैं कि वे कुछ राज्यों में सम्बन्धित कानूनों की संवीक्षा करें और उन आधारों पर राज्यों को सलाह दें जिन पर वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए राज्य कानूनों में संशोधन किया जाय ।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा वर्दी बदलना

8979. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी वर्दी बदलने का निर्णय किया है और एक ओर हिन्दी में तथा दूसरी ओर अंग्रेजी में शब्द चिह्न अंकित किये जायेंगे ;

(ख) क्या सरकार ने हिन्दी में शब्द चिह्नों वाले विमानों पर तमिलनाडु में पत्थर फेंके जाने अथवा उन्हें आग लगाये जाने की सम्भावना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ;

(ख) और (ग). इस प्रकार की संभावना किसी निर्णय पर पहुंचने में कोई बड़ा महत्व नहीं रखती है ।

भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी

8980. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 अक्तूबर 1968 को भारत में कार्य कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों की व्यवसायवार तथा राज्यवार संख्या कितनी थी ;

(ख) उनके द्वारा प्रति वर्ष कितनी आय स्वदेश भेजी जाती है ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों ने भारत की नागरिकता अथवा स्थायी निवास के लिए आवेदन पत्र दिये हैं ;

(घ) कितने व्यक्तियों ने भारत में सम्पत्ति अर्जित की है तथा उसका मूल्य कितना है ;

(ङ) पूर्वी पाकिस्तान के कितने व्यक्ति बायलरमैन के रूप में भारत में नियुक्त हैं ; और

(च) इन बायलरमैनों को अधिमान देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (च). बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 31 अक्तूबर 1968 को कार्य कर रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में सूचना प्रकट करने वाला एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 1065/69]

बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों में कार्य कर रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

गुजरात राज्य के तटीय राजमार्ग का निर्माण

8981. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में तटीय राजमार्ग को पूरा करने के लिए कितनी रकम मंजूर हुई है और इसकी कब पूरा होने की आशा है ; और

(ख) यदि राजमार्ग निर्माणाधीन नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). गुजरात में तटीय राजमार्ग एक राज्य सड़क है । इसलिए मुख्यतः इसके विकास

सम्बन्ध गुजरात सरकार से है। फिर भी बड़ौदा-केम्बे-भावनगर-बेराबल-पोरबन्दर-ओखा-मलिया मार्ग के साथ बड़ौदा में मलिया तक तटीय राजमार्ग के विकास के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय सहायता प्राप्ति के लिए जोर दे रही है। चतुर्थ योजना के ब्यौरेवार कार्य-क्रम को अन्तिमरूप देने पर ही इस प्रार्थना पर निर्णय लिया जा सकता है। इस बीच भारत सरकार ने मई 1968 में बाबालियारी और भावनगर के बीच (22 मील लंबी) सड़क के बड़ौदा भावनगर खंड के निर्माण के लिए और केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य सरकार के 47.23 लाख रुपये के अनुमानित आवंटन के खर्च के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

तेलंगाना के रक्षा उपायों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श

8982. **श्री बी० नरसिम्हा राव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने सर्वोच्च न्यायालय से इस बारे में राय मांगी है कि भारतीय संविधान के उपबंधों का उल्लंघन किये बिना तेलंगाना के लोगों की रक्षा के उपाय किस प्रकार किए जा सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृहकार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महानगर परिषद का बजट अनुमानों पर चर्चा करने का अधिकार

8983. **श्री नरसिम्हा राव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने सरकार से कहा है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आय व्ययक प्राक्कलनों का परीक्षण तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने से पूर्व महानगर परिषद् को उन पर चर्चा करने का तथा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई औपचारिक पत्र नहीं भेजा है। फिर भी, 1966 में दिल्ली प्रशासन द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण पर उसे भारत सरकार के बजट को संसद् में प्रस्तुत करने से पहले वादविवाद करने की अनुमति दिल्ली महानगर परिषद् को दी जाय।

(ख) यह सुझाव व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि इसका अर्थ होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के एक भाग को संसद् के सदनों में प्रस्तुत करने से पहले संसद् के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इससे संसद् के विशेषाधिकार का उलंघन होता।

दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के घाटे का बजट

8984. **श्री रा० बरुग्रा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुछ कालेजों को गम्भीर घाटे के बजट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इन में से कुछ कालेज ग्रध्यापकों ग्रौर ग्रन्य कर्मचारियों की भविष्य निधि को ग्रपनी घाटे की स्थिति का सामना करने के लिये प्रयोग में कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह बात दिल्ली कालेज के बारे में भी सच है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) से (ग). दिल्ली कालेज ग्रौर दयाल सिंह कालेज के 1967-68 वर्ष से वार्षिक जंचे हुए लेखों से पता चलता है कि उनकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है । दिल्ली कालेज के मामले में यह भी सबूत है कि निर्वाह निधि के एक ग्रंश का उपयोग घाटे को पूरा करने के लिए किया गया था ।

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय, कालेज पर जोर देता रहा है कि वे धर्मस्व निधि का निर्माण करें, जैसा कि विश्वविद्यालय के ग्रध्यादेशों तथा इन कालेजों को विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग द्वारा सहायक ग्रनुदान की शर्तों में ग्रपेक्षित है, ग्रौर उससे प्राप्त होने वाली ग्राय का उपयोग कालेजों के घाटे को पूरा करने के लिए करें । विश्वविद्यालय ने कालेजों से यह भी कहा है कि न्यासों के लिए यह ग्रावश्यक होना चाहिए कि कालेजों का घाटा पूरा करने में वे नियमित रूप से योगदान दें ।

मामले पर विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग भी विचार कर रहा है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन

8985. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय निकट भविष्य में ग्रपनी परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; ग्रौर

(ग) परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने से कितना ग्रतिरिक्त व्यय करना होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) ग्रौर (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय की ग्रकादमिक परिषद् ने 20-4-69 को ग्रायोजित ग्रपनी बैठक में, ग्रन्य विषयों में उन छात्रों के दल के लिये बी०ए० (पास) बी० एस०सी० (सामान्य) बी०ए० (ग्रानर्स), बी० काम ग्रौर बी०एस०सी० (ग्रानर्स) के पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना करने का संकल्प किया जो जुलाई 1969

में इन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेगा, जिससे पाठ्यक्रम के हर साल के अन्त में, उस साल पढ़ाये गये पाठ्यक्रम के भाग की परीक्षा ली जा सके।

परिषद् ने, सिद्धांत रूप में यह भी संकल्प किया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित पूर्व उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए अपना नाम रजिस्टर कराने वाले छात्रों के लिए एक "सेमेस्टर प्रणाली" 1970-71 के अकादमिक वर्ष से प्रारम्भ की जाये। लेकिन ऐसे विश्वविद्यालयीय विभाग, जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए तथा प्रौद्योगिकीय पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी संकाय के लिए 1969-70 से सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की स्थिति में हैं उन्हें ऐसा करने दिया जाये।

दूसरे और ब्यौरों को विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) इस काम में होने वाले अतिरिक्त खर्च का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण परियोजनाओं सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्था

8986. **श्री पी० एंथनी रेड्डी :**　　　　**श्रीमती बी० राधा बाई :**
श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा कल्याण परियोजनाओं सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्था के नौ उद्देश्यों में से एक उद्देश्य प्रतिभाशाली बच्चों का मार्गदर्शन तथा पता लगाने के लिए परीक्षायें करना था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पुनर्विलोकन समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रतिभा का पता लगाने के तकनीक को सुनिश्चित करने के लिये अवश्य संशोधन करना पड़ेगा कि विज्ञान प्रतिभा अन्वेषण योजना के अन्तर्गत ठीक प्रकार के उम्मीदवारों का चयन किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों के बीच समन्वय न होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग के मूल्यांकन एकक का क्या प्रयोजन है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान-स्वास्थ्य शिक्षा तथा कल्याण (एन० आई० ई०-एच० ई० डब्ल्यू०) अनुसंधान परियोजना का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट विषयों में प्रतिभावान छात्रों का पता लगाने में शिक्षकों तथा मार्गदर्शी कार्यकर्ताओं को सहायतार्थ कुछ मनोवैज्ञानिक उपकरणों का विकास करना है। ताकि छात्रों को अपनी योग्यताओं के लिए उपयुक्त अवसर मिल सकें। जब ये उपकरण तैयार हो जाएंगे तो सभी योग्य उपभोक्ताओं को आसानी से उपलब्ध कर दिये जाएंगे।

इन मनोवैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग विज्ञान प्रतिभा-छात्रवृत्तियों के चुनने के लिये नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको केवल मार्गदर्शन के प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाया जा

सकता है और विज्ञान प्रतिभा वाले विद्यार्थियों को मुख्यत: इस प्रयोजन के उद्देश्य से तैयार की गई विशिष्ट अभिरुचि परीक्षाओं के जरिये प्रयोगात्मक आधार पर चुना जाता है। इसके अलावा, चूंकि मनोवैज्ञानिक उपकरण आम लोगों को बताये जाने हैं, अत: उन्हें विज्ञान प्रतिभा खोज योजना जैसी किसी भी प्रतियोगात्मक स्थिति के लिये प्रयोग में नहीं लाया जा सकता विज्ञान में प्रतिभावन छात्रों के चयन के मौजूदा तरीकों से राष्ट्रीय परिषद संतुष्ट है, किन्तु पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर उनमें यथासम्भव सुधार करेगी।

(घ) मूल्यांकन यूनिट का मुख्य प्रयोजन परीक्षाओं के पैमाने तथा शिक्षा सम्बन्धी उनके महत्व को सुधारना है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

8987. **श्री पी० एंथनी रेड्डी : श्रीमती बी० राधा बाई :**
श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के परीक्षा एकक द्वारा 1 मई, 1966 से पहले तथा इसके स्वतंत्र विभाग बन जाने के पश्चात कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : परीक्षा सुधार यूनिट, राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का अभी तक सम्पूर्ण और स्वतन्त्र विभाग नहीं है। यह यूनिट अगस्त, 1966 से पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन विभाग के एक भाग के रूप में कार्य कर रहा है। इससे पहले, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1958 में परीक्षा सुधार कार्य शुरू किया गया था। अखिल भारतीय परिषद के बन्द हो जाने पर इस कार्य को माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय द्वारा और अन्त में 1961 में राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा अपने हाथ में लिया गया था। परीक्षा सुधार पर 1 मई, 1966 से पहले 58 प्रकाशन और 1 मई, 1966 से अब तक 114 प्रकाशन निकाले गये थे।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद

8988. **श्री पी० एंथनी रेड्डी : श्रीमती बी० राधा बाई :**
श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के व्यय पर जिस एक महिला अधिकारी को अध्ययन करने के लिए अमरीका भेजा गया था' उसे बांड उल्लिखित अवधि को पूरा होने से पहले और त्याग पत्र देने से पूर्व पुन: अमरीका भेज दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). ऐसा कोई मामला नहीं है। केवल एक ही ऐसा कर्मचारी है, जिसने अमरीकी सहायता कार्यक्रम के

अन्तर्गत अमरीका में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और भारत लौटकर लगभग दो वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में सेवा करने के बाद वह अपनी इच्छा से अपने पति के पास अमरीका वापस चली गई। इस प्रयोजन के लिये, राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के नियमों के अधीन, उन्होंने अपनी बकाया छुट्टी ली थी। उनके द्वारा निष्पादित बन्द, अभी तक लागू है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग

8989. **श्री पी० एंथनी रेड्डी : श्रीमती बी० राधा बाई :**

श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग का प्रमुख गत तीन वर्षों में कितनी बार विदेश गया है ; और

(ख) वह 1968-69 में भारत से कुल कितने समय तक बाहर रहा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषद के विद्यमान पाठ्यचर्या और मूल्यांकन विभाग की स्थापना अगस्त 1966 में हुई थी। उस समय से, विभागाध्यक्ष शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए पांच बार विदेश गए। उनके दौरों का सारा खर्च सम्मेलन के प्राधिकारियों द्वारा वहन किया गया था।

(ख) 1 जनवरी, 1968 से 1 मार्च, 1969 की अवधि के बीच सम्मेलनों में भाग लेने के लिये उनकी विदेश प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि 58।

थामस कप में भाग लेने के लिए भारतीय बैडमिन्टन संस्था को विदेशी मुद्रा का दिया जाना

8990. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद ने भारतीय बैडमिन्टन संस्था की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है कि इण्डोनेशिया के विरुद्ध थामस कप मैच में एक भारतीय टीम द्वारा भाग लेने के लिये 5000 रुपये की विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह मैच भारत में ही खेला जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय बैडमिन्टन संस्था को यह राशि मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं। विदेशी मुद्रा स्वीकृत करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्लि

8991. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्लि के लिये एक जीप अथवा स्टेशन वैगन खरीदने की मन्जूरी दे दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त संस्था के बोर्ड को गलत स्थिति बताकर प्रधानाचार्य ने जीप और स्टेशन वैगन दोनों ही खरीद ली है ;

(ग) यदि यह खरीद सार्वजनिक हित के विरुद्ध है तो प्राधानाचार्य के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के०आर०वी० राव) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार द्वारा एक जीप या स्टेशन वेगन की स्वीकृति प्रदान की जाती है और तिरुचिरापल्लि, प्रादेशिक कालेज ने केवल एक जीप खरीदी है । कालेज की कार्रवाई सार्वजनिक हित में है और केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 का विस्तार

8992. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के विकास की कोई योजना है ।

(ख) यदि हां, तो कब तक इस विषय में निर्णय ले लिया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पनबर में पाकिस्तान का निष्कासित व्यक्ति शिविर

8993. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने गारो पहाड़ियों में गासुआपारा के दूसरी ओर पनबर में एक निष्कासित व्यक्ति शिविर बनाया हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन निष्कासित व्यक्तियों को आसाम में तोड़फोड़ करने के लिए टोलियों में सुव्यवस्थित रूप से भारत में भेजा जाता है ;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनसे कौन-कौन से तथा कितनी मात्रा में हथियार बरामद किये गये हैं ; और

(घ) तोड़-फोड़ करने वाले इन व्यक्तियों के सामूहिक आगमन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

प्रहलादपुर से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवा

8994. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रहलादपुर से केन्द्रीय सचिवालय तथा फतहपुरी तक दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवा चलाने के लिये दिल्ली में (बस मार्ग संख्या 39 पर) प्रहलादपुर गाँव (बांगर) के निवासियों से उनके मंत्रालय को दिल्ली परिवहन उपक्रम के अध्यक्ष को सम्बोधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन समिति को भेजे गये अभ्यावेदन में दिये गये प्रस्ताव कि प्रहलादपुर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच 8-A रूट पर दो सीधी ट्रिपों की व्यवस्था की जाय, की जांच दिल्ली परिहवन संस्थान द्वारा कर ली गयी है । उसके अनुसार, प्रहलादपुर में शहर वापस आते हुए रूट सं० 39 की बसें आजादपुर आती हैं और वहां से रूट सं० 9-बी और 15 चलती है। ये दोनों रूट केन्द्रीय सचिवालय को आजादपुर से मिलाते हैं। चूंकि ये दोनों रूट आजादपुर से शुरू होते हैं, अतः प्रहलादपुर के निवासियों को आजादपुर पर बस बदलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये, वे रानाप्रताप बाग पर भी बसें बदल सकते हैं क्योंकि वहां से रूट सं०8 चलती हैं । यह रूट भी केंद्रीय सचिवालय को रानाप्रताप बाग से मिलाता है । विभिन्न स्थानों पर बसे बदलने की सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए संस्थान अभ्यावेदन में सुझाई गई सीधी ट्रिप चलाना आवश्यक नहीं समझता है।

प्रहलादपुर ग्राम जो रूट सं० 36 और 39-ए से संबंधित है, के निवासियों की परिवहन आवश्यकताओं का निश्चय करने के लिए संस्थान ने एक सर्वेक्षण किया जिससे यह मालूम हुआ कि वर्तमान सेवाएं पर्याप्त हैं । एक यात्री को बस की प्रतीक्षा में अधिक से अधिक 25 मिनट ठहरना पड़ता है जब कि कम से कम 2 मिनट ठहरना पड़ता है । अतः प्रहलादपुर और फतेहपुरी के बीच संस्थान ने किसी अतिरिक्त ट्रिप की व्यवस्था नहीं की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Admission in Universities on All India Basis

8995. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether in December last, the Prime Minister had written a letter to the Chief Ministers requesting them to implement the recommendation of the National Integration Council to the effect that State Government should give admission in the Universities on All-India basis rather than on regional basis ;

(b) the names of Chief Ministers who had sent replies to this and their reaction in regard thereto ; and

(c) the Chief Ministers who have not sent a reply so far and steps being taken in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c): A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1066/69.]

Admission in Osmania University

8996. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether religions, caste and regional considerations are kept in view at the time of giving admission in the Osmania University ;

(b) the names of other Universities where such considerations are kept in mind at the time of admission ; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Regional Languages as Media of Instructions at University Level

8997. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to adopt regional languages as the media of instruction at the University level ;

(b) whether it is not likely to impede the transfer of teachers and students from one State to another ; and

(c) if so, the basis on which the said decision has been taken ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The Education Commission (1964-65) recommended that the Indian languages should be adopted as media of education at the University stage. This recommendation was approved by the State Education Ministers, Conference in April, 1967 and by the Members of Parliamentary Committee on Education in July, 1967. The Conference of Vice-Chancellors which met in New Delhi from September 11-13, 1967 was in general agreement with the recommendation of the Education Commission with regard to the change-over in the medium of education and

recommended that the change over in the medium of education would be a major step towards improvement of higher education.

Endorsing the recommendation of the Vice-Chancellors' Conference, the National Policy on Education adopted by the Government of India emphasises the need for adopting Indian languages as media of education at the University stage on grounds of raising standards of education, spreading knowledge to the masses in order to reduce the gulf between the intelligentsia and the people and for accelerating the process of modernization. The National Policy on Education Resolution says : "The regional languages are already in use as media of education at primary and secondary stages. Urgent steps should now be taken to adopt them as media of education at University stage."

As essential requirement for effecting the change in the medium of instruction is production of quality literature in regional languages. Accordingly, the Government of India have drawn up a Centrally Sponsored Scheme included in the Fourth Five Year Plan under which assistance to the maximum of Rs. 1 crore spread over a period of six years (commencing from 1968-69) would be given to each State for the production of University level books in the regional languages.

In order to maintain standards, the process of change-over will be gradual and effected in a phased manner. Moreover this change is confined, for the present, to studies upto the first degree level. The second important consideration in this process of change-over is the need to strengthen the study of English side by side with the adoption of the regional medium.. In fact, as recommended by the Education Commission, English as an important library language will play a vital role in higher education for purposes of providing access to the growing knowledge of the world in all disciplines. Also, simultaneously with the implementation of our policy of adopting regional languages as media of instruction upto the first degree level, steps will be taken to minimise the obstacles in the way of the movement of teachers and students for one linguistic region to another. In view of the fact that the transition to regional languages as media of instruction will, for the present, be applied only upto the first degree level, the mobility of students and teachers at the post-graduate and higher levels of education is not likely to be affected. Moreover, specialised institutions and Central institutions functioning at the all-India or regional (as against State) levels are not included in the scheme for change in the media of instruction into regional languages.

कूबेरी पूमपट्टीणम में खुदाई

8998. **श्री सुब्रावेलू** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिल नाडू के कूवेरीपूमपट्टीणम में खुदाई कार्य किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार और गैर-सरकारी व्यक्तियों से इस उद्देश्य के लिए कितनी भूमि अर्जित की गई है ;

(ग) यदि व्यक्तियों से अर्जित की गई है, तो क्या कोई क्षतिपूर्ति दी गई ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्य व्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहाँआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए प्राइवेट व्यक्तियों से एक एकड़ भूमि तथा चार छोटे मकान अधिग्रहण किये गए हैं ।

(ग) जी हां। मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) भूमि तथा मकान का अधिग्रहण 12,535 रुपये की लागत से (3,155 रुपये भूमि के लिए और 9,400 रुपये मकान आदि के लिए) भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा किया गया था; तीन वर्ष की फसल के मुआवजे के रूप में 1,800 रुपये भी दिए गए हैं।

राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रखना

8999. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1969 में दिल्ली में हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस रखने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण अपनाया था; और

(ग) उपर्युक्त चर्चा के फलस्वरूप क्या निर्णय किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Vice-Chancellors' Conference in Delhi

9000. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri R. K. Sinha :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a Conference of the Vice-Chancellors of the Universities had been held in New Delhi recently ;

(b) if so, the problems of the Universities discussed therein and the solutions found thereto ; and

(c) the decisions taken in the said conference and the action being taken thereon ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir. A Conference of Vice-Chancellors of Universities was held at New Delhi from 21-23 April, 1969.

(b) and (c). A statement showing the decisions of the Conference is laid on the Table. [*Placed in Library. See* No. LT-1067/69.] These are now under examination.

Foreign Missionaries in N. E. F. A.

9001. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries still present in N. E. F. A. ; and

(b) the steps being taken to replace them by Indian missionaries ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : There is no foreign missionary at present in N. E. F. A.

(b) Does not arise.

महाराष्ट्र में पर्यटक केन्द्रों का विकास

9002. **श्री देवराव पाटिल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महाराष्ट्र में पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में केंद्र द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली महत्वपूर्ण पर्यटन विषयक स्कीमों में अजन्ता-एलोरा काम्लेक्स का समेकित विकास, बम्बई में अतिरिक्त पर्यटक सुविधायें तथा एलिफैन्टा गुफाओं में आवश्यक सुविधाओं की व्ययस्था सम्मिलित है। इन स्कीमों के विस्तृत ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग). प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय और रूसी मालवाहक जहाज के बीच टक्कर

9003. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी तथा एक भारतीय मालवाहक जहाज डार्डेनलन में टक्कर हो गई थी और वे क्षतिग्रस्त हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो टक्कर होने के क्या कारण थे; और

(ग) भारतीय मालवाहक जहाज को कितनी क्षति हुई ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां। 19 अप्रैल, 1969 को अर्धरात्रि के लगभग गेलिवोलु से दूर डार्डानलीप पर इंडिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के एस० एस० इंडियन ट्रेडर की एक रूस के जहाज 'सेवेरनी डोनेटस' के साथ टक्कर हुई जबकि जहाज एक चालक के चार्ज में था ।

(ख) और (ग). व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत जहाज के भारत में पहुंचने पर एक प्रारम्भिक जांच की जायेगी और इसके बाद टक्कर का कारण और किस हद तक एस० एस० इंडियन ट्रेडर को क्षति पहुंची है, मालूम हो जायेगा ।

Lotteries in Delhi

9004. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Shrama :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration has made a request to the Union Government for starting a Lottery ;

(b) if so, whether the Delhi Administration has been accorded permission to that effect ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) if so, the time by which the said permission would be given ; and

(e) if the permission has been accorded, the condition on which it has been given ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). The Delhi Administration has approached the Government for permission to organise lotteries in Delhi. The permission of the Government has been granted to the Delhi Development Authority to the occasional running of lotteries in Delhi, subject to the following two conditions :

(a) Tickets of the lottery will not be sold in another State without the express consent of the State Government concerned ;

(b) The net proceeds of lotteries will be spent only on such welfare scheme as have received the approval of the Government of India.

Islands Denoting Border of India

9005. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Suraj Bhan : Shri Ranjit Singh : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of all the small and big islands which denote the border of India ;

(b) whether some of these islands are uninhabited ; and

(c) if so, the names thereof and the arrangements made for their defence ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The island territories of the Indian Union comprise (1) islands in the Andaman and Nicobar Group, (2) islands in the Laccadive, Minicoy and Amindivi Group, and (3) the coastal and outlying islands in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. The big and inhabited islands fall mostly in the first group. The other islands are small and are either uninhabited or sparcely populated. The security of India's island possession is ensured by police, naval and air patrolling, as necessary.

Use of Beef in Government Hotels

9006. **Shri J. B. Singh : Shri Onkar Singh : Shri Sharda Nand : Shri Bansh Narain Singh : Shri Shri Gopal Saboo : Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that beef is served in Government hotels ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government would completely, ban the use of beef, tinned or otherwise, in Government hotels ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir, not in hotels under the Government of India.

(b) and (c). Do not arise.

Suggestion of Lt. Governor of Delhi for Dissolution of D. M. C.

9007. **Shri Onkar Singh : Shri Shri Gopal Saboo : Shri Sharda Nand : Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Lt. Governor of Delhi has recommended to Government a number of times from January, 1967 till date to dissolve the Delhi Municipal Corporation ;

(b) if so, the number of times he made the said recommendation and the reasons given by him in support thereof ;

(c) whether it is a fact that the Lt. Governor did not consulted the Executive Council of Delhi before making the said recommendation ; and

(d) if so, the reasons therefor and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The Lt. Governor of Delhi in two of his communications did express the view that the Delhi Municipal Corporation should be superseded on account of irregularities in the functioning of the Corporation noted by him. However, this was not a recommendation on behalf of the Delhi Administration. As such, the question of his consulting the Executive Council did not arise.

कुमारी अन्तरीप 'केप कमोरिन' के नाम में परिवर्तन

9008. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 'केप कमोरिन' के नाम को बदल कर कन्याकुमारी करने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्रामों, नगरों इत्यादि के नामों में परिवर्तन के बारे में प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। 'केप कमोरिन' के नाम बदलने का कोई प्रस्ताव गृह-मंत्रालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख). प्रश्न नहीं उठता।

Case Regarding Seizure of Copies of President Ayub Khan's Autobiography

9009. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4453 on the 13th December, 1968 and state :

(a) whether the latest information regarding the case under investigation the seizure of copies of President Ayub Khan's autobiography has been obtained ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the date by which it would be obtained ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The latest position is being ascertained from the State Government.

National Biological Laboratory

9010. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4440 on the 13th December, 1968 and state :

(a) whether the proposal for setting up of the National Biological Laboratory has since been considered ;

(b) if so, the location of the proposed laboratory and the estimated amount of expenditure in this regard ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the progress so for made in the matter ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). A meeting of Biologists in the country is proposed to be convened shortly to discuss all matters connected with the National Biological Laboratory.

Text-Books in Public Schools

9011. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Kumari Kamala Kumari :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3578 on the 6th December, 1968 and state ;

(a) the time by which Government would be able to collect the requisite information in respect of the convent schools or other schools having English medium which are affiliated to the Indian School Certificate Examination ;

(b) whether the object behind not giving information about these schools immediately is to encourage those schools as compared to the ordinary schools ; and

(c) if not, whether Government purpose to have all the text-books and other help-books prescribed in these schools, published in India as is done in the case of text-books prescribed for other schools ?

The Minister of Education Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). Information has now been received from the Council for the Indian School Certificate Examinations. It is not a fact that almost all text-books used in the schools affiliated to the Council are foreign publications. The Council prescribes text-books only for literature in English and for Hindi and Bengali at syllabus A level. In the case of other subjects, the schools are provided with syllabli only and the schools select such books as are easily available. Books for Indian languages are printed and published in India. As for literature in English, the council arranges with the publishers to issue Indian editions, as far as possible. However, in some subject, especially science, the Council considers the use of foreign text-books necessary at present.

There is no special quota of foreign exchange provided for purchase of foreign publications for use by students of these schools. Books are purchased by the schools and students directly from the booksellers.

The Council is an autonomous organisation. It has not submitted any proposal to the Government to have published in India all the text-books and other help-books prescribed in the schools affiliated to it.

Cabinet Committee Report on Aligarh Muslim University Act

9012. **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Edncqtion qnd Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 873 on the 23th December, 1968 and state :

(a) whether the Committee of the Cabinet has since submitted its report to the Cabinet in regard to the Aligarh Muslim University Act ;

(b) if so, whether a copy of the report would be laid on the Table of the House ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) and (c). The report of the Committe, which will be submitted to the Cabinet, cannot be laid on the Table of the Sabha as it will form a part of the proceedings of the Cabinet.

Pak Intrusions into Indian Territory

9013. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5349 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the number of persons, out of 4426 Pakistanis, who had intruded into the Indian territory during the period from December, 1967 to November, 1968, and who have been rounded up and the action being taken against them ;

(b) whether it is a fact that intrusions have taken place despite effective steps taken by the Government of India ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) the Pakistani intruders, numbering 4426, who were apprehended during the period from the 1st December, 1967 to the 30th November, 1968, were handed over to the concerned local police authorities, in each case, for further necessary action.

(b) and (c). The Border Security Force have established border out-posts at all important points along the Indo-Pak border. Regular and vigorous patrolling is being carried out on the border to check Pakistani intrusions. These measures have proved effective in preventing major intrusions. However, minor intrusions in the areas between two posts cannot always be prevented. On receipt of information of any such intrusion, immediate and vigorous action is taken to deal with the intruders.

Work in Hindi in Education Ministry

9014. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Kumari Kamala Kumari :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Educatioa and Youth Services** be pleased to state refer to the reply given to Unstarred Question No. 1859 on the 22nd November, 1968 and state :

(a) the total number of publications of his Ministry along with the number of those among them brought out in Hindi by the publications Unit and the reasons for bringing out the rest of them in Hindi when adequate staff was there ;

(b) the time when the demand for Service Books was sent and the reasons for not maintaining the Service Books in Hindi on the present English forms ; and

(c) the date on which the orders regarding Hindi Translators, Typists were received from the Ministry of Home Affairs and the date on which funds were asked for from the Ministry of Finance and whether arrangements have been made similar to those made in the Ministry of Home Affairs ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Six out of twenty publications have been brought out by the Publication Unit in Hindi also during 1968-69. Periodicals and other publications which are of a highly technical nature or are meant for a small specialised clientele, are generally brought out in English only. Periodicals of the popular type of booklets meant for large circulation within the country are brought out in Hindi also. The decision to bring out a publication in Hindi in addition to English is taken on merits in each case and the general policy is to speedily increase publications in Hindi and in other Indian languages.

(b) The requisition for billingual forms of Service Books was sent to the Government of India Forms Store, Calcutta, on 30-3-1968. The Service Books for Class IV employees could not so far be maintained in Hindi as the Ministry has no yet received them.

(c) Others regarding provision of translation arrangements were received from the Ministry of Home Affairs at the end of August, 1968. Proposal for creation of additional staff was initiated in October, 1968 in consulation with the Ministry of Finance. Three additional posts of Hindi translators and four posts of L. D. C's have been created recently. Creation of other posts is under discussion. As the nature of work in the Ministry of Education and Youth Services is different from those in the Ministry of Home Affairs, similar arrangements are not possible.

Work in Hindi in Education Ministry

9015. **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the outline of the extensive programme and according to that whether it is proposed to send Class I Officers for learning Hindi first to create healthy atmosphere :

(b) whether noting and drafting in Hindi has been introduced in all the Sections of the Administrative and Language Divisions ;

(c) If so, the names of the sections ; and

(d) the time when the orders were received from the Ministry of Home Affairs to get diglot forms etc. and the time when those were implemented ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) According to the phased programme 20% of the eligible employees are being deputed for training in Hindi every year, including Class I Officers.

(b) and (c). Not yet. However, simple noting and drafting is done in Hindi wherever conveniently possible in some of the Sections of these Divisions.

(d) Orders were first received from the Ministry of Home Affairs in October, 1964 and subsequently in August, 1968, on the basis of which indents for diglot forms, the printing of which is arranged by that Ministry, have been placed on the Government of India Forms Store, Calcutta, from time to time but no supplies of such forms as Service Books have yet been received. However, certain other forms being exclusively used in this Ministry are to diglot form.

Action against Delhi Police Personnel

9016. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Om Prakash Tyagi :
Kumari Kamala Kumari :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 879 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the number of Police personnel of Delhi against whom action has been taken in connection with the 60 cases brought to the notice of the Delhi Administration, the nature of action taken against them and the punishment awarded to them as a result thereof ;

(b) whether Government would examine the proposal for starting refresher course to ensure that the Delhi Police do not involve in the acts of crime and they are fully aware of the law and their duties ; and

(c) if not, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 60 Police personnel involved in these cases were placed under suspension. Of these 2 have since been dismissed, 11 were re-instated and 47 are still under suspension.

(b) and (c). Refresher courses and 'in service training' are a regular feature of the Delhi Police training programme.

Hotels in Public Sector

9017. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5258 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the names of hotels running in the public sector at present and the amount of income earned from each of them during the nine months of the year 1968-69 ; and

(b) the steps proposed to the taken by Government with a view to improve the condition of the hotels which seem to be running in loss ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The names of public sector hotels and the amount of income earned by each of them during April-December, 1968 are given below :

Names of the Hotel	Income	Expenditure	Revenue surplus (+) deficit (−)
		(In Lakhs of Rupees)	
Ashoka	106.70	102.06	(+) 4.64
Janpath	37.59	33.42	(+) 4.17
Ranjit	10.10	12.75	(−) 2.65
Lodhi	9.18	11.63	(−) 2.45

(b) Efforts are constantly being made to improve the management and standard of the service of the hotels. It is proposed to provide increased catering and dining facilities and to introduced new systems and procedures for billing, food and beverage control and also to undertake certain major renovations in the hotels.

Preparation and Publication of Terminology by C. S. T. T.

9018. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjit Singh :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayec :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present Chairman of the Commission for Scientific and Technical Terminology, has promised that the work relating to preparation and publishing of Terminology for all the subjects would be completed by 1st January, 1970 ; and

(b) if so, the details regarding the progress made so far the pending work ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) . (a) It has been decided, in consultation with the Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, that every endeavour should be made to complete the evolution of terminology by 1st January, 1970.

(b) The details of the progress made upto 31-1-1969 and that of the remaining work are as under :

Target	4,78,500
Terms evolved	2,96,902
Terms finalised	1,73,095*
Terms Published	2,00,000
Terms yet to be evolved	1,81,598 (Approx.)
Terms yet to be finalised	1,23,907 (Approx.)
Terms yet to be published	50,000

*This excludes 77,000 terms finalised and published upto graduate level. The total works out to over 2,50,000 terms finalised. The target may, however, have to be revised and reduced in certain subjects in due course.

Pricing of Books by C. S. T. T.

9019. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjit Singh :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of some books were fixed and the paper was purchased by the Commission for Scientific and Technical Terminology without the approval of Controllor of Printing ; and

(b) if so, the action taken and the preventive measures adopted in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The prices of books, brought out in collaboration with private publisher, are fixed in accordance with the price fixation formula approved by the Government. However, in the case of some of the books which were brought out by the Commission departmentally, the Chief Controller of Printing and Stationery had authorised the Commission to get them printed locally. As the expenditure on these publications was not required to be borne by the C.C.P. and S., the sale price of such books was fixed by the Commission itself. As regards the purchase of paper, it has been reported by the Commission that certain quantity of paper was purchased by it at ex-mill rates of books, which were allowed by the CCP and S to be printed locally, but without the approval of the

Controller of Printing and Stationery. The purchase of paper by the Commission locally without the approval of the Chief Controller of Printing and Stationery has been found to be irregular. The Commission has, therefore, been asked to initiate action to regularise this local purchase and to ensure that in future the prescribed procedure is rigidly followed.

Islands in Indian Territory

9020. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Suraj Bhan : Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of each of the Islands in the Indian territory ;

(b) the total area and population thereof ;

(c) the number of Middle and Higher Secondary Schools and Universities, separately, in each Island ;

(d) the places where law Courts, Hospitals and Post Offices have been provided in these Islands ; and

(e) the nature of economic development programme completed and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Attention is invited to reply given to part (a) of the Unstarred Lok Sabha Question No. 3433 answered on the 9th August, 1968.

(c) and (d). As in the annexure. [*Placed in Library. See* No. LT-1068/69.] Information from the Government of Maharashtra is awaited and will be laid on the Table of the House on receipt.

(e) Development plans of the concerned State Governments and Union Territories take into account the needs of these islands and ensure adequate development, within the available resources.

Nomination to I. A. S. by Jammu and Kashmir Government

9021. **Shri Suraj Bhan : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the name of the Officer out of those appointed to the Indian Administrative Service in Jammu and Kashmir, who was involved in the Kashmir Conspiracy case, and the details of the charges levelled against him at that time ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The name of the officer is Shri Mohd. Amin. The charge against him was that he was involved along with the other accused in the Kashmir Conspiracy Case. The case was later on withdrawn and the officer was exonerated of all the charges against him.

Arrest in Connection with Incidents in B. H. U.

9022. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Ranjit Singh : Shri Suraj Bhan : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of the persons

arrested in connection with the incidents in the Banaras University in November and December last, the nature of charges against them and the names of the organisation with which they were connected ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : A statement based on the information received from the State Government is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1069/69.]

प्राथमिक शिक्षा आयोग

9023. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिसमें एक प्राथमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति, उनके वेतनमानों और भत्तों में वृद्धि और राज्य विधान परिषदों के लिए अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनावों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को मताधिकार देने की मांग की है ;

(ख) उक्त मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बारे में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). जी हां, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के अखिल भारतीय संगठन ने एक प्राथमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की मांग की है, लेकिन अनेक कारणों से, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं, ऐसा करना उचित नहीं समझा गया है : –

विवरण

(1) प्राथमिक शिक्षा सहित स्कूल शिक्षा एक राज्य विषय है और यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझें, तो यह आयोग नियुक्त करना उनका काम है ।

(2) संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ग) के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

(3) ऐसे आयोग की नियुक्ति से शिक्षकों को कुछ आशाएं हो जायेंगी जब कि इसके द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए धन जुटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

(4) कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा सहित शिक्षा की सभी विभिन्न समस्याओं का हाल ही में व्यापक अध्ययन किया है । इसलिए प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक नया आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों का पुनरीक्षण

9024. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों

ग्रौर भत्तों का 1966 में पंजाब के पुनगर्ठन के समय से समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों ग्रौर भत्तों में स्वतः पुनरीक्षण हो जाता था ;

(ग) क्या पुनरीक्षण को स्वतः लागू करने की प्रथा कुछ समय से बन्द कर दी गई है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान्।

(घ) हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, मनीपुर, त्रिपुरा तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतनमान तथा भत्ते एक निर्दिष्ट निकटवर्ती राज्य में लागू वेतनमान भत्तों के नमूने पर ही बनाए गये थे। किन्तु यह ग्रनुभव किया गया कि जब कि इन संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा भत्तों का संशोधन इसी ग्राधार पर किया जाना जारी रहना चाहिए, इस संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतनमान तथा भत्ते केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन समान श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा भत्तों से ग्रधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए वेतनमानों तथा भत्तों के संशोधन के प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के ग्राधार पर जांच पड़ताल की जाती है।

पंजाब के जैतू रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर तथा वाटरमैन की हत्या

9025. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में जैतू रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर तथा वाटरमैन की कुछ नक्सलवादियों ने हत्या कर दी है ;

(ख) क्या ग्रपराधियों का पता लग गया है ; ग्रौर

(ग) पंजाब में ग्रनुमानतः कितने नक्सलवादी हैं ग्रौर उनकी क्या गतिविधियां हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ग्रौर (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के ग्रनुसार जिला फिरोजपुर में बुकाइनवाला रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ग्रौर एक वाटरमैन की 24 दिसम्बर, 1968 को डाकुग्रों द्वारा हत्या की गई थी। इस हत्या में उग्रवादी शामिल नहीं हैं। ग्रपराधी ग्रभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के ग्रनुसार पंजाब में लगभग 50 उग्रवादी हैं। वे माग्रोवादी साहित्य के वितरण तथा हिंसा की दो घटनाग्रों में ग्रस्त होने के कारण ध्यान में ग्राये हैं। इन घटनाग्रों के सिलसिले में मामले दर्ज किये गये हैं ग्रौर कानून के ग्रनुसार जांच की जा रही है।

चंडीगढ़ में धारा 144 का लगाया जाना

9026. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ में सार्वजनिक सभाग्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाकर पुनः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ में यह प्रतिबन्ध लगभग पूरे वर्ष लगा रहता है ; और

(ग) क्या चंडीगढ़ में कोई ऐसी गम्भीर स्थिति है, जिसके कारण यह प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सन् 1968 में कुल 233 दिन की अवधि के लिए चंडीगढ़ शहर के कुछ क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषधाज्ञा लागू नहीं । जब प्रदर्शनों इत्यादि के कारण शांति भंग होने की आशंका होती है तो ये आदेश लागू किये जाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती जाती है कि आदेश केवल उन क्षेत्रों में ही लागू हैं जहां गड़बड़ी का पूर्वानुमान होता है ; अन्य क्षेत्र आदेशों के प्रभाव से अलग रखे जाते हैं । इस समय चंडीगढ़ में कोई गम्भीर स्थिति नहीं है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत वहां कोई आदेश लागू नहीं है ।

लक्कादीव में अपराध

9027. **श्री प० मु० सईद :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में लक्कादीव में द्वीपवार कितने फौजदारी मामले दर्ज किये गये और कितने मामलों की जांच की गई ;

(ख) कितने मामलों के विषय में दोष सिद्धि हुई ; और

(ग) दर्ज किये गये और जांच किये गये सभी मामलों में क्या अपराध थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग): एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1070/69]

लक्कादीव द्वीपसमूह में पुलिस के सब इन्सपैक्टरों की भर्ती

9028. **श्री प० मु० सईद :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस उप-निरीक्षकों के संवर्ग के लिए केरल से लोगों को लाने की बजाय लक्कादीव द्वीप समूह के अर्हता प्राप्त निवासियों की सीधी भर्ती करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित आदिम जातियों के द्वीपवासियों के मामले में उप-निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए स्नातक पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होना पर्याप्त शैक्षणिक अर्हता नहीं समझी जाती है , और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमन् । भर्ती नियमों के अनुसार पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों के पद निकट राज्यों से प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा लक्कादीव प्रशासन के हैडकांस्टेबलों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए । यदि ये तरीके असफल हों, तो सीधी भर्ती की जानी होती है । अभी तक पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों की सीधी भर्ती के तरीके को अपनाने का अवसर नहीं आया है ।

(ख) और (ग). पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों के पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की आर्ट, साइन्स या कामर्स में बी० ए० की डिग्री निर्धारित शैक्षित अर्हता है। भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अधीन सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति। अनुसूचित आदिम जाति के उम्मींदवारों के लिए शैक्षित अर्हताओं में कोई छूट देना अनुज्ञेय नहीं है।

भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

9029. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीद, ठेकों, बिक्री और कर्मचारियों की भर्ती (500 रुपये मासिक से अधिक वेतन वाले पद) के लिए भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने समुचित नियम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन नियमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे नियम बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). इस प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया गया है लेकिन कर्मचारियों की भर्ती, खरीद, ठेकों तथा बिक्री के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है :—

(i) **कर्मचारियों की भर्ती** : 500 रुपए प्रतिमास से अधिक मूल वेतन वाले पदों को विज्ञापित किया जाता है और रोजगार दफ्तरों को भी उनकी अधिसूचना दे दी जाती है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के निदेशक मंडल के निदेशकों तथा प्रमुख उद्योगपतियों से भी उपयुक्त नाम सुझाने के लिए प्रार्थना की जाती है। उन पदों के लिए, जिनका अधिकतम वेतन 575 रुपए मासिक से अधिक होता है, चयन, निदेशक मंडल द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाई गई चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। उन पदों के लिए, जिनका अधिकतम मासिक वेतन 575 रुपए से कम होता है, कार्यकारी निदेशक द्वारा चयन किया जाता है। 2000 रुपए प्रतिमास से अधिक के वेतन वाले पदों पर, भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से नियुक्तियां की जाती हैं।

(ii) **खरीद** : सभी प्रकार की खरीद, सरकारी विभागों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार और कोटेशन तथा टेंडर उपलब्ध करने के बाद की जाती है। आमतौर पर निम्नतम कोटेशन और टेंडर मंजूर कर लिए जाते हैं। किन्तु, जब भी कभी ऊंचे टेंडर मंजूर किए जाते हैं तो क्रय प्राधिकारी अर्थात कार्यकारी निदेशक। सचिव द्वारा निम्नतम कोटेशन की उपेक्षा करने के कारण अभिलिखित कर दिये जाते हैं।

(iii) **ठेके** : राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने अभी तक कोई ठेका नहीं किया है।

(iv) **बिक्री** : बिक्री, विक्रय अभिकर्त्ताओं द्वारा कमीशन के आधार पर की जाती हैं। उत्पादों की कीमत निगम द्वारा निश्चित की जाती है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

9030. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के कार्य का कभी कोई सामान्य मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इनके कार्यकरण में त्रुटियों का पता लगाने तथा उसमें सुधार करने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के कार्य का कोई सामान्य मूल्यांकन नहीं किया है। निगम के निदेशक-बोर्ड से 31-12-1966 को हुई सामान्य निकास की बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में, अनुसंधान तथा विकास को और अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से निगम के कार्य का 1967 में पुनर्विलोकन किया था और निम्नलिखित सिफारिशें की थी :—

(i) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, व्यवसायिक मूल्यांकन के लिए, विशिष्ट विषयों में तथा क्षेत्रवार तकनीकी सलाहकार समितियों का गठन कर सकता है।

(ii) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम या कोई सक्षम प्राधिकारी विशेष मामलों में बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकता है।

(iii) ऐसे लाइसेंस जारी करने के काम को प्राथमिकता दी जा सकती है जो एक मात्र हो।

(iv) प्रयोगशाला स्तर से इस प्रक्रिया को हाथ में लेने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को अपने निजी खर्च पर या उद्योग के सहयोग से मार्गदर्शी संयंत्र बनाने चाहिए। ऐसा तकनीकी एवं आर्थिक सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

(v) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को जोखिम-निधि की व्यवस्था करनी चाहिए।

(vi) उपयुक्त मामलों में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम उद्योग शील लोगों को उनके द्वारा उठाए गए नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति देने के सवाल पर विचार कर सकता है।

(vii) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विकसित प्रक्रियाओं और उनके कार्यकलापों का और अधिक प्रचार करने पर जोर देना चाहिए।

(viii) कार्यकारी निदेशक को जल्द से जल्द नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

Arrest of A French National

9031, **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a French National had been arrested in January, 1969 when he was entering into the Indian territory through Hussainiwala in Pakistan territory ; and

(b) if so, the action taken by Government against him ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). One Mr. Dresco Jean Louis, a French National, was arrested at Hussainiwala border on 30-12-1968 as he was found in possession of one and a half kilograms of contraband charas. He was tried, convicted and sentenced to imprisonment till the rising of the court and to a fine of Rs. 300/- or in default to suffer rigorous imprisonment for sixty days. He paid the fine and was sent back to Pakistan on 6-2-1969.

Cattle Lifting by Pakistanies

9032. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian cattle driven away or stolen by Pakistanies during the last three years from the border areas of West Bengal, Punjab, Jammu and Kashmir and Rajasthan according to the information supplied by the State Governments and through their own sources ; and

(b) the steps being taken to check such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to the information received from the Governments of West Bengal, Punjab, Jammu and Kashmir and Rajasthan, the number of cattle driven away or stolen by Pakistanis during the period from 1st January, 1966 to the 31st December, 1968. is 15583. The figure given for the same period by the Border Security Force, based on the cases recorded by the border outposts, is 5328. This does not include all cases reported to the State Police.

(b) Regular and intensive patrolling is being carried out by the Border Security Force.

Canteens Run by Central Government Departments

9033. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Canteens run by the various Central Government Departments ;

(b) the total number of employees working therein ; and

(c) the scales of pay of these employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :

(a) 418 These figures do not include the canteens in the Defence establishments outside Delhi.

(b) 2,740

(c) Statement showing :

(i) Scales of pay of canteen employees and

(ii) benefits other than pay, in cash and kind, admissible to various categories of canteen employees,

are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1071/69.]

Passengers Carried by I. A. C.

9034. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of passengers carried by the Indian Airlines during the financial year 1967-68 ; and

(b) the number of foreign nationals among them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) 16,57,671.

(b) This information is not available as Indian Airlines do not maintain records along these lines.

Surrender by Hostile Mizos/Nagas

9035. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of hostile Mizos and Nagas surrendered before the Indian Security Forces and the authorities of the State Government in July, August, September and October, 1968 ; and

(b) the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The number of Mizos and Nagas who surrendered during the period is given below :

Month	Mizos	Nagas
July, 1968	16	15
August, 1968	7	10
September, 1968	782	35
October, 1968	615	83
Total	1,420	143

(b) A reference is invited to answer given to part (e) of U. S. Q. No. 7632 in the Lok Sabha on 25-4-1969.

संघ लोक सेवा श्रायोग द्वारा सलाह देने में विलम्ब

9036. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा श्रायोग को सलाह देने के लिए भेजे गये बड़ी संख्या में मामलों पर श्रायोग द्वारा सलाह देने में श्रावश्यक विलम्ब किया जाता है ; श्रौर

(ख) यदि हां, तो श्रायोग द्वारा इस विलम्ब को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) श्रौर (ख). संघ लोक

सेवा आयोग को सलाह के लिए बड़ी संख्या में भेजे गये मामलों में उनकी ओर से सलाह देने में अनुचित विलम्ब नहीं होता है। फिर भी, अनेक मामलों में आयोग मुख्यत: पहली बार पूरे कागजात और ब्यौरे न मिलने के कारण, भर्ती इत्यादि के विषय में अग्रिम योजना की कमी इत्यादि के कारण, अपनी सलाह शीघ्र नहीं दे सका। आयोग अपने संगठन और कार्य-प्रणाली का पुनरीक्षण लगातार करता है ताकि मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो।

क्रान्ति के नेताओं के आश्रितों को दिये जाने वाले भत्ते

9037. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रान्ति के नेताओं के उन आश्रितों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत सरकार की ओर से अनुग्रह भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि दी जा रही है ; और

(ग) यह भत्ता किस आधार पर दिया जाता है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी की स्मृति-उत्सव में, जो अगस्त 1957 में मनाया गया था, भारत सरकार ने उन व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को जीवन पर्यन्त या विवाह तक के लिये कुछ मासिक भत्ते स्वीकृत किये जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लिया था। अनुदान-ग्राहियों के ब्यौरों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1072/69**]

दिल्ली नगर निगम को निर्दिष्ट करों का भुगतान

9038. श्री **यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के महापौर ने मनोरंजन कर तथा मोटर गाड़ी कर जैसे निर्दिष्ट करों सम्बन्धी नगर निगम के दावों के निपटाये जाने में उनकी सहायता मागी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किस तरह की सहायता दी गई थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). महापौर ने कुछ निर्दिष्ट करों के बकाया के बारे में लिखा था और यह सुझाव दिया था कि किसी वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों में उस वर्ष के करों को उसी वर्ष में वसूली की यथासम्भव निकटतम राशि की व्यवस्था हो। ऐसे अनुदेश निकाले गये हैं ताकि एक वर्ष में अन्तिम भुगतान, संशोधित प्राक्कलनों में यथोल्लिखित वसूली का रूप तथा उस वर्ष के लिये वास्तविक वसूली के सन्दभ में गत वर्ष में किये गये भुगतान, का समायोजन, दोनों पर ध्यान जाय। मोटर-गाड़ी कर का बकाया गत वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था।

रूस के साथ वैज्ञानिकों, पत्रकारों, लेखकों, चिकित्सकों के प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान

9039. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और भारत के बीच वैज्ञानिकों, पत्रकारों, लेखकों तथा चिकित्सकों के प्रतिनिधि मण्डलों के आदान-प्रदान के बारे में कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मोटी रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी नहीं। 1968-69 वर्ष के लिए पिछले भारत-रूसी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर मई 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि 31-3-69 को समाप्त हो गया।

तथापि, 1969-70 के लिए नये कार्यक्रम के बारे में पत्र-व्यवहार चल रहा है और उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

लक्कदीव द्वीपसमूह में वेतनों में विषमतायें

9040. **श्री म० मु० सईद** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्कदीप द्वीपसमूह में अमीनों और करानियों के वेतनों में विषमता है चाहे वर्तमान नियमों के अन्तर्गत उनका दर्जा और कार्य समान है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है और कब ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). लक्कदीव प्रशासन में अमीनों और करानियों के पदों से संलग्न वेतनमान क्रमशः 80-1-85-2-95 रुपये तथा 75-1-85 द० रो० 2-89 हैं। अमीनों तथा करानियों के कार्य पूर्णरूप से समान नहीं हैं जहां तक कि लक्कदीव मिनीकाय अभिनदीव द्वीपसमूह भू-राजस्व तथा काश्तकारी विनियम, 1965 के अधीन करानियों को अभी तक अमीनों के कार्य नहीं सौंपे गये हैं। फिर भी, इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है और अधिकारियों के दो वर्गों के कार्यों तथा वेतनों में विषमता के दूर करने के प्रश्न की जांच हो रही है।

Republic Day Parades, 1969

9041. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs be pleased** to state :

(a) the number of Police officials and jawans whose services were utilised at the time of the Republic Day Parade on the 26th January, 1969 ;

(b) the number of jawans of Home Guard who were posted for keeping peace and order, in addition to the Police jawans ; and

(c) the number of first aid centres set up ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A force consisting of 81 Gazetted Officers and 8011 non-gazetted ranks of Delhi Police was detailed in connection with the arrangements for the Republic Day Parade on the 26th January, 1969.

(b) 2263.

(c) 21 first aid posts were set up by the St. John Ambulance Brigade and one post each by the Willingdon Hospital and Safdarjang Hospital. In addition 4 first aid posts were established by the Army Medical Units apart from 2 Medical Inspection rooms established in camps in connection with the Republic Day Parade.

Demand for Wireless Sets and Arms to Combat Dacoit Menace in Madhya Pradesh

9042. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have asked the Central Government to supply latest wireless sets and arms to combat dacoit menace in the State ; and

(b) if so, the number of wireless sets asked for and the time by which they would be supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rights of Hindi-Speaking Minorities in Punjab

9043. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Legislative Assembly of Punjab has passed the Punjab State Language Act according to which Hindi-speaking people, who are in minority do not have any right ;

(b) whether it is also a fact that if they apply in Hindi, they will not be replied to in Hindi and all the official work will be carried on in Punjabi only ;

(c) whether it is also a fact that the Sachar formula is only on paper and the Sikh Headmasters of schools do not allow Hindi to continue ; and

(d) if so, the action taken by the Central Government to safeguard the constitutional rights of 40 per cent of the Hindi-speaking people of Punjab ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The virtue of the Punjab Official Language Act passed in December, 1967, Punjabi was adopted as the official language of the State.

(b) Replies to letters received from individuals in different languages are given in the official language of the state.

(c) No, Sir. Hindi is taught as a compulsory subject in all schools, in some from the 3rd and in the others from the 4th class.

(d) Does not arise.

पंजाब में भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकार

9044. **श्री राम गोपाल शालवाले :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 मार्च, 1966 को पंजाबी सूबे के निर्माण की घोषणा करते

हुए तत्कालीन गृह-कार्य मन्त्री ने कहा था कि पंजाब में भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जायगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस राज्य में सरकारी कार्यालयों के नाम बोर्डों तथा सड़कों पर मील-पत्थरों पर से हिन्दी को समाप्त किये जाने को देखते हुये वहां आम जनता के अधिकार अब सुरक्षित नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भाषायी अल्प संख्यकों को दिये गये वचनों को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 21 मार्च, 1966 को लोक सभा में तत्कालीन गृह मन्त्री द्वारा दिये गये अपने वक्तव्य में अन्य वातों के साथ-साथ यह कहा था कि भाषायी अल्प संख्यकों तथा अन्य के हितों तथा वैद्य अधिकारों की रक्षा निस्सन्देह एककों में की जायगी ;

(ख) और (ग). पंजाब सरकार की एकमात्र सरकारी भाषा गुरमुखी लिपि में पंजाबी है और वह सभी सरकारी कार्यों के लिये प्रयोग में लाई जा रही है । फिर भी, राज्य सरकार ने फैसला किया है कि केन्द्रीय सरकार और हिन्दी भाषी राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग किया जायगा । सरकारी दफ्तरों में नाम-पट्टों को, जो पहले अधिकांश अंग्रेजी में थे, बदल कर पंजाबी में कर दिया गया है । जी० टी० रोड के अतिरिक्त सड़कों पर, मील-पत्थर पर दूरी तथा यातायात सकेत पंजाबी में है । इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका परिणाम सामान्य जनता के अधिकारों के अनिक्रमण में निकला है । इसके अलावा, भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये संविधान के अन्तर्गत उपबन्धित संरक्षणों पर भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त द्वारा नजर रखी जाती है जो उसके बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जो संसद् में रखे जाते हैं । पंजाब सरकार ने एक वरिष्ट अधिकारी जो विशेष अधिकारी के नाम से भाषायी अल्प संख्यकों के संरक्षणों के कार्यन्वयन को देखने के लिये मनोनीत किया है ।

परिवहन तथा संचार सम्बन्धी समिति

9045. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकाक में एशिया तथा सुदुरपूर्व आर्थिक आयोग की परिवहन तथा संचार सम्बन्धी समिति के उद्घाटन के समय क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया था ताकि एशिया तथा सुदूर पूर्व का आर्थिक विकास तेजी से हो सके ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) क्या भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने यह नोट किया कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के तुरंत विकास के लिए इकाफे के सदस्य देशों द्वारा जब यह विचार पूरी तरह से स्वीकार किया जा रहा है । तदनुसार समिति

ने सिफारिश की कि 1969 को इकाफे द्वारा एक तीव्र क्षेत्रीय सहयोग वर्ष की संज्ञा दी जानी चाहिए। जिससे दूसरे संयुक्त राष्ट्रविकास दशाब्दी के लिए निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश पूरी तैयारी कर सके। समिति ने अनुभव किया कि चूंकि विभिन्न राष्ट्र विकास योजनाओं के द्वारा परिवहन क्षेत्र में भारी पूंजी लगाई जा रही है अतः देशों के बीच निकटकर सहयोग की आवश्यकता बढ़ रही है जिससे क्षेत्र के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन योजनाओं में समुचित और एकता प्राप्त की जा सके।

समिति ने आगे विस्तृत क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण के महत्व पर और चुनी हुई परियोजनाओं के विशिष्ठ शक्यता अध्ययनों के प्राथमिक आधार पर शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ऐसे सर्वेक्षण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बहु-संस्थानिक सहायता के महत्व पर बल देते हुए समिति ने इस विचार का समर्थन किया कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथा संभव अधिक सहायता देने वाले संगठनों का सहयोग होना चाहिए।

(ग) जी हां।

Arrest of Spies in Bhatinda

9046. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain objectionable documents, containing sufficient proofs of espionage being carried on against India, were recovered from the possession of some persons who had been arrested in Bhatinda in February, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that there were some women also among the persons arrested ; and

(c) the number of persons arrested, the nature of the objectionable documents recovered and the action taken by Government in this connection ?

She Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir ; a reference is however invited to Answer since to the Unstarred Question No. 9093 to day in the Lok Sabha.

(b) and (c). Does not arise.

नेफा मुख्यालय का स्थानान्तरण

9047. **श्री क० लकप्पा** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री बलराज मधोक :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेफा मुख्यालय को शिलांग से किसी अन्य स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये वर्ष 1968 में किसी समय कोई समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिश की गई है ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सन् 1967 में सरकार ने नेफा के अन्दर नेफा प्रशासन के नये मुख्यालय के लिये उपर्युक्त स्थान चुनने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने दिसम्बर, 1967 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इस प्रयोजन के लिये तीन सम्भावित स्थानों का सुझाव दिया, अर्थात (1) सुबंसिरी जिले में बन्दरदेवा (नेफा), (2) लिखाबाली तथा (3) सियांग जिले में बसा। लिखाबाली का स्थान छोड़ दिया गया क्योंकि यह असम राज्य के क्षेत्राधिकार में पड़ता है तथा नेफा में स्थान की माँग को स्पष्ट रूप से पूरा नहीं करता। सरकार बन्दरदेवा और बसर में नये स्थानों पर नया मुख्यालय बनाने की तुलनात्मक लागत मौसम विज्ञान विभाग और भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परामर्श से जांच कर रही है। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का विचार है कि इन दोनों स्थानों में से किसी पर ईंटों का स्थायी भवन बनाना खतरनाक होगा क्योंकि ये दोनों भारी भूकम्पीय क्षेत्र में पड़ते हैं। भवन निर्माण, जो इस क्षेत्र में अत्याधिक उपयुक्त होगा, की आगे जांच अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था तथा अन्य संगठनों के परामर्श से की जा रही है। किन्तु स्थान का अन्तिम चुनाव उस अधिकरण स्तरीय परिषद् (ऐजेन्सी लेवल कौंसिल) की सिफारिशों पर निर्भर करेगा जिसके 2 अक्टूबर, 1969 को गठित होने की सम्भावना है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे गये मामले

9048. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1968 में संबंधित विभागों को 114 मामले भेजे थे कि दुराचरण तथा भ्रष्टाचार के आरोप के दोषी अफसरों के विरुद्ध वे विभागीय कार्यवाही करें ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने संबंधित विभागों को 1968 में कितने मामले भेजे थे ; और

(घ) कितने मामलों में विभागों ने कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय जाँच विभाग के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान प्रभाग ने नवम्बर, 1968 में सम्बन्धित विभागों को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये 114 मामले सूचित किये थे।

(ख) अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 114 मामलों में से 3 मामलों को दण्ड देकर समाप्त किया गया है और 111 मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) 1968 के वर्ष में केन्द्रीय जांच विभाग के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान प्रभाग ने सम्बन्धित विभागों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए 1246 मामले सूचित किये थे।

(घ). अब तक की प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 185 मामलों में फैसला किया गया गया है। इनमें से 170 में दण्ड दिया गया और 15 में आरोप-मुक्त किया गया।

सीमा विवाद को हल करने के लिए महाराष्ट्र तथा मैसूर के मुख्य मंत्रियों की बैठक

9049. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने सीमा विवाद को जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 1969 में बम्बई में हिंसात्मक दंगे हुए हैं, हल करने के लिए महाराष्ट्र तथा मैसूर के मुख्य मन्त्रियों की बैठक आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस विवाद को निबटाने के लिये केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस जटिल व नाजुक समस्या का शीघ्र हल ढूंढ़ने के प्रयत्न जारी हैं ।

दिल्ली में मोटर गाड़ियों की चोरियां

9050. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कितनी कार, स्कूटर, मोटर साइकिल तथा साइकिलें चोरी गईं ;

(ख) इनमें से कितनी मोटर गाड़ियां इस बीच बरामद की गई ;

(ग) कितने व्यक्तियों तथा गिरोहों को क्रमशः गिरफ्तार किया गया ; और

(घ) इन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख)

गाड़ियों की संख्या

	चोरी हुई	अब तक बरामद हुई
कारें	238	225
स्कूटर	191	152
मोटर साइकल	54	42
साइकिल	2246	293

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1073/69**]

जीरा नदी पर पुल

9051. **श्री श्रद्धाकर सूपाकर** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर उड़ीसा में बारगढ़ नगर के निकट जीरा नदी पर सड़क पुल की हालत बहुत खराब है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत के लिए अथवा उक्त नदी पर दूसरा पुल बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह):
(क) जी, हां ।

(ख). जीरा नदी के ऊपर वर्तमान पुल के स्थान पर जनवरी, 1969 में नये पुल के निर्माण के लिये 18,76,500 रुपये का एक प्राक्कलन मंजूर किया गया था । कार्य के निष्पादन के लिये ऐजन्सी उड़ीसा राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग नियत कर रही है जिसने कार्य के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्ण होने की अवधि 20 महीने रखी है ।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

9052. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार के कितने अधिकारियों की पहली बार पुनर्नियुक्त की गई ; और

(ख) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार के कितने सेवा-निवृत्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उर्दू के लिये पाठ्य पुस्तक समिति

9053. **डा० सुशीला नैयर** : **श्री श्रीधरन** :
श्री क० लकप्पा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 29 नवम्बर, 1969 के उर्दू के लिए पाठ्य पुस्तक समिति के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 434 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू के लिए विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए एक समन्वय समिति बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ।

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) समिति के कब तक बन जाने की सम्भावना है तथा समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). श्री जी० एम० सादिक की अध्यक्षता में, एक समन्वय समिति स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है। इसके स्थान पर, सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर की उर्दू पुस्तकों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है। यह निर्णय 23 अप्रैल, 1969 को नई दिल्ली में हुए, सम्बन्धित राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों, उप-कुलपतियों तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में किया गया है।

अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए परमिट

9054. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए परमिट दिये जाने के आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिये मार्गवार तथा क्षेत्रवार अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन आयोग की दो "बैंच" बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख). अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को अतिरिक्त शक्तियां देकर पुनर्गठित और सशक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

हवाई अड्डों पर सुविधा देने सम्बन्धी प्रक्रिया

9055. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के एक दल ने हवाई अड्डों पर सुविधा देने सम्बन्धी प्रतिक्रिया को सरल बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार को दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार के क्या विचार हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था (आई० ए० टी० ए०) का एक सरलीकरण दल (फेसीलिटेशन टीम) 6 फरवरी, 1969 को सरलीकरण विषयक उच्च-स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों से मिला।

(ख) आइ० ए० टी० ए० दल द्वारा निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे:—

(1) विमानों के निष्कीटीकरण (डिसिन्सेक्टाइजेशन) की डी० डी० वी० पी० प्रणाली का जारी किया जाना।

(2) स्वास्थ्य और आप्रवास सेवाओं का एकीकरण।

(3) शुल्क-मुक्त सामान वाले यात्रियों की शीघ्रता निकासी के लिये उतरने वाले यात्रियों की निकास प्रणाली व्यवस्था करना ।

(4) स्वास्थ्य प्रपत्रों (हेल्थ फार्मों) का सरली करण ।

(5) यात्रियों के सामान के बारे में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रवेश-पत्र (गेट पास) जारी करने की प्रणाली का हटाया जाना ।

(6) यात्री माल सूची (पैसेंजर मैनिफेस्ट) का हटाया जाना ।

(7) एयर क्राफ्ट कनटेनरों और ग्राउण्ड हैण्डलिंग उपस्कर के आयात को सीमा शुल्क से मुक्त करना ।

(8) यात्रियों को शुल्क-मुक्त शराब की अनुमति से सम्बन्धित नियमों को उदार बनाना ।

(ग) उपरोक्त सुझावों में से अधिकांश को, यदि वे व्यवहार्य पाये जाते हैं तो, भारत में क्रियान्वित किये जाने वाले सरलीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है । मद-वार वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) यह स्वीकार्य है ।

(2) आसन्न भविष्य में चालू किये जाने वाले जम्बो जेट विमानों के सन्दर्भ में इसकी जाँच की जायेगी ।

(3) इसको सिद्धांत रूप में मान लिया गया है ।

(4) स्वयं व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य और मूल स्थान के बारे में की जाने वाली घोषणा के फार्म के सरलीकरण को मान लिया गया है ।

(5) प्रश्न की अभी जाँच की जा रही है ।

(6) यात्री माल सूची (पैसेंजर मेनिफेस्ट) प्रणाली को समाप्त कर देने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिये, कुछ काल के लिए भीतर आने वाली उड़ानों के सम्बन्ध में इस सम्पन्न प्रक्रिया-को प्रयोगात्मक रूप से चालू करना तै किया गया है ।

(7) इसकी अभी जांच की जा रही है ।

(8) यात्रियों द्वारा लाई गई शराब की मात्रा की छूट को उदार रूप देने की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब इस विषय में पर्यटकों से सम्बन्धित नियम दूसरे देशों में प्रचलित सामान्य प्रथा से मेल नहीं खाते । इस आधार पर, उदारीकरण का कोई मामला नहीं तैयार किया गया है ।

Change in Education and Young Generation

9056. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news-item under the heading "Shiksha men Parivartan aur Yuva Pirhi" (change in education and young

generation) published on page 5 of the Hindi daily "Aj" dated the 11th February, 1969 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1074/69.]

राज्यपालों को बदलने के लिए मांग

9057. **श्री बें० कृ० दासचौधरी :**　　　　**श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :　　　　**श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यपालों को बदलने के लिए राज्य सरकारों की मांग स्वीकार करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या राज्यपालों की नियुक्ति से पहले मुख्य मंत्रियों का परामर्श लिया जाता है ; और

(ग) किन राज्यों ने राज्यपालों को बदलने के लिये केन्द्र से कहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा पर पांच वर्ष की अवधि के लिये पद पर बने रहते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति अथवा उन्हें हटाने के मामले में संविधान राज्य सरकारों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। अतः राज्यपालों को बदलने के लिये राज्य सरकारों द्वारा की गई मांगों से निपटने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी नीति के अपनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) एक अतिरिक्त संवैधानिक प्रथा के रूप में किसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री से अनौपचारिक रूप से परामर्श किया जाता है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल को बदलने के लिये कहा था। अन्य किसी राज्य सरकार ने राज्यपाल को बदलने के लिये नहीं कहा है।

लमलोंग के निकट विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़

9058. **श्री बलराज मधोक :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं के एक दल ने, जिसके पास स्वचालित हथियार थे, 12 जनवरी, 1969 को अपर बर्मा की सीमा पर मनीपुर के तेंगनोपाल सब डिवीजन में लमलोंग के निकट सीमा सुरक्षा दल की एक गश्ती टुकड़ी पर अकस्मात हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 12 जनवरी, 1969 को मनीपुर के तेंगनोपाल सह-डिविजन में बर्मा सीमा के निकट सुरक्षा दलों की एक मुठभेड़ नागा विद्रोहियों से हुई थी। दोनों ओर से गोलियां चलाई गई और विद्रोही बच कर सीमा पार कर गये। सुरक्षा दलों ने दो बन्दूकें और एक राइफल बरामद की थी। विद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने के लिये निरंतर सतर्कता बरती जा रही है।

Changes in Present System of Examination

9059. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether in a statement made by him, as reported in the Daily Hindustan of the 1st March, 1969, he had supported the demands of the students for the change of old rules in respect of attendance in classes and the present system of examination and had added that the existing arrangements were not only unuseful in the changed conditions but also seemed to be improper from the educational point of view ; and

(b) the action proposed to be taken by Government to improve the situation ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) While inaugurating a seminar on examination reform and compulsory attendance in the University of Delhi on 1st March, 1969, I made a suggestion to the effect that it is not necessary for post-graduate students to fulfil the attendance requirements. In my opinion, abolition of the present system would be one useful way for promoting the efficiency of higher education. I also suggested certain measures of reform in the present examination system.

(b) Several Commissions and Committees have made recommendations regarding examination reform at university stage. These include increase in emphasis on internal examination, improvement of question-papers and their marking, and spacing of examinations to avoid concentration at the end of the final year. The U. G. C. has recently set up a Committee to encourage selected universities to introduce specific measures of examination reform.

The question of examination reform was also discussed in the recent conference of Vice-Chancellors held on April 21-23, 1969. The recommendations of the conference will soon be circulated to all the Universities who are mainly concerned with their implementation.

The question whether attendance of students at lectures should not be compulsory is a matter for the Universities to decide.

Maximum Age Limit for Appearing in the U.P.S.C. Examination

9060. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the maximum age limit for the Central Government employees intending to take the Union Public Service Commission Examination is 35 years ;

(b) whether it is also a fact that the said facility has not been given to the State Government employees intending to take the said examinations ;

(c) if so, whether Government propose to give them also the same facility ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There is no uniform age limit applicable for admission to the various competitive examinations conducted by the UPSC. However, rules for some of the examinations (e.g. Stenographers' and Clerk's grades examination) provide for age concession upto 35 years in respect of certain categories of Central Government employees subject to certain conditions.

(b) Yes, Sir,

(c) No such proposal is under consideration now.

(d) Rules for the various competitive examinations conducted by the Union Public Service Commission do not provide for age concession in favour of the generality of Central Government employees. Where some age concession is given to Central Government employees for admission to a competitive examination, the con- cession is confined to certain specified categories of Central Government employees and is not allowed to all Central Government Servants in general. In the circumstances, the question of granting age relaxation to persons serving under State Governments for competitive Examinations held by the U. P. S. C. does not arise.

Release of Land Acquired by Aligarh Muslim University

9061. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister **of Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the land of the farmers of village Baraula Jafrabad, Tehsil Kaul (Aligarh) was acquired by the Aligarh Muslim University in 1925 ;

(b) whether it is also a fact that this land was acquired for the purpose of constructing the buildings for Senate House, University, Library Technical Training Institute and Engineering College put instead the said land is being utilized as the agriculture farm of the said University ; and

(c) if so, the reasons thereof and the reasons for not restoring the occupancy of the said land to the farmers ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). In accordance with an agreement entered into between the Secretary of State for India and the Aligarh Muslim University in July, 1925, the University acquired 94 acres of land in village Barola Jafrabad in 1930 for the purpose of constructing certain University buildings, water works, gardens etc, The land was, however, actually taken possession of by the University only in 1958-59 on account of the litigation during the intervening years. The University has already constructed certain buildings and staff quarters on this land and is also using it for agricultural purposes.

(c) On account of the continuous litigation and certain other administrative factors, the University has not been able to utilize the entire land for construction of buildings so far. The question of restoration of the land to the farmers does not arise as no such rights have accrued to them.

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्था

9062. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1964 में भोपाल में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्था का एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया था और यह केन्द्र बहुत उपयोगी कार्य कर रहा है तथा मध्य प्रदेश की कुछ समस्यायें हल करने में बहुत सहायक रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार इस केन्द्र को बन्द करने जा रही है जिसके कारण मध्य प्रदेश को नदी जल दूषण, जल तथा मल-मूत्र शोधन आदि सम्बन्धी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि इस क्षेत्रीय केन्द्र का समुचित विकास किया जाये तो इससे न केवल मध्य प्रदेश अपितु पड़ोसी राज्यों को भी लाभ होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 19‌‌1 में भोपाल में एक फील्ड केन्द्र स्थापित किया गया था ।

(ख) संस्थान की कार्यकारी-परिषद ने सिफारिश की थी कि भोपाल का फील्ड केन्द्र बद कर दिया जाये क्योंकि (i) खर्चे का औचित्य बताने के लिए काफी काम नहीं था, और (ii) नागपुर की मुख्य संस्था से, जब भी जरूरी हो, मोबाइल (गश्ती) फील्ड यूनिटों को भेज कर, मध्य प्रदेश क्षेत्र के कार्य को सुविधापूर्वक चलाया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश सरकार ने इस केन्द्र को बन्द करने के विरुद्ध वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) को लिखा है । कार्यकारी परिषद् द्वारा इस मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है ।

(ग) भोपाल में फील्ड केन्द्र का विस्तार वांछनीय नहीं समझा गया है । पब्लिक हैल्थ इंजीनियरी एक बहुद्देशीय विषय है और इसके लिये विशेषज्ञ तथा उसके अनुरूप तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता होती है । सभी प्रकार के कर्मचारियों को किसी फील्ड केन्द्र पर नहीं भेजा जा सकता और इसीलिये जिनमें बड़े अनुसंधान की मुख्य-समस्यायें-नागपुर की मुख्य संस्था में ही सुलझाई जा सकती हैं । फील्ड केन्द्रों का लक्ष्य अनिवार्यतः सीमित है और उनके विस्तार से दुहरा काम होगा जबकि मुख्य संस्था में सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यक्रम

9063. **श्री जी० सी० दीक्षित** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तेरह वर्षों के अन्दर जब कि मध्य प्रदेश का नया राज्य बना था, तबसे अब तक सड़क निर्माण कार्यक्रम पर केवल कुल 31.18 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं अर्थात 72 लाख रुपये प्रति जिले पर व्यय किये गये जो बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश के डाकुओं से पीड़ित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार को धन के लिए मांग

9064. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश के डाकुओं वाले क्षेत्रों में डाकुओं के विरुद्ध कार्य-वाही करने और उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये सड़कों का विशेष महत्व है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार के उक्त उद्देश्यों के लिये राज्य की योजना के अतिरिक्त विशेष राशि की मांग की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

भारत के व्यापार के लिए आधुनिक वाणिज्यिक जहाज

9065. **श्री बेणी शंकर शर्मा** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बलराज मधोक :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के व्यापार के लिये आधुनिक वाणिज्यिक जहाज प्राप्त करने के लिये प्रयास किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वे कब तक प्राप्त हो जायेंगे ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) से (ग). जी, हां । तीसरी योजना काल के समाप्ति के बाद तीन वर्ष के दौरान भारतीय वाणिज्यिक बेड़े में कुल 4.99 लाख जी और टी के 35 नये और आधुनिक जहाज और आ गये हैं । इसके अतिरिक्त लगभग 6.21 लाख जी आर टी के 35 नये जहाजों 31-3-69 को पक्के आदेश दिये जा चुके थे । इनकी 1969 और 1972 के बीच मिलने की सम्भावना है ।

उपाध्याय की हत्या की जांच

9066. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के सम्बन्ध में की जाने वाली जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वाराणसी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) के न्यायालय में 4 मई, 1968 को एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसने वह मामला 6 अगस्त, 1968 को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में विद्यार्थियों को छुरे मारना

9067. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली में दिल्ली प्रदेश विद्यार्थी कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में 2 मार्च, 1969 को कुछ शरारती व्यक्तियों ने एक विद्यार्थी को छुरा मार कर तथा एक और की मारपीट करके गड़बड़ कर दी थी ;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रदेश विद्यार्थी कांग्रेस की एक बैठक में, जो कि 2 मार्च, 1969 को नई दिल्ली स्थित विट्ठलभाई पटेल हाउस में हो रही थी, दो गुटों में हाथापाई होने के परिणामस्वरूप पूरी हुए बिना उठ गई । किसी को भी छुरा नहीं भौंका गया था । पुलिस द्वारा की गई जांच से किसी हस्तक्षेप अपराध का किया जाना प्रकट नहीं हुआ ।

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के बीच कर्मचरियों का बटवारा

9068. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के बीच कर्मचारियों के अन्तिम रूप से बटवारे का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है ;

(ख) इस दिशा में सम्बन्धित राज्यों की सिफारिशों को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पुनर्गठन की प्रक्रिया में अन्तर्ग्रस्त कुछ 57 विभागों में से 53 विभागों के सम्बन्ध में अन्तिम आवंटन आदेश जारी कर दिये गये हैं। एक और विभाग के कर्मचारियों के अन्तिम आवंटन आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे।

शेष तीन विभागों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारें मामले पर विचारार्थ तथा भारत सरकार को उपर्युक्त सिफारिश करने के लिए मुख्य सचिवों की समिति के समक्ष रखवाने के लिए कार्यवाही कर रही है।

पालम हवाई अड्डे पर टेंडर मांगे बिना दुकानों का आवंटन

9069. **श्री दी चं० शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर नये भोजनालय और अल्पाहार गृह के स्थान टेंडर आमंत्रित किये बिना ही किराये पर दिये गये थे ;

(ख) क्या स्थानीय भोजनालयों के मालिकों ने इस मनमाने आवंटन का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पालम हवाई अड्डे पर खानपान का ठेका मेसर्स वोल्गा रेस्टोरेन्ट को प्राप्त हुए टेंडरों के आधार पर 1967 के आरम्भ में दिया गया था। क्योंकि रेस्टोरेन्ट का स्थान उसके पहले खानपान प्रबन्धक ने, जिसमें कि न्यायालयों से 'स्टे आर्डर' ले लिया था, खाली नहीं किया, मेसर्स वोल्गाज हवाई अड्डे पर अपना रेस्टोरेंट नहीं बना सके। हाल ही में वह नया स्थान जिस पर निर्माण कार्य हो रहा था तैयार कर लिया और मेसर्स वोल्गाज को दे दिया गया और अब उन्होंने वहां अपना कार्य चालू कर दिया है।

(ख) और (ग). कुछ विरोध-पत्र प्राप्त हुए हैं किन्तु इस स्थान नियतन को मनमाना नहीं कहा जा सकता।

कलकत्ता पत्तन-न्यास के अधिकारियों का घेराव

9070. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन न्यास के कुछ अधिकारियों का घेराव किया गया था और उपद्रवी भीड़ ने उन पर आक्रमण किया था ; और

(ख) क्या स्थिति का सामना करने के लिए पत्तन-न्यास को समय पर पुलिस की सहायता प्राप्त हो गई थी ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य अभिनिश्चित किये जा रहे हैं।

अल्प संख्यकों के हितों की देखभाल के लिये विभाग

9071. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री देवेन सेन :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1968 में श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार में एक अलग विभाग स्थापित करने को और राज्यों को भी इसी प्रकार के विभाग स्थापित करने की सलाह देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) । (क) और (ख). राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा पारित साम्प्रदायिक पहलुओं पर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में गठित साम्प्रदायिकता विषयक राष्ट्रीय एकता परिषद् की उप-समिति ने 21 मार्च, 1969 को नई दिल्ली में हुई अपनी पहली बैठक में निर्णय किया कि अन्य बातों के साथ-साथ वह

(i) अल्प संख्यकों की यथार्थ, वैध तथा गम्भीर शिकायतों, विशेषतः नियोजन इत्यादि में भेदभाव, की सावधानी से जांच-पड़ताल, तथा

(ii) अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर गौर करने के लिये तथा उनके निवारणार्थ उपायों का सुझाव देने के लिये ओम्बुड्समेन के सदृश्य कार्य सहित अल्पसंख्यकों के लिए एक आयुक्त के होने की वांछनीयता और व्यवहार्यता पर भी विचार करेगी।

Mithila University, Darbhanga (Bihar)

9072. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the details in regard to the proposal received by the Central Government from the Government of Bihar regarding the establishment of Mithila University ;

(b) the action proposed to be taken by the Central Government thereon ;

(c) whether the State Government have asked for any Central aid in this connection ; and

(d) if so, the decision taken by the Centre in the matter ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). These State Government had in May, 1967 made a proposal to the University Grants

Commission for the establishment of Mithila University. No details were, however, furnished. The Commission appointed a Committee to examine the proposal. The report of the Committee was considered by the Commission and it was decided that the comments of the State Government may be obtained in the first instance. These are still awaited. Further action will be taken on receipt of a reply from the State Government.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Age Concession to Government Employees in UPSC Examinations

9073. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that age concession upto 35 years is allowed to Government employees for appearing in Clerks' Grade Examination ;

(b) whether such concession is proposed to be allowed to them in Assistants Grade and other examinations conducted by the Union Public Service Commission ;

(c) whether it is also a fact that the educational qualification for an L. D. C. is High School Passed and if he is desirous of appearing in B. A. Examination, he losses the chance to sit in the Clerks' Grade Examination because of crossing the age limit ; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. The upper age limit of 21 is relaxed upto 35 years in respect of Clerks in the various Departments/Offices of the Government of India who have rendered not less than 3 years' continuous service as clerks and continue to be so employed.

(b) A similar concession is also allowed to Clerks/Stenotypists/Stenographers of the Government of India Offices for appearing in the Stenographers' Examination held by the UPSC. No such concesion is allowed for appearing in the Assistants' Grade Examination.

(c) Tha minimum educational qualification for appearing in the Clerks' Grade Examination is Matriculation or equivalent. Those appearing for B. A. Examination can also sit in the Clerks' Grade Examination if they have not crossed the prescribed upper age limit of 21 years.

(d) Does not arise.

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें तथा पुल

9074. **श्री रा० कृ बिड़ला :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मोटर-गाड़ियों के यातायात के लिये सड़क और पुलों का जाल बिछाने का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने धन का नियतन किया गया और चौथी योजना में कितनी धन राशि का नियतन करने का विचार है ?

संसद कार्य, विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण कार्यक्रम में 920 मील उच्च

प्राथमिकता की सड़कों और 690 मील निम्न प्राथमिकता की सड़कों और उनके ऊपर पुलों के निर्माण शामिल हैं जिनका कुल अनुमानित व्यय 22.69 करोड़ रुपये हैं। कुछेक खास निम्न प्राथमिकता की सड़कों पर काम को जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है। इन निम्न प्राथमिकता की सड़कों के अलावा दूसरी सब सड़कों के वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) राज्य सरकार को सड़कों पर के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये ये राशिया दी गई थी :—

वर्ष	राशि (रु० लाखों में)
1966-67	531.00
1967-68	700.00
1968-69	556.11

चौथी पंचवर्षीय योजना के ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं। फिर भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 185 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के लिये शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय के निलम्बित कर्मचारी

9075 **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेने के कारण उनके मंत्रालय के बहुत से कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था;

(ख) क्या उनके मामलों पर पुनर्विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों को नौकरी पर लगा लिया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) मंत्रालय के 6 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था, जिनमें से एक मंत्रालय के सचिवालय और पांच भारत के सर्वेक्षण के थे।

(ख) और (ग). सभी 6 कर्मचारियों पर अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। भारत के सर्वेक्षण के 5 कर्मचारियों के बारे में विभाग से मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए कहा गया है। जहां तक मंत्रालय के सचिवालय के कर्मचारी के मामले का संबंध है, दिल्ली प्रशासन के विचार-विनिमय से इसका पुनरीक्षण किया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के निवास स्थानों पर टेलीफोन

9076. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के तृतीय श्रेणी के कितने आदिवासी अधिकारियों तथा कितने अनुसूचित जाति अधिकारियों के निवास स्थानों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा टेलीफोनों की व्यवस्था की गई है; और

(ख) वर्ष 1968 में उनके निवास स्थानों पर लगाये गये टेलीफोनों के बिलों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा कितना धन खर्च किया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एक लिपिक-वर्गीय और 13 कार्यकारी अधिकारियों (श्रेणी-iii के निवास स्थानों पे टेलीफोन लगा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य कार्यकारी पार्षदों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानगर परिषद के निजी सचिवों के घरों पर, जो 31 जुलाई 1968 तक तृतीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं, टेलीफोन लगा दिये गये हैं ।

(ख) 1968 में टेलीफोन के बिलों के भुगतान में निम्नलिखित व्यय किया गया :—

(i) एक लिपिक वर्गीय और 13 कार्यकारी अधिकारियों के निवास स्थान पर टेलीफोन के बिलों के भुगतान	रु० (,226.94
(ii) निजी सचिवों निवास स्थान पे टेलीफोन के बिलों का भुगतान (31-7-68 तक)	रु०3 ,868.00
जोड	रु० 10,104.94

Memorandum Submitted by Teachers' Council, Kashi Vidyapeeth Varanasi

9077. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Teachers' Council of Kashi Vidyapeeth, Varanasi has sent a memorandum to him ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government have considered the matter raised in the said memorandum ;

(d) if so, the decision taken by the Government in this regard ; and

(e) the time by which the said decision is likely to be implemented ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir. A memorandum has been received from the Teachers' Association of the Vidyapeeth.

(b) The following demands have been made in the Memorandum :

(i) Application of the revised pay scales of teachers with effect from 1-4-1966 instead of 1-4-1968.

(ii) Payment of D. A. and other allowances at the rates admissible in case of Jamia Millia Islamia, another deemed university.

(iii) Settlement of Accounts of the Vidyapith.

(iv) Conversion of Vidyapith into a Central University.

(c) to (e). Demands at (i) to (iii) are under consideration. Asr egards, demand (iv) the Government have still to take a decision on the general subject of whether there should be any addition to the existing Central Universities.

Kashi Vidyapeeth, Varanasi

9078. **Shri Ramavtar Shastri :** **Shri Sarjoo Pandey :** **Shri Rajdeo Singh :** **Shri George Fernandes :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government made an announcement on the 27th July, 1963, granting the Kashi Vidyapeeth, Varanasi the status of a University under Section 3 of the University Grants Commission Act ;

(b) whether the entire expenses of the Vidyapeeth are borne by Government as is done in the case of other Central Universities ;

(c) whether the teachers to the Vidyapeeth have not been getting the same pay scales. dearness allowance, other allowances and facilities for the last six years, as are being given in the Central Universities ;

(d) if so. the reasons therefor ;

(e) whether it is a fact that the teachers of Jamia Millia Islamia are enjoying all the facilities admissible to the teachers of the Central Universities ;

(f) if so, the reasons for discrimination between the teachers of these two Universities ; and

(g) the time by which Government propose to remove the discrimination in regard to pay-scales and allowances ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Vidyapeeth was declared a 'demeed' University on July 16, 1963.

(b) The Government of India gives maintenance grant to the Vidyapeeth on 'cover-the-deficit' basis for approved items of expenditure. The Vidyapeeth also receives development grant from the University Grants Commission, according to a certain pattern of assistance. The matching share in case of these grants, wherever necessary, is paid by the Ministry.

(c) and (d). The present scales of pay of professors, readers, and lecturers of Kashi Vidyapeeth are the same as those obtaining in the Central Universities, but the rates of dearness and other allowances corresponds to those of the State Universities in U. P.

(e) The present scales of pay and rates of dearness and other allowances for the teachers of the Jamia Millia Islamia are the same as those for the teachers of the Central Universities.

(f) and (g). The scales of pay are the same in both the institutions. According to the approved pattern of assistance, the teachers of the Kashi Vidyapeeth are entitled to dearness allowance and other allowances at rates prevalent in the State Universities in U. P. In Jamia, the rates followed are as in Delhi University, both being located in the Union Territory of Delhi.

The question of having uniform rates of D. A. for all the deemed universities is, however, under examination.

Budget of Kashi Vidyapeeth, Varanasi

9079. **Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Education and Youth** Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the entire expenditure incurred on the Kashi Vidyapeeth, Varanasi is borne by the Government of India ;

(b) if so, whether it is also a fact that the budget of the Vidyapeeth is under consideration of his Ministry for the last five years ;

(c) if so, the reasons for not taking any decision on the budget for such a long period ;

(d) whether Government propose to dispose of this pending case ; and

(e) if so, by which date and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Government of India gives maintenance grant to the Vidyapeeth on the 'cover-the-deficit' basis for approved items of expenditure. The Vidyapeeth also receives development grants from the University Grants Commission according to a certain pattern of assistance. The matching share of these grants, wherever necessary, is paid by the Ministry.

(b) to (e). No, Sir. However, the final settlement of accounts in respect of 'on-account' grants paid during 1964-65 to 1966-67 is under consideration. These accounts are likely to be settled shortly. Accounts in respect of grants paid during 1967-68 and 1968-69 will be finalised after audited statement of accounts are received from the Vidyapeeth.

एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में कार्य करने के लिए शक्तियां देना

9080. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1888 की धारा 3 के अन्तर्गत एक राज्य की पुलिस तब तक दूसरे राज्य में पुलिस के रूप में कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उस राज्य में पुलिस बल के रूप में कार्य करने के लिए उसे विशेष रूप से शक्तियां प्रदान न की जाये;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1967 के प्रथम सप्ताह में राजस्थान के क्षेत्र में पुलिस को सुक्ष्म कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस पार्टी और मध्य प्रदेश की विशेष सशस्त्र पुलिस को ये शक्तियां किस तारीख को दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारतीय पुलिस अधिनियम 1888 की धारा 4 के अन्तर्गत एक राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र में, रेलवे क्षेत्र में, रेलवे क्षेत्र को छोड़कर, उस राज्य की सरकार की अनुमति के बिना अपनी शक्तियां, वे क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है ।

(ख) और (ग). पुलिस अधिनियम, 1888 की धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों की अनुमति प्राप्त करने के बाद सामान्य सूचना के लिए एक राजपत्र-अधिसूचना दिनांक 9 जनवरी, 1959 जारी की गई थी कि प्रत्येक राज्य की सरकार ने, जिनको अधिनियम लागू होता है, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार को, प्रत्येक दूसरे राज्य की पुलिस द्वारा संबंधित राज्य के भीतर प्रयोग करने के लिए अनुमति दे दी है । अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1075/69]

अखिल भारतीय सेवाओं का बनाया जाना

9081. **श्री बो० विश्वम्भरन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान अखिल भारतीय सेवाए कौन-कौन सी हैं ;

(ख) और कितनी अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का विचार है और वे क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन-मान राज्य सरकार सेवाओं के वेतन-मानों की तुलना में अधिक है ; और

(घ) क्या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने से राज्य सरकारों का वित्तीय बोझ बढ़ जायेगा और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के कारण राज्य सरकारों को अतिरिक्त खर्च के लिए राज सहायता देगी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा,
भारतीय पुलिस सेवा,
भारतीय वन सेवा,
भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा ।

(ख) फिलहाल एक और अखिल भारतीय सेवा अर्थात् भारतीय इंजीनियरिंग सेवा बनाने का विचार है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) इस कारण राज्य सरकारों पर अधिक वित्तीय भार पड़ने का आशा नहीं है । राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि भारत सरकार आर्थिक कठिनाइयों के ज्ञात होने पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन पर हुए व्यय के लिए सहायता प्रदान करने के लिये तैयार है । राज्य सरकारों से वित्तीय आयोग के सम्मुख इस पहलु को लाने का भी अनुरोध किया गया था ।

Theft in a M.P.'s House in New Delhi

9082. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Sri Chand Goyal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that jewellary worth Rs. 15,000 was stolen from the bunglow of Shri Dabyabhai Patel, M. P. on the 17th March, 1969 ;

(b) if so, the steps taken by Government to prevent the incidents of thefts in the flats/bungalows of Members of Parliament ;

(c) the number of incidents of thefts which occured in the bungalows of Members of Parliament during the last one year ;

(d) the number of cases out of them, in which culprits were detected and the na'ure of action taken against the culprits ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) Patrolling by both uniformed and plain clothes men is done in the areas where M.P.'s reside, round the clock.

(ii) A police post each in South ond North Avenues was set up in 1967 which keep a vigilance on the flats there round the clock.

(iii) Frequent surprise checkings are conducted by senior officers.

(iv) A system has been evolved whereby all M.P.'s when they leave Delhi at the end of the Parliament Sessions or at other times, inform the police who then arrange to keep a special watch on their flats.

(c) and (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1076/69.]

हरियाणा में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

9083. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री पा० ला० बारुपाल :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंडी डबवली जिला हिसार (हरियाणा) में गिरफ्तार किये गये 6 पाकिस्तानी जासूसों के बारे में कोई सूचना मिली थी जिसका समाचार 4 फरवरी 1969 के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र 'पंजाब केसरी,' अंग्रेजी दैनिक 'ट्रिब्यून' और उर्दू के 'परदीप' में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इन जासूसों के विरुद्ध आरोपों का ब्यौरा क्या है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से एक ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो न्यायालय में उसके द्वारा स्वीकार किये गये अपराध स्वीकार का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि गिरफ्तार किये गये छः व्यक्तियों में से राज्य पुलिस ने तीन व्यक्तियों को बिना न्यायालय में पेश किए रिहा कर दिया है ; और

(च) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (च). हरियाणा सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार राजकीय रहस्य अधिनियम, 1923 की धारा 3 के अधीन दर्ज किए गये एक मामले में मंडी डबवली में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे न कि छः व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । व्यक्तियों में से दो को न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया जांच जारी है और वर्तमान स्थिति में और अधिक ब्यौरे प्रकट नहीं किये जा सकते हैं ।

युवकों की गतिविधियों के लिये कार्यक्रम सूचियां

9084. **श्री मुहम्मद शरीफ : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनैस्को" के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने देश में युवक संगठनों को सलाह दी है कि वे यूनैस्कों की युवक गतिविधियों से सम्बन्धित परियोजना में सम्मलित करने के लिये कार्यक्रमों की ऐसी सूचियां तैयार करें जो यूनेस्कों को भेजी जायेंगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कार्यक्रमों की सूचियों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) युवक संगठनों द्वारा भेजे गए प्रस्ताविक कार्यक्रमों की सूची सभा पटल पर प्रस्तुत है [**पुस्तकालय में रखी गयी**। देखिये संख्या एल० टी० 1077/69] इन प्रस्तावों की छानबीन की जायेगी और कुछ चुने हुए कार्यक्रमों की सहायता के लिए यूनैस्को से सिफारिश की जायेगी।

मारमागाओ पत्तन पर माल चढ़ाने की कम दरें

9085. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारमागाओं पत्तन पर जहाज में माल चढ़ाने की दरें अन्य अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों की तुलना में बड़ी असंतोषजनक और बहुत कम हैं;

(ख) चढ़ाई, उतराई में विलम्ब को समाप्त करने के लिए "वल्क कैरियर" तथा अन्य उपकरण की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या उपर्युक्त पत्तन पर शीघ्रता से माल चढ़ाने तथा उतारने के लिए "शैड" स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) विशाखापत्नम या पाराद्वीप या विदेश पत्तनों के कुछ पत्तन जो बड़े पैमाने पर खनिज लोहा का निर्यात करते हैं उनकी अपेक्षा मारमागाओ पर खनिज लोहे का माल चढ़ाने की दर कम है।

(ख) माल चढ़ाई के दर को बढ़ाने की दृष्टि से मारमागाओ पत्तन के विकास के लिए एक समेकित परियोजना बना ली गई है। परियोजना में प्रारम्भतः 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० के और अन्त में 1,00,000 डी० डब्लू० टी० के जहाजों के लिए पत्तन के डुबाव को बनाने का, मशीन चालित खनिज यंत्र जिसकी माल चढ़ाई 6000 टन प्रति घंटा है बनाने का विचार है।

(ग) जी, हां। वर्तमान शेड की जगह के सुधार के लिए लगभग 14 लाख रुपये का एक प्राक्कलन हाल ही में मंजूर किया गया है।

Promotion of Scheduled Caste/Scheduled Tribes Employees

9086. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the Department-wise, Section-wise and Category-wise number of Officers and other employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who have been promoted against posts reserved for them upto 15th March, 1969 in and under his Department according to the provision contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/67-Establishment (G) dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the designations of such employees and the names of the Departments/Sections where they are working ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b). Pursuant to Office Memorandum No. 1/12/67-Ests. (C) dated the 11th July, 1968 issued by the Ministry of Home Affairs, no vacancy to be filled by a Scheduled Caste/Scheduled Trible employee by promotion occurred during the period 11th July, 1968 to 15th March, 1969 in the Department of Parliamentary Affairs.

कांडला पत्तन पर रात्रि नौगम्यता

9087. **श्री मुहम्मद शरीफ** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोशनी तथा ट्रांजिट और बैठक न होने के कारण कांडला पत्तन में रात्रि में नौगम्यता संभव नहीं है तथा पत्तन की क्षमता बेकार हो रही है और जहाज के मालिकों को बहुत हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). रात्रि नौगम्यता के अभाव के कारण कांडला के पाइलट स्टेशन पर आने वाले जहाजों को समुद्र में दिन के प्रकाश तक के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कांडला में रात्रि नौगम्य सुविधाओं के प्रारम्भ करने के लिए योजना के भाग के रूप में तट आधारित ट्रांजिट वेकेन के लिये दो जोड़े नौगम्य प्रकाश प्राप्त कर लिये गये हैं। वेकेन और ट्रांजिट प्रकाश लगाने का काम हाथ में ले लिया गया है।

अतिरिक्त ट्रांजिट बेकनों के लिए एक और जोड़ा प्रकाश को प्राप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रकाश के प्राप्त हो जाने व लग जाने के बाद कांडला में रात्रि नौगम्यता प्रारम्भ हो जायेगी।

दिल्ली प्रशासन के कार्य संचालन में तथा कथित हस्तक्षेप

9088. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : **श्री रामावतार शर्मा** :
श्री वि० नरसिम्हा राय :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की कार्य कारी परिषद् ने विभिन्न विभागों के प्रतिदिन के कार्य में केन्द्रीय मत्रियों द्वारा तथा कथित हस्तक्षेप किये जाने के विरुद्ध गृह-कार्य मन्त्री से कड़ा विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रियों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका संग्रहालय को भारतीय कलाकृतियों की सप्लाई

9089. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी संग्रहालय भारतीय कला कृतियाँ प्राप्त कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कलाकृतियों की सप्लाई किसी सरकारी एजेंसी द्वारा की जा रही है और यदि हां, तो सप्लाई की शर्तें क्या हैं ;

(ग) यदि सप्लाई गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही है तो उन एजेंसियों के क्या नाम हैं जिन्हें सप्लाई करने के अधिकार दिये गये हैं ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत ऐतिहासिक महत्व की कलाकृतियों का निर्यात न किया जाये ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय संग्रहालय की कुछ विदेशी संग्रहालयों के साथ विनिमय की योजना है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दुर्लभ और अद्वितीय कलाकृतियों का निर्यात नहीं किया जाता । ये योजना एक पाश्चात्य कला बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, क्योंकि इन पाश्चात्य कलाकृतियों के दुर्लभ होने तथा विदेशी मुद्रा में ऊंचे दाम होने के कारण इन्हें खुले बाजार से प्राप्त करना सम्भव नहीं है ।

'राकेट' अनुसंधान तथा अन्तरिक्ष इंजीनियरिंग स्नाकोत्तर अध्ययन

9090. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 'राकेट' अनुसंधान तथा अन्तरिक्ष इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था करने का तथा इस कार्य में लगी हुई विभिन्न संस्थाओं को 1969-70 में कितनी धनराशि देने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : अन्तरिक्ष इंजीनियरी में, राकेट अनुसंधान तथा स्नातकोत्तर अध्ययन की तकनीकी शिक्षा के लिए चौथी पंचवर्षीय आयोजना में कोई विशिष्ट धनराशि आवंटित नहीं की गई है । इस क्षेत्र में केवल दो संस्थाए कार्य कार रही हैं । इन संस्थाओं में से एक को रक्षा मंत्रालय सहयोग दे रहा है और 1969-70 के दौरान उक्त मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित अनुदान की रकम लगभग 7.97 लाख रुपये है । जहां तक दूसरी संस्था का सम्बन्ध है, उसको 1969-70 में दी जाने वाली अनुदान की रकम, प्रयोजना के प्राक्कलनों की स्वीकृति के बाद, निश्चित की जायेगी । यह अनुदान, तकनीकी शिक्षा आयोजना में इंजीनियरी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए की गई एक मुश्त व्यवस्था की राशि में से दिया जाएगा ।

नक्सलवादियों का समर्थन करने वाले समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही

9091. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नक्सलवादियों की गतिविधियों का हाल में कुछ समाचार पत्रों ने समर्थन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं और उनकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध एक सुनियोजित अभियान चालू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० —1078/69]

(ग) और (घ). सरकार देश के विभिन्न भागों में उग्रपंथियों की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति पर नजर रख रही है और राज्य सरकारों के साथ इस बारे में सम्पर्क बनाये हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन उग्रपंथियों की गतिविधियों को रोका जाये और सार्वजनिक सुरक्षा, सरकारी कर्मचारियों के जीवन और कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न न हो, सभी संभव कार्यवाही की जा रही है।

कलकत्ता-गोहाटी मार्ग पर वाइकाउंट विमान की दुर्घटना की जांच का प्रतिवेदन

9092. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 फरवरी, 1969 को कलकत्ता-गोहाटी मार्ग पर वाइकाउंट विमान की दुर्घटना के बारे में असैनिक उड्डयन के एक सहायक महानिदेशक द्वारा जो जाँच की जा रही थी, वह पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). 4 फरवरी, 1969 को (5 फरवरी, को नहीं), इंडियन एयर लाइन्स का एक गोहाटी जाने वाला वाईकाउण्ट विमान वी टी-डी आई जी एक दुर्घटना में ग्रस्त हो गया था जिसमें उसके सभी चारों इंजन एक के बाद एक करके रुक गये। विमान चालक ने उन्हें पुनः चालू कर दिया और दमदम सुरक्षित रूप से लौट आया। घटना की इंडियन एयर लाइन्स के एक जांच बोर्ड द्वारा छानबीन की जा रही है। इसकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धो के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

9093. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में विचार विमर्श करने और इस विषय पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने के लिये कोई सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का प्रश्न राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति की पिछली बैठक में विचारार्थ आया था। बैठक में प्रधान मंत्री ने कहा कि कुछ दस्तावेजों के आधार पर समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि सरकार केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है। आयोग से अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया गया है।

ड्राइवरों में अन्धापन

9094. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन मैडिकल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा किये गये नमूना सर्वेक्षण से पता लगा है कि बड़ी प्रतिशतता में बस ड्राइवरों में "कलर" अन्धापन है और इसलिये सड़क पर संकट रहता है क्योंकि आंख की रोशनी कम होने के कारण वे लाल रोशनी को नहीं देख पाते और बढ़े चले जाते हैं ; और

(ख) क्या सभी ड्राइवरों की आँखों की सावधानी से जाँच करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) अन्धापन निवारण के लिए राष्ट्रीय-सोसायटी नेत्र सम्बन्धी विज्ञान के लिये डा० राजेन्द्रप्रसाद केन्द्र, आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइन्स नई दिल्ली ने दिल्ली परिवहन उपक्रम 1,286 ड्राइवरों का नेत्र सम्बन्धी सर्वेक्षण किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 35 ड्राइवरों को कलर अंधापन था और 617 की दोषपूर्ण दृष्टि थी।

(ख) मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

अमरीका के "इन्डो-बर्मा पायनीयर मिशन" की गतिविधियाँ

9095. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर के दंगाग्रस्त पहाड़ी क्षेत्र विशेषतया चूड़ा चन्द्रपुर में गत दो से तीन वर्ष में अमरीका के "इण्डिया बर्मा पायनीयर मिशन" की गतिविधियों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) उक्त मिशन ने कुल कितने धन का विनियोजन किया है ;

(घ) क्या सरकार ने इसकी जाँच की है कि धन का उपयोग किस प्रकार किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार मिशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मालूम करेगी कि उन्होंने धन का उपयोग किस प्रकार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) से (ङ). मनीपुर प्रशासन से तथ्य मालूम किया जा रहे हैं ।

संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग

9096. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों में पदोन्नति दी गई है और उनकी राज्य क्षेत्रवार संख्या और सेवा क्या है ;

(ख) क्या पदोन्नतियां सभी संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पात्र अधिकारियों के बारे में विचार करने के बाद की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो कितने पात्र अधिकारियों में से यह पदोन्नतियां की गई थी ;

(घ) क्या उक्त पदोन्नतियों में और पात्र अधिकारियों में शामिल करने में नियमों की कोई ढील की गई थी ; और

(ङ) क्या पदोन्नतियाँ एक वर्ष में एक बार करने का प्रस्ताव है और यदि हां तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1079/69]

सर्कस कलाकारों की दुर्घटनायें

9097. **श्री उमानाथ :** **श्री प० गोपालन :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री के० एम० इब्राहम :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी सर्कस कम्पनियां हैं ;

(ख) भारत में सर्कस में काम करने वाले कलाकारों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सर्कस कलाकारों की दुर्घटनाएं बहुत कम होती है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में सरकार के ध्यान में कितनी दुर्घटनाएं आयी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : भारतीय सर्कस संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार हैं :—

(क) लगभग 200

(ख) लगभग 10,000

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार को किसी दुर्घटना की सूचना नहीं दी गई है किन्तु संध ने अब सरकार को बताया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार एक दुर्घटना घातक थी । किसी अन्य दुर्घटना की रिपोर्ट उनके पास उपलब्ध नहीं है ।

जम्मू और काश्मीर राज्य के सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान का न गाया जाना

9098. **श्री भरत सिंह चौहान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के सिनेमाघरों में सिनेमा समाप्त होने पर राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता :

पुलिस सुपरिण्टेण्डेन्ट का हरयाणा के बाहर स्थानान्तरण

9099. **श्री सूरज भान :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री रामजी राम :
श्री जमना लाल :
श्री देवेन सेन :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अनुसूचित जाति समुदाय के दो पुलिस सुपरिण्टेन्डेण्टों का हरयाणा से बाहर स्थानान्तरण किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हरयाणा के मुख्य मंत्री ने उक्त अधिकारियों में से एक अधिकारी की जाति निन्दा करके उसको डांटा था क्योंकि उसने एक आपराधिक मामले को वापिस लेने से इन्कार कर दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिकारी ने हरयाणा के पुलिस-इन्स्पेक्टर-जनरल, को इस घटना की लिखकर सूचना दी थी ; और यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या लिखा था ;

(घ) क्या मुख्य मंत्री की उपर्युक्त कार्यवाही से संविधान के अनुच्छेद 17 और अस्पृश्यता अधिनियम, 1955 की धारा (7) (1) (ग) का उल्लंघन होता ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का प्रस्ताव है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :—

अनुसूचित जाति समुदाय के एक पुलिस अधीक्षक को भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर

भेजा गया है। अनुसूचित जाति समुदाय का एक अन्य पुलिस अधीक्षक माउंट आबू में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में वरिष्ठ अधिकारियों के पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) एक अधिकारी ने हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक को एक पत्र लिखा है, किन्तु उसने उस पत्र में अपनी जाति की निन्दा किये जाने के बारे में कोई आरोप नहीं लगाये हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों की व्यापारिक फर्मों में अपने पुत्रों को रोजगार दिलाने के लिये प्रभाव का प्रयोग करने से रोकना

9100. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा नियमों में ऐसा संशोधन किया गया है कि वे अपने पुत्रों को व्यापारिक फर्मों में रोजगार दिलाने में अपना प्रभाव प्रयोग में नहीं ला सकते ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार के उपबन्ध मंत्रियों पर भी लागू किये जा सकते हैं ; और

(ग) क्या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक समुचित विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) और (ग). मंत्रियों के लिये इसी प्रकार का उपबन्ध बनाने के लिये विधान अधिनियमित करने के प्रश्न पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है।

अखिल भारतीय सेवाएं बनाना

9101. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कोई और अखिल भारतीय सेवा न बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किन कारण से किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार ने फिलहाल भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा बनाने के लिए कोई कार्यवाही न करने का निर्णय किया है। इस निर्णय पर पहुंचने की परिस्थितियां 25 अप्रैल, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7706 के दिये गये उत्तर में बताई गई है।

मनीपुर विधान सभा द्वारा पारित विधेयक

91(2. **श्री एम० मेघचन्द्र** : या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1969 को पैट्रियट में छपे समाचार के अनुसार मनीपुर विधान सभा के आय-व्यय का सत्र के दौरान चार विधेयक पारित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन विधेयकों का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या विधान सभा ने राज्य का दर्जा प्राप्त करने और वर्तमान संघ राज्य क्षेत्रों का दर्जा समाप्त करने के बारे में भी एक संकल्प पारित किया है ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रकिक्रिया है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या आय-व्ययक सत्र के दौरान विधान सभा में ऐसा कोई संकल्प प्रस्तुत किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मनीपुर विधान सभा के मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मनीपुर के विधायक तथा मनीपुर विधान सभा स्थाई समिति के अध्यक्ष के भत्तों में वृद्धि करने के लिए चार निम्नलिखित विधेयक पारित किये हैं :—

(1) मनीपुर मंत्री (वेतन और भत्ते) संशोधन विधेयक 1969 ।

(2) मनीपुर विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (वेतन और भत्ते) संशोधन विधेयक 1969 ।

(3) मनीपुर विधान सभा सदस्य (वेतन और भत्ते) संशोधन विधेयक 1969 ।

(4) मनीपुर विधान सभा स्थाई समिति (अध्यक्ष का वेतन और भत्ते तथा अनर्हता का हटाना) संशोधन विधेयक 1969 ।

(ग) और (ङ). सितम्बर 1966 में मनीपुर विधान सभा ने इस संबंध में एक संकल्प पारित किया था कि मनीपुर को पूरी तरह राज्य का दर्जा प्रदान किया जाय । मनीपुर सभा द्वारा अपने गत बजट अधिवेशन में कोई संकल्प पारित नहीं किया है ।

(घ) सरकार का इस संघ राज्य क्षेत्र के दर्जे में कोई परिवर्तन का विचार नहीं है ।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में राजनैतिक दलों का अखिल भारतीय सम्मेलन

9103. **श्री वि० नरसिम्हा राव** :
डा० रानेन सेन :

क्या **गृहाकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों ने केन्द्र-राज्य संबंधों के ढांचे को सुधारने के उद्देश्य से सविधान में संशोधन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या भविष्य में केन्द्र राज्य सम्बन्धों और तदनानुसार संविधान में संशोधन करने के बारे में सर्वसम्मति लाने के उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दलों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के विषय पर आजकल विभिन्न मंचों में और राजनीतिक दलों द्वारा भी बहस हो रही है। जब कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार के लिए एक सामान्य मांग रही है, संविधान में बताई गई केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की योजना में परिवर्तन के लिए किन्हीं विशिष्ट संशोधनों की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का प्रश्न राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थाई समिति की पिछली बैठक में विचारार्थ आया। बैठक में प्रधान मंत्री ने कहा कि काम के कुछ दस्तावेजों के आधार पर समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि सरकार केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है। आयोग से अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया गया है।

भारत में स्त्री शिक्षा

9104. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा और गुजरात में तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में केन्द्रीय सहायता से स्त्री शिक्षा कितने प्रतिशत थी ;

(ख) तीसरी योजना की अवधि में उस प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) क्या राजस्थान में संतोषजनक प्रगति हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). दूसरी आयोजन में एक योजना थी जिसके अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए होने वाले खर्च का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया गया था। तीसरी आयोजना के दौरान इस योजना को राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया था। केन्द्रीय सहायता में से हुई लड़कियों की शिक्षा की प्रगति के अलग से आंकड़े नहीं हैं। तथापि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में तीसरी आयोजना के प्रारम्भ में और अन्त में इस क्षेत्र में हुई भर्ती की प्रगति विवरण में दर्शायी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1080/69]

(ग) अन्य राज्यों की तरह राजस्थान प्रगति कर रहा है।

(घ) यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है और संविधान की धारा 45 की आवश्यकताओं को यथाशीघ्र पूरा करने के लिये राज्य सरकारों पर अलग से दबाव डाला जा रहा है।

राष्ट्रीय राज पथ संख्या 8 क के लिए रन के ऊपर पुल

9105. **श्री राज मेघराजजी धरंधरा :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राज पथ संख्या 8-क के लिये रन के ऊपर पुल का निर्माण कार्य जनवरी, 1969 में आरम्भ हो जाना चाहिये था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सम्पर्क सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के पूरा होने में विलम्ब के विभिन्न कारणों का व्योरा क्या है ।

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पुल के औपचारिक उद्घाटन के लिये कोई ऐसी तारीख निश्चित नहीं की गई ।

(ख) जी, हां । मुख्य पुल का कार्य पूरा हो गया है ।

(ग) और (घ). पुल के पहुंचमार्ग पहले ही यातायात के योग्य बना दिया गया और 3 अप्रैल, 1969 से यह यातायात के लिये खोल दिया गया । पहुंच मार्गों पर जो कार्य अभी करना बाकी है वे हैं (1) उत्तरी पहुंचमार्ग पर 5600 फीट के लम्बाई पर 3/4 इंच विटुमन कारपेट बिछाना और (2) दक्षिणी पहुंचमार्ग पर एक ओर के ढलान के भाग पर पत्थर लगाना ।

इन कार्यों के कारण पुल व पहुंचमार्गों पर यातायात के मुक्त प्रवाह में कोई बाधा नहीं आयेगी । जगह की कठिन व विशेष अवस्थाओं, नलीन मिट्टी पर निर्माण और रन के क्षेत्र में दूसरे अप्रत्याशित तकनीकी कठिनाइयों के कारण पुल के पहुंचमार्गों के पूरे होने में कुछ विलम्ब हुआ है ।

राजस्थान में भारत और पाकिस्तान की दुहरी नागरिकता धारण किये मुसलमान

9106. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

श्री मृत्युजंय प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के पीर सईद अली सिकन्दर शाह पीर पगारी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में रहने वाले मुसलमानों को एक संदेश भेजा है, जिसमें उन को पाकिस्तान में आकर राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का आग्रह किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मुसलमानों ने प्रवचन किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त जिले में रहने वाले मुसलमानों को भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मुसलमानों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है, जिन्होंने दोनों देशों की नागरिकता धारण कर रखी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार ऐसी अफवाहें थीं कि पीर पगारों ने जैसलमेर जिले में अपने अनुयायियों को इस प्रकार का संदेश भेजा था।

(ख) चार परिवारों ने, जिनमें 64 व्यक्ति हैं, मार्च, 1968 में पाकिस्तान को प्रव्रजन किया है किन्तु यह कहना संभव नहीं है कि क्या वे पीर पगारों के संदेश के अनुसरण में ही पाकिस्तान चले गये हैं।

(ग) और (घ). सरकार के पास सूचना नहीं है कि क्या इन प्रव्रजकों को पाकिस्तानी नागरिकता भी प्राप्त है।

(ङ) राजस्थान-पाकिस्तान सीमा से भारत में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए उपयुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जिसे अनधिकृत रीति से प्रवेश किया गया पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। जिन्होंने अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर रखी है उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त करने की भी कार्रवाई की जायेगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययनार्थ छात्रवृत्तियां

9107. **श्री सिद्दिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन आवेदकों ने 1965-66 से 1968-69 की अवधि में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये समुद्रपार अध्ययनार्थ छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हेतु आवेदन किया था उनके नाम (उनकी विद्या सम्बन्धी योग्यताओं सहित) क्या हैं ;

(ख) छात्रवृत्ति देने के लिए प्रत्येक श्रेणी में से चुने गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरणों में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखे गए। देखिये** संख्या एल०टी० 1081/69]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययनार्थ यात्रा अनुदान

9108. **श्री सिद्दिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन आवेदकों ने 1965-66 से 1968- 9 की अवधि में अनुसूचित जानियों/आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नियत किये यात्रा अनुदान के लिये आवेदन किया था, उनके नाम (विद्या सम्बन्धी योग्यताओं सहित) क्या हैं ; और

(ख) उक्त वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के चुने गये विद्यार्थियों के नाम क्या हैं और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) ग्रौर (ख). सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरणों में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 1082/69]

ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों की महिलाग्रों में शिक्षा प्रसार के लिए सहायता

9109. **श्री सिद्दिया : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाग्रों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1965-66 से 1968-69 की ग्रवधि में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के लिए कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) क्या ग्रनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों की महिलाग्रों में शिक्षा का प्रसार करने के लिये परिषद ने कोई विशेष योजना बनाई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ग्रौर इन योजनाग्रों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ; ग्रौर

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के कृत्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं, जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि परिषद सलाहकार संगठन है न कि ग्रनुदान देने वाला संगठन, ग्रतः महिला शिक्षा के प्रसार पर खर्च करने के लिये परिषद को कोई धन उपलब्ध नहीं किया गया । लड़कों की शिक्षा की तरह महिला शिक्षा का प्रसार भी राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है ।

(ख) परिषद ने 15 ग्रौर 16 ग्रप्रैल 1969 को हुई ग्रपनी बैठकों में जोर दिया था कि ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों की लड़कियों ग्रौर महिलाग्रों में शिक्षा के प्रसार की ग्रोर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

(ग) परिषद के ग्रध्यक्ष से बैठकों की कार्यवाही के वृतान्त की पुष्टि प्राप्त होने पर सिफारिशों का ब्यौरा उपलब्ध होगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

विवरण

(क) सभी स्तरों पर लड़कियों ग्रौर प्रौढ महिलाग्रों की शिक्षा सम्बन्धी सभी मामलों के बारे में सरकार को सलाह देना ।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित क्षेत्रों में लड़कियों ग्रौर महिलाग्रों की शिक्षा के प्रसार ग्रौर सुधार के लिये नीतियों, कार्यक्रमों, लक्ष्यों ग्रौर प्राथमिकताओं के सुझाव देना ।

(ग) लड़कियों ग्रौर महिलाग्रों की शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों के सर्वोत्तम उपयोग के लिये उपायों के सुझाव देना ।

(घ) लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिये उपयुक्त उपायों के सुझाव देना।

(ङ) समय-समय पर की गई प्रगति का मूल्यांकन करना और किये गये/किये जा रहे काम का मूल्यांकन करने और क्रियान्विति की प्रगति की जांच करने के लिये उपायों के सुझाव देना।

(च) समय-समय पर आवश्यक समझे जाने पर लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में निश्चित आंकड़े एकत्र करने की सिफारिश करना तथा नमूना सर्वेक्षण और अनुसंधान परियोजनाओं तथा/अथवा विचारगोष्ठियों की सिफारिश करना।

Chinese Financing Kerala Terrorists

9110. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the English Weekly "March of the Nation" dated the 5th April, 1969 under the heading "Chinese Finance Kerala Terrorists" ;

(b) if so, the factual position in this regard ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). According to information received from the State Government, a charge-sheet was filed on March, 19, 1969 in the court of the District Magistrate (Judicial) Kozhikode against 149 persons in connection with the attacks by extremists on Pulpally Police outpost and Tellicherry Police station in November 1968. The case is sub-judice. The documents seized from some of the accused persons during the course of investigation indicated that the Chinese Embassy in New Delhi had been in correspondence with them in connection with the publication of Maoist literature in Malayalam. The Chinese Embassy has been firmly cautioned to warn all tis members to refrain from interfering in India's internal affairs.

विदेशों के विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्षों के पदों पर भारतीय

9111. **श्री रा० कृ० सिंह : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में देशवार विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्षों के पदों पर काम कर रहे भारतीयों की संख्या क्या है ;

(ख) उनके विदेशों में नौकरी करने के क्या कारण हैं ;

(ग) उन्हें भारत वापस लौटने के लिये राजी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा में मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संकलित सूचना के अनुसार 1967 के शुरू में विदेशों में 1435 भारतीय अधिकारिक स्थिति में बताए गये हैं।

उनका देश-वार वितरण इस प्रकार है :—

(i)	अमरीका	920
(ii)	कनाडा	171
(iii)	इंग्लैंड	135
(iv)	आस्ट्रेलिया	43
(v)	न्यूजीलैण्ड	5
(vi)	माल्टा	1
(vii)	अफ्रीका के राष्ट्रमण्डलीय देश	100
(viii)	एशिया के राष्ट्रमण्डलीय देश	60

(ख) यह एक जटिल मामला है। अच्छे रोजगार के अवसर और कार्य करने की सुविधाओं सहित इसके अनेक कारण हो सकते हैं।

(ग) विवरण संलग्न है ;

विवरण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों को भारत लौटने की सुविधाएं देने के लिए निम्न-लिखित कार्यवाही की गई है —

(एक) विदेशों से भारत लौटने वाले अच्छी अर्हता प्राप्त वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों को अस्थाई रूप से रोजगार देने के लिये वैज्ञानिकों का एक पूल बनाया गया है।

(दो) मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थानों में ऊंचे पद बनाये गये हैं जिन पर विदेशों में कार्य कर रहे तथा अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को शीघ्र अस्थाई रूप से नियुक्त किया जा सकता है।

(तीन) संघ लोक सेवा आयोग तथा अधिकतर राज्य लोक सेवा आयोग इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि जिन भारती वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों के नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज हैं उन्हें इन आयोगों द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले सभी पदों के लिए 'व्यक्तिगत सम्पर्क' वाला उम्मीदवार माना जायेगा। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में पदों के लिये विदेशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों का इंटरव्यू लेने की व्यवस्था भी कर ली है।

(चार) विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों के नाम दर्ज करने तथा उनके नाम भारत सरकार के सब मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर सरकारी क्षेत्र के बड़े संस्थानों को भेजने के लिये वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक विशेष अनुभाग बनाया गया है। उनके नाम मासिक टेकनीकल मैनपावर बुलेटिन (वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद) में प्रकाशित किये जाते हैं और यह बुलेटिन भारत भर की लगभग 3000 संस्थानों को निःशुल्क दिया जाता है।

(पांच) उन वैज्ञानिकों को यात्रा अनुदान दिया जाता है जो यह आश्वासन देते हैं कि भारत में अनुसंधान संस्थाओं में नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने पर वे उन संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा करेंगे ।

दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का क्षेत्रीय मुख्यालय

9112. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अन्य केन्द्रीय दलों के लिये दुर्गापुर में एक क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है ; और

(ग) क्या अन्य भागों में की इसी प्रकार के क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किये जायेंगे ;

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान । दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का एक बटालियन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का बटालियन-केन्द्र देश के किसी भी भाग के केन्द्रीय सरकार के आवास में स्थापित किया जा सकता है ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान् । कुछ बटालियन-केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिये गये हैं ।

पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानी घुसपैठ

9113. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में हाल में हुए दंगों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग पश्चिम बंगाल की सीमा पार कर के भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश के अन्तर्गत स्वायत्तशासी तेलंगाना राज्य

9114. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना के नेताओं ने आन्ध्र प्रदेश के के अन्दर एक स्वायत्तशासी तेलंगाना राज्य बना कर आंध्र प्रदेश में संघीय प्रकार ढंग के प्रशासन के बारे में कोई प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केंद्र प्रशासित विश्वविद्यालय

9 15. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में केन्द्र-प्रशासित विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है ;

(ख) यदि निकट भविष्य में ऐसे और विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किये जायेंगे या क्या किन्हीं वर्तमान विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) केन्द्रीय विधान के अधिनियमों के द्वारा जो विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं उनकी वर्तमान संख्या, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली समेत, पांच है ।

(ख) और (ग). बंगलौर विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बदलने का मैसूर सरकार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राज पथ

9116. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों की संख्या, लम्बाई तथा क्षेत्रफल क्या है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों पर केन्द्र द्वारा कितना व्यय किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में उस राज्य की आवश्यकता के अनुसार नए राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं की जाती है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में ग्रांट ट्रंक रोड खराब हालत में है और अन्य सड़कें भी कमोवेश ऐसी ही हालत में हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो उनकी हालत सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई के बारे में सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1083/69] समस्त भारत की प्रति 100 वर्ग मील पीछे 1.18 मील औसतन के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में प्रति 100 वर्ग मील क्षेत्र के पीछे 1.28 मील राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ।

(ख) 1 अप्रैल, 1963 से आरम्भ होते हुए पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास पर 793.64 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है ।

इसी अवधि के बीच सड़कों के अनुरक्षण और सुधारों पर 328.51 लाख रुपये की एक और राशि व्यय की गई है। इससे पूर्व की सूचना एकत्रित करने में काफी श्रम और समय लगेगा जो इसके परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) से (ङ). जरूरतों के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और सुधारों के लिए फंडस की व्यवस्था की जाती है लेकिन यह सब उपलब्ध वित्तीय साधनों के ही अन्दर किया जाता है। ग्रांड ट्रंक सड़क के भाग की सुरक्षा के लिये जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग, और साथ ही अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत में यथोचित सुधार के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है। धन की प्राप्तता की हालत में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के आवश्यकीय सुधार के कार्य-क्रम को करने का प्रस्ताव है जैसे कि दूसरे राज्यों में है।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद

9117. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री तुलसी दास दासप्पा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समाज विज्ञान के सम्बन्ध में मूलभूत तथा व्यावहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् नामक एक स्वायत्त-शासी संगठन स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की पहली बैठक 12 और 13 मई, 1969 को नई दिल्ली में हो रही है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय आयोजना (1969-74) में 1.50 करोड़ रुपये निश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

9118. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों ने अपने लिए कुछ अल्प सेवा लाभों की मांग की है ; और

(ख). यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Idols of Archaeological Importance Stolen from Satna Nagar (Madya Pradesh)

9119. **Shri Yashwant Singh Kusawah :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many idols of archaeological importance stolen from Satna Nagar, Madhya Pradesh, have been recovered from the house of an allaged thief ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) and (b). 63 idols and other rare archaeological pieces were recovered by the Madhya Pradesh Police on 24th February, 1969 from the office-cum-residence of a resident of Satna Nagar. The case is under investigation by the Madhya Pradesh Police.

Assessment of Backward People

9121. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number out of total population of the country, separately, of beggars, landless persons, those having no source of living, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes ;

(b) the total number of caste Hindus in the country ;

(c) the number of lames, blinds and orphans ; and

(d) the number of capitalists out of the total population ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :

(a) The number out of the total population of the country returned as beggars, landless persons etc. at the 1961 Census was as follows :

Beggars : (including vagarants, independent women without indication of source of income and others of unspecified source of existence) (The number of beggars as such is not available separately) 961,739*

Landless Persons : 27,452,780*

(These figures represented the number of workers who had returned themselves as agricultural labourers without cultivation of their own)

Those having no source of living : The information is not available.

Scheduled Castes : 64,417,366

Scheduled Tribes : 30,172,221

Backward Classes : Information is not available.

(b) The number of Hindus in the country was 366,526,866*.

(c) and (d). The information is not available.

* Excludes information from among297,853 persons of North East Frontier Agency for whom an abridged family schedule was canvassed and as such these characteristics of data are not available in respect of them.

त्रिपुरा में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

9122. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 दिसम्बर, 1968 की रात्रि को घातक हथियारों से लैस पाकिस्तानी उपद्रवियों का एक गिरोह त्रिपुरा में राधानगर गांव में घुस आया था और उसने डाका डाला था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है और वे अपने साथ कितना माल लूट कर ले गये ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 27 और 28 दिसम्बर, 1968 के बीच की रात को लगभग 26 पाकिस्तानी उपद्रवी घातक हथियारों से लैस त्रिपुरा के विशालगढ़ थाने में राधानगर ग्राम में घुस आये और एक डाका डाला। वे सात मवेशियों को हांक ले गये ।

(ग) हमारे सेक्टर कमाण्डर ने तथा जिला प्राधिकारियों ने अपने-समकक्ष स्तर के पाकिस्तानियों से विरोध प्रकट किया है । सीमा पर नियमित और कड़ी गश्त लगाई जा रही है ।

पाकिस्तानियों द्वारा त्रिपुरा में अतिक्रमण

9123. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में पाकिस्तानी उपद्रवियों द्वारा त्रिपुरा में भारतीय राज्य क्षेत्र के अतिक्रमण के कितने मामले हुए तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) भविष्य में इन अतिक्रमणों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1968 के दौरान भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी उपद्रवियों द्वारा 76 बार अतिक्रमण करने के समाचार हैं। अतिक्रमणों का विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1084/69**]

(ख) सीमा पर सीमा सुरक्षा दल द्वारा नियमित और बड़ी गश्त लगाई जा रही है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार के बारे में एक संसद् सदस्य का पत्र

9124. **श्री स० कुन्दू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद् सदस्य ने उनको 12 मई, 1968 को एक पत्र लिखा था जिसमें

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा उनके साथ तथा अन्य यात्रियों के साथ दिल्ली और कलकत्ता में किये गये अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस शिकायत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले की जाँच कराने के बाद उन्होंने उस संसद् सदस्य को उत्तर भेज दिया है ;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ङ). जी हां, तारीख 12 मई 1968 का एक पत्र स्वयं माननीय सदस्य से प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ जोड़ने वाली सेवाओं पर आगामी यात्राओं के लिये इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उचित समय पर आरक्षणों की पुष्टि न कर सकने की शिकायत की थी। मैंने माननीय सदस्य को 16 मई, 1968 को एक उत्तर भेजा था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि उक्त पत्र इंडियन एयर लाइन्स के जनरल मैनेजर को उस मामले की सावधानी से जाँच कराने के लिये भेज दिया गया है। इंडियन एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि यद्यपि मामले की जांच की गई थी और उसके बाद उपचारी कार्यवाही कर दी गई थी, लेकिन इस मामले के बारे में कार्यवाही करने वाले एक अधिकारी की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण माननीय सदस्य को फिर पत्र नहीं भेजा गया था। कारपोरेशन ने इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को एक खेद पत्र 3 मई 1969 को भेजा था।

अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा स्थापित करना

9125. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा" की भांति एक पृथक अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा गठित करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है : और

(ग) यदि नहीं, तो सम्पूर्ण देश में फैले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण संगठन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या पैटर्न अपनाया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कल्याण-योजनाओं को कार्यरूप देना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श द्वारा और राज्य के निदेशकों और मंत्रियों से समय समय पर होने वाली बैठकों द्वारा योजना में समन्वय प्राप्त किया जाता है।

विदेशी जहाजों के कप्तानों द्वारा भारतीय बन्दरगाहों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इंकार

9126. **श्री स० कुन्दू** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय बन्दरगाहों में आने वाले विदेशी जहाजों के कुछ कप्तानों ने या तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इंकार किया है या उसका अपमान किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में बन्दरगाह अधिकारियों से ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मेरीटाइम अभिसमय का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या भारतीय व्यापार पोत अधिनियम या अन्य तत्सम्बंधी अधिनियम अनुसार पोत के विदेशी कप्तानों द्वारा भारतीय समुद्र में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना अनिवार्य है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो भारत में विद्यमान विधि में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ङ). अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार विदेशी जहाज जब भारतीय पत्तन पर हो तो शिष्टाचार के नाते व्यापारी बेड़ा ध्वज (एक लाल झंडा जिसकी लंबाई चौड़ाई के 1½ गुना और जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज चोटी के कोने में डंडे के पास होना है) को फहराना पड़ता है न कि राष्ट्रीय ध्वज को इस संबंध में पत्तनों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है या भारतीय पत्तनों पर आने वाले विदेशी जहाजों के मास्टरों से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने की शिकायत मिली है। कोई अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी या भारतीय व्यापारी पोत परिवहन अधिनियम या अन्य तत्संबंधी अधिनियम इस विषय में नहीं हैं। इस मामले में संविधिक व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

अमेलिया जहाज के कप्तान द्वारा बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से इन्कार

9127. **श्री स० कुन्दू** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 मार्च, 1969 के अमेलिया जहाज के कप्तान ने बम्बई में हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इंकार कर दिया था और जब कर्मचारियों ने बाध्य किया तो उसने ध्वज फहराया परन्तु सूर्यास्त होने पर उसे उतारने से इंकार कर दिया ;

(ख) क्या इस घटना की जाँच की गई है और कोई मुकदमा चलाया गया है ;

(ग) क्या भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने इस घटना का विरोध किया है और कहा है कि पत्तन तथा गोदी कर्मचारी उन देशों के लिये अपनी सामान्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करेंगे जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इंकार करेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्मवाही कर रही है कि भारतीय बन्दरगाहों में आने वाले विदेशी जहाज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराएं ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ख) अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने एक प्रेस वक्तव्य निकाला कि एस० एस० "अमेलिया" के मास्टर ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इंकार किया और गोदी कर्मचारियों के द्वारा बाध्य किये जाने पर ध्वज फहराने के बाद 22 मार्च, 1969 को सूर्यास्त पर नीचे उतारने के लिए तब तक इंकार किया जब तक कर्मचारियों ने जहाज का बहिष्कार करने की धमकी नहीं दी।

पुलिस अधिकारियों को केवल यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि 22 मार्च, 1969 को सूर्यास्त के बाद 6 बजकर 30 मिनट पर एस० एस० "अमेलिया" पर फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। इस पर पुलिस अधिकारियों ने तत्काल जांच पड़ताल की। यह पता चला कि सूर्यास्त के बाद जब पुलिस अधिकारी जहाज के पास गए तो राष्ट्रीय ध्वज उस समय नहीं फहरा रहा था। जांच पड़ताल करने पर यह भी पता चला कि नीचे उतारते समय ध्वज रस्सी में फंस गया था और थोड़ा फट गया था। फटा हुआ ध्वज मास्टर ने सफाई से लपेटकर अलग रख दिया था और उसने तुरन्त नया ध्वज खरीदने का प्रबन्ध भी किया और उसे 23 मार्च, 1969 की सुबह को फहराया। अतः मास्टर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

संघ के अध्यक्ष ने अपने प्रेस वक्तव्य में यह भी कहा कि पत्तन और गोदी कर्मचारी उन विदेशी जहाजों को जो राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदर्शित करने के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धान्तों, नियमों और मानकों को नहीं मानेंगे, शिष्टाचार और आतिथेय की सामान्य सेवाएं नहीं देंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार विदेशी जहाजों को हमारे पत्तनों पर शिष्टाचार के रूप में, राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि व्यापारिक नौबेड़ा ध्वज (चौड़ाई से ड्योढ़ा लंबा लाल झंडा और डंडे के बाद ही सबसे ऊपर के चौथाई भाग मे भारत का राष्ट्रीय ध्वज सहित)। सही स्थिति पत्तन अधिकारियों और अन्य संबंधों को भावी निर्देशन के लिए सूचित की जा रही है।

पदोन्नति के मामले में अधिलंघन

9128. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा चयन के माध्यम से पदोन्नति के लिये गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशानुसार चयन का क्या क्षेत्र निर्धारित किया है ;

(ख) क्या सब मंत्रालयों और विभागों द्वारा इसका पालन समान रूप से किया जाता है :

(ग) क्या एक पद के लिये तीन व्यक्तियों को चयन के निमित बुलाना पक्षपात और असंतोष को दूर करने के लिये पर्याप्त नहीं है ; और

(घ) यदि नहीं, तो बड़े पमाने पर अधिलंघन प्रभावित कर्मचारियों के प्रति सरकार का किस प्रकार से न्याय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी विशेष सेवा के नियमों/विनियमों में जो व्यवस्था है उसके अलावा गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार चयन का क्षेत्र, जहां कहीं सम्भव हो, एक वर्ष के भीतर सम्भावित रिक्तियों की संख्या का 5 या 6 गुने विस्तृत होना चाहिये। मंत्रालयों/विभागों से, सिवाय उन मामलों के जिनमें इन अनुदेशों से कोई विचलन आवश्यक समझा जाता है, इन अनुदेशों का सामान्यतया पालन करने की आशा की जाती है।

(ग) और (घ) चयन द्वारा नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए रिक्तियों की संख्या का तीन गुना साधारणतया चयन का पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र नहीं समझा जाता है। चयनों में जो गुणावगुण के आधार पर होते हैं, अधिलंघन निहित होते हैं। चयन का क्षेत्र नियत करने में अथवा चयन करने में पक्षपात का कोई प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में अधिकारियों की नियुक्ति

9129. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के लिये अधिकारियों की कोई तालिका घोषित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों को तालिका में रखा गया है ;

(ग) चयन के लिये कितने अधिकारियों के मामलों पर विचार किया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि वरीयता सूची में रखे गये 150 या इससे अधिक अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर प्रदान न करके कनिष्ट अधिकारियों को सूची में सबसे ऊपर रखा गया था ;

(ङ) गृह-मंत्रालय नियंत्रणाधीन अन्य किन-किन सेवाओं में गत तीन वर्षों में इतने अधिक मामलों में अधिक्रमण किया गया है ; और

(च) 5 वर्ष से अधिक समय से अपने वेतनमान में अधिकतम वेतन लेने वाले और सेवा के बहुत अच्छे रिकार्ड वाले अधिकारियों को क्या प्रेरणा दी जाती है ?

गृह-काय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 39

(ग) 200

(घ) तथा (ङ). केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में नि क्तियां तथा गृह मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के तत्समान ग्रेड में तथा प्रथम श्रेणी में अन्य केन्द्रीय सेवाओं की नियंत्रित नियुक्तियाँ गुणावगुण के आधार पर की जाती है। अत: बेहतर योग्यता वाले व्यक्तियों के लिये ऐसी नियुक्ति के लिये चयन किये जाने के बेहतर अवसर हैं।

(च) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के मामले में वे व्यक्ति सेवा सेलेक्शन ग्रेड में दीर्घ कालीन नियुक्ति के लिये सामान्यतः चुने जायेंगे जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के वेतनमान का अधिकतम वेतन 5 वर्ष से अधिक समय से पा रहे हैं और प्रतिभाशाली हों वे प्रतिनियुक्ति भत्ते

सहित नि:संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिये पात्र भी होंगें, यदि वे उन पदों की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

ग्रेड एक के अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय में सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाना

9130. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उन तीन अधिकारियों ने सेवा के ग्रेड में कितनी अवधि की सेवा की है जिन्हें सेवा के सेलेक्शन ग्रेड के लिये बनाई गई तालिका में सबसे ऊंचा स्थान दिया ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से दो को 1966 में ग्रेड एक में स्थायी बनाया गया था ;

(ग) क्या इन दोनों अधिकारियों ने केवल 9 या 10 वर्ष की सेवा ही पूरी की है और 12 वर्ष से अधिक की सेवा वाले वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षा की गई थी ;

(घ) यदि हाँ, तो इन दोनों अधिकारियों की क्या विशेष अर्हताएं हैं जिस कारण इन्हें सूची में 150 अथवा इससे भी अधिक लोगों के ऊपर रखा गया है ;

(ङ) क्या उन्होंने चयन बोर्ड के किसी सदस्य के पास पहले काम किया था ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गलत किये काम को अब सुधारने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 9 वर्ष से 13 वर्ष के बीच।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1 और सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति) विनियम, 1964 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में दीर्घकालीन नियुक्ति के लिये वरण सूची में शामिल किये जाने के लिए वरण केवल योग्यता के आधार पर किया जाता है। उल्लिखित दोनों अधिकारियों को वरण समिति द्वारा क्षेत्र में अन्य अधिकारियों की तुलना में बेहतर योग्यता वाला पाया गया।

(ङ) 24-2-69 को जारी की गई वरण सूची को अन्तिम रूप देने वाले सेलेक्शन बोर्ड के किसी सदस्य के साथ उनमें से किसी ने भी अवर सचिव के रूप में काम नहीं किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में दस्यु आक्रान्त क्षेत्रों में सड़कें

9131. **श्री जुगल मंडल** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के दस्यु आक्रान्त क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिये कितनी राशि का नियतन किया है ; और

(ख) गत दो वर्षों में कितनी राशि दी गई और इस सहायता से कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई और इन सड़कों से किन-किन स्थानों को मिलाया गया है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार को उस राज्य के डाकू पीड़ित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिये कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है ।

विश्वविद्यालय स्थापित करने का मापदण्ड

9132. **श्री हेमराज :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) 1968 और 1969 में कितने तथा किन-किन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये मंज़ूरी दी गई ; और

(ग) किन-किन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के मामले नामंजूर किए गये और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) से (ग). विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

(क) नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाता है :—

(1) केन्द्र और राज्यों में साधनों की कमी उपलब्ध साधनों के उपयोग, विद्यमान विश्वविद्यालयों के समेकन और सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उनको सीमित रखने का दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा ।

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये अधिक सुविधाओं की आवश्यकताओं को यथा संभव वर्तमान विश्वविद्यालयों के विभागों के प्रसार और जहां आवश्यक हो, नये विभाग स्थापित करके पूरा किया जाना चाहिए । किसी विश्वविद्यायय के क्षेत्राधिकार में अन्य स्थानों में विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है ।

(3) जहां वर्तमान विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के लिये व्यवस्था नहीं कर सकते और शैक्षणिक और प्रशासनिक आधार पर एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक समझी जाती है, वहाँ पर नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने चाहिऐं ।

(ख) भारत सरकार ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये स्वीकृति प्रदान की है :—

(1) नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में कुमाऊं विश्वविद्यालय ।

(2) कालिकट विश्वविद्यालय, कालिकट (केरल)।

(3) महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (बम्बई में अस्थायी कार्यालय)।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित प्रस्ताव उनके सामने दिये गये कारणों से स्वीकार नहीं किये गये :—

(1) **हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (हिमाचल प्रदेश)**

यह समझा गया कि हिमाचल प्रदेश के लिये एक प्रथक त्रिश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर शिमला स्थित स्नातकोत्तर अध्ययन के केन्द्र के कुछ प्रगति करने के पश्चात विचार किया जाये जा सकता है।

(2) **रीवां में अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश)**

प्रस्ताव इस बात को ध्यान में रखकर स्वीकार नहीं किया गया कि राज्य में पहले ही अनेक विश्वविद्यालय हैं, जिनके शिक्षा और अनुसंधान के स्तर को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। (इस बीच यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है।)

(3) **गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर (गुजरात)**

भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गुजरात सरकार ने यह विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया था। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बारे में मालूम हुआ, तो राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि आधुनिक औषध तथा सम्बद्ध विद्वान से प्रथक करके एक प्रथक विज्ञान के रूप में आयुर्वेदिक विषय को प्रोत्साहन देना आयुर्वेद सहित औषध विज्ञान में शिक्षा और प्रगति के हक में नहीं होगा।

(4) **राबेनशा कालेज, कटक को रिहायशी विश्वविद्यालय बनाना**

राज्य सरकार का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि इस स्थिति में कटक में विश्वविद्यालय स्थापित करना उचित नहीं है और इस संस्थान को कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्रदान करना लाभदायक होगा, जैसा कि शिक्षा आयोग (1964-66) के प्रतिवेदन में कहा गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स की दिल्ली से मद्रास और बम्बई से कोचीन तक विमान सेवा

9133. **श्री मंगलाथुमाडोम : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अप्रैल, 1969 से लागू होने वाली इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की नई समय सारिणी से पता चलता है कि उसमें दिल्ली से मद्रास के लिये एक अतिरिक्त दैनिक उड़ान की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली से मद्रास और बम्बई से कोचीन तक विमान की एक दूसरी

उड़ान की आवश्यकता का पता लगाने के लिये यातायात की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स की ग्रीष्मकालीन समय सूची में दिल्ली-मद्रास के बीच गत वर्षों की भांति केवल एक-एक कारवेल सेवा की व्यवस्था की गयी है क्योंकि प्रत्येक और केवल एक-एक सेवा वहां के यातायात के लिए बिल्कुल पर्याप्त समझी गई है।

(ख) यातायात का मूल्यांकन किया गया है और यह देखा गया है कि इस समय उपलब्ध यातायात दिल्ली और मद्रास के बीच एक दूसरी उड़ान की व्यवस्था के औचित्य को सिद्ध नहीं करता। इसी प्रकार उपलब्ध यातायात बम्बई से कोचीन के लिए एक अतिरिक्त सेवा की व्यवस्था के औचित्य को सिद्ध नहीं करता।

पालम हवाई अड्डे पर ' केटरर" पर बकाया राशि की वसूली

9134. **श्री राजदेव सिंह : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री पालम हवाई अड्डे पर 'केटरर' के बारे में 10 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10463 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केटरर द्वारा देय सरकारी बकाया राशि की वसूली के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) उस पर आज तक कितनी राशि बकाया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि एक काली सूची में रखी गई फर्म का भी ठेके में हित है ; और

(घ) क्या इस बारे में जांच करने का भी प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) दिल्ली क्षेत्र के विमानक्षेत्र नियंत्रक ने राज्य संपदा अधिकारी की हैसियत से सरकारी उगाही को वसूल करने के लिये पब्लिक प्रेमिसेज (इविक्शन औफ अन-आथोराइज्ड आक्युपेशन) एक्ट, 1956, जिसे कि 1968 में संशोधित किया गया, के आधीन कार्यवाही की है। मामलों की स्थिति इस प्रकार है :

आवृत अवधि (पीरियड कवर्ड)	स्थिति (पोजीशन)
1-3-67 से 31-7-67 तक। 1-1-68 से 30-4-68 तक। 1-5-68 से 30-6-'8 तक। 1-7-68 से 30-9-68 तक।	खानपान प्रबन्धक ने जिला न्यायालय में अपील दायर की और "स्टे आर्डर" ले लिया। मामले अभी अनिर्णित हैं।

आवृत अवधि (पीरियड कवर्ड)	स्थिति (पोजीशन)
1-8-67 से 31-12-67 तक	खानपान प्रबन्धक ने उपरोक्त एक्ट के सेक्शन 7 की वैधता को दिल्ली उच्च न्यायालय में "रिट पेटीशन" देकर चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने खानपान प्रबन्धक को आदेश दिया है कि वह अपने हिसाब से रकम अदा कर दे। खानपान प्रबन्धक ने 17,500/- रुपये की एक अदायगी कर दी है। "रिट पेटीशन" अभी अनिर्णीत पड़ी है।
1-10-68 से 31-12-68 तक। 1-1-69 से 31-3-69 तक ।	राज्य सम्पदा अधिकारी की उपरोक्त एक्ट के अधीन कार्यवाही जारी हैं।

(ख) खानपान प्रबन्धक के एडवोकेट द्वारा बकाया में से एक 17,500/- रुपये का चेक दिये जाने के पश्चात 31-3-1969 को समाप्त होने वाली अवधि तक कुल देय रकम 2,63,978.30 रुपया बकाया थी। इसके अतिरिक्त 1966 से पहले की बिजली के किराये की एक 2,295/- रुपये की रकम भी बकाया है ;

(ग) हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) यदि कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त होगी तो आवश्यक जांच-पड़ताल की जायेगी।

केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी

9135. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सचिवालय तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में 4 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनकी लम्बी अवधि तक प्रतिनियुक्ति से उनकी मूल सेवा को हानि नहीं होती है ;

(ग) क्या उक्त सचिवालय में उप-सचिव तथा अवर सचिव के रूप में अथवा तत्समान पदों पर नियुक्त होने पर वे क्रमश: 300 रुपये और 200 रुपये का विशेष वेतन पाने के हकदार होते हैं ;

(घ) क्या उनमें से अधिकतर अधिकारियों के पास सरकारी आवास हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन्हें उनके वेतनमान के अलावा विशेष वेतन देने का क्या विशेष कारण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). इस समय केन्द्रीय सेवाओं के 23 अधिकारी चार वर्ष से अधिक सचिवालय पदों पर आसीन हैं। केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की विभिन्न सचिवालय पदों पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति कालावधि आधार केन्द्र में सचिवालय-कार्य में क्षेत्रीय व्यवहारिक अनुभव लाने की दृष्टि से की जाती है और

दूसरी ओर यह कि क्षेत्र-अधिकारी भी केन्द्र में नीतियों के बनाने में अनुभव प्राप्त कर सकें। कालावधि नियम के अनुसार अवर सचिव के पद पर कालावधि-प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि 3 वर्ष, उपसचिव के पदों पर चार वर्ष तथा अन्य उच्च पदों पर 5 वर्ष है। अवर सचिव और उप सचिव के पदों पर आसीन रहते हुए वे वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार विशेष वेतन पाने के अधिकारी होते हैं। उन्हें नियमों के अनुसार सरकारी निवास-स्थान उनकी बारी पर दिये जाते हैं।

Wearing of Sepcial Dress by Government Employees on Duty

9136. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there any orders issued by Government under which Gazetted Officers and employees of the Government of India have to wear some special dress during their duty hours and, if so, the details thereof ; and

(b) whether Government propose to issue orders regarding the use of some such special dress by the male and female Officials during their duty hour, as may anhance the prestige of the country, keeping in view the climate and cultural peculiarities of the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). Government have not issued any orders prescribing any particular type of dress to be worn by Government officials during their duty hours but instructions recommending the use of following type of dress had been issued in 1954 :

For Men Civilian Officers	For Women Civilian Officers
A short buttoned-up coat and trousers which need not be of the same colour. Either garment may be white, grey or of any other quiet shade, Loud or gaudy colours should be avoided.	Plain cotton or silk sari without a border or with simple border ; or shalwar, kamis and doopata (or, for those who habitually wear them, skirt and blouse).
In the hot weather a bush-shirt may be worn informally in office.	

While making the recommendations all relevant factors as climate, cultural peculiarities of the country, convenience and the need for a smart and workmanlike appearance were taken into account.

भारत की शिक्षा समस्याओं को हल करने के लिये अमरीकी विश्वविद्यालयों से सहायता की पेशकश

9137. **श्री तुलसी दास दासप्पा :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओहियो तथा अन्य अमरीकी विश्वविद्यालय भारत की सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं समेत सभी शिक्षा समस्याओं को हल करने के लिये सहायता करने के इच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी "डीन, कालिज आफ एजुकेशन, ओहियो" से क्या बातचीत हुई ; और

(ग) सरकार का विचार अमरीकी विश्वविद्यालयों से किस प्रकार सहायता लेने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, ओहिओ और कोलम्बिया विश्वविद्यालयों ने चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों की स्थापना और उनके विकास, सेवा कर रहे अध्यापकों के लिए विस्तार सेवा के आयोजन, सहकारी अनुसंधान प्रायोजनाओं के संचालन और अमरीका में भारतीय कर्मचारियों के विशिष्ट प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पहले ही सहायता की है ।

अप्रैल 1969 में डीन सैवेरिनो के साथ हुए विचार-विमर्श का सम्बन्ध मुख्यरूप से क्षेत्रीय कालेजों का और आगे विकास कैसे हो इन सम्भावनाओं के बारे में पता करने से था ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की योजना

9138. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने विज्ञान की पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) कुल कितनी गैर-सरकारी संस्थाएं विज्ञान की पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) ने भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के हेतु एक योजना बनाई है ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) ठीक संख्या ज्ञात नहीं है । ज्ञात हुआ है कि लगभग एक दर्जन संस्थाएं लोकप्रिय-विज्ञान पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं ।

विवरण

वित्तीय सहायता देने के लिये शर्तें

गैर-सरकारी संस्थाओं को विभिन्न भारतीय भाषाओं में विज्ञान सम्बन्धी पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया तथा शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जायेगी :

(1) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से वित्तीय सहायता के लिये किसी गैर-सरकारी संस्था से प्राप्त सब प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि वह संस्था पहले से ही एक पंजीकृत संस्था हो ।

(2) जन भाषाओं में वैज्ञानिक/तकनीकी ज्ञान के प्रसार के क्षेत्र ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(3) पत्र/पत्रिका के पहले के वर्ष में 1000 से कम ग्राहक नहीं होने चाहिए ।

(4) यह सहायता केवल आवर्ती व्यय, अर्थात् सम्पादकीय उत्पादन तथा पत्रिका के प्रकाशन के लिये कार्य पर होने वाले व्यय, के लिये दी जायेगी ।

(5) वित्तीय सहायता की राशि का निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-दोष, अर्थात उसकी उपयोगिता, लोकप्रियता, वित्तीय दायित्व आदि, के आधार पर किया जायेगा । किसी भी स्थिति में वित्तीय सहायता की राशि किसी वित्तीय वर्ष में सम्पादकीय, उत्पादन तथा कार्य-व्यय के 50 प्रतिशत से अथवा 5,000 रुपये से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी ।

(6) गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब कि प्रस्ताव के साथ शासपत्रित लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित पहले वर्ष का लेखा परीक्षित लेखा विवरण तथा उसके वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हो ।

(7) अनुदान समुचित किश्तों में दिया जायेगा ।

(8) दुबारा अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जबकि सहायता मिलने के बाद संस्था की पत्रिका के कार्य से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सन्तुष्ट होगी ।

(9) वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद तीन महीने के अन्दर वित्तीय सहायता लेने वाली संस्था को वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में व्यय और उपयोग किये जाने का पूरा लेखा जो शासपत्रित लेखापाल द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित हो, प्रस्तुत करना होगा । यदि अनुदान में से कुछ राशि अप्रयुक्त बची हो तो वह या तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को वापिस की जानी चाहिए या यदि भविष्य में कोई अनुदान दिया जाये तो उसके हिसाब में दिखाई जाये । यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की इच्छा पर निर्भर होगा ।

(10) जिस प्रकाशन के लिये अनुदान मंजूर किया गया हो अथवा दिया गया हो यदि उसका प्रकाशन बन्द कर दिया जाये तो उसका अप्रयुक्त अंश, यदि कोई हो, तुरन्त वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को वापिस की जानी चाहिए और उसके साथ लेखापरीक्षा का उपयोग करने का प्रमाण पत्र होना चाहिये ।

(11) वित्तीय सहायता इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध धन पर निर्भर रहेगी ।

(12) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से वित्तीय सहायता लेने वाली प्रत्येक संस्था को अपने प्रत्येक संस्करण की दो प्रतियां निशुल्क वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान परिषद को देनी होगी ।

(13) वित्तीय सहायता के लिये प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने का कार्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक महानिदेशक द्वारा किसी समिति अथवा निकाय अथवा विशेषज्ञों के द्वारा किया जायेगा।

Bridge over River Ganga in Patna

9139. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Bali Ram Bhagat, Union Minister of Foreign Trade and Supply, had stated in Patna recently that just like the Bridge over the Hooghly river, a bridge can be constructed over the river Ganga in Patna outside the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the underlying idea behind the statement ;

(c) whether it is also a fact that Shri Bhagat has placed certain plan in this regard before t he Cabinet :

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the reaction of Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Deparment of Parliamentary Affairs, and in the Ministry or Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (e), The project relating to the construction of the proposed bridge over the river Ganga at Patna is the concern of the Government of Bihar as it would fall on a State road. It is understood that Shri Bali Ram Bhagat, Union Minister of Foreign Trade and Supply, has written a letter about the bridge in question to the Deputy Chairman, Planning Commissian.

भारत में सब के लिये प्राथमिक शिक्षा

9140. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में सब के लिये प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के मामले में कितनी प्रगति की है :

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें इस लक्ष्य की प्राप्ति में 10 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक समय लगेगा ;

(घ) सरकार देश में सब के लिए प्राथमिक शिक्षा के शीघ्र प्रसार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ङ) गत 20 वर्षों में इस लक्ष्य के प्राप्त न होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ङ). चूंकि शिक्षा एक राज्य विषय है, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिर भी, प्रत्येक सरकार तथा प्रशासन, अपने साधनों के अन्तर्गत, भरसक प्रयत्न कर रही है। विभिन्न राज्यों की अब तक की उपलब्धि तथा भावी लक्ष्य संलग्न विवरण में दर्शाए गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 1085/69]

अभी तक लक्ष्य प्राप्त न हो सकने के कारणों में निम्नांकित कारण मुख्य हैं :—

(i) साधनों की कमी ;

(ii) बरबादी तथा निश्चलता ;

(iii) कुछ क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूल भेजने के विरुद्ध भावना ;

(iv) कबीले, पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों और तितर-बितर आबादी के लि ; स्कूलों की व्यवस्था करने में कठिनाइयाँ ;

(v) प्रौढ़ निरक्षरता की उच्च प्रतिशतता ।

छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि के नियतन में वृद्धि

9141. **श्री लोबो प्रभु** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमों में किस परिवर्तन अथवा छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि के कारण वर्ष 1968-69 के बजट में नियत की गई छात्रवृत्ति की राशि 1.55 करोड़ रुपये से बढ़ा कर वर्ष 1969-70 के बजट में 2.16 करोड़ रुपए कर दी गई है;

(ख) योग्यता के आधार पर कितनी प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ दी जाती है और यदि छात्रवृत्तियाँ चाहे किन्हीं अन्य कारणों से भी दी जाती हों, तो उन छात्रों पर, जो अपने पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं, होने वाले फिजूल खर्च को रोकने के लिए सीमित प्रतियोगिता क्यों नहीं की जाती है; और

(ग) क्या पाठ्यक्रमों को पूरा न किये जाने के परिणामस्वरूप बेकार होने वाली छात्रवृत्तियों के अनुपात के बारे में जांच करने का उनके मंत्रालय का विचार है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) माननीय सदस्य द्वारा संदर्भित बजट व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा की चार योजनाएं शामिल हैं, अर्थात अनुसंधान प्रशिक्षण छात्रवृत्तियाँ, योग्यता तथा साधन छात्रवृत्तियां, इंजीनियरी स्नातक तथा डिप्लोमा धारियों तथा तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षणों/व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना के अधीन अतिरिक्त प्रशिक्षण स्थानों के कारण ही, चालू वर्ष की बजट व्यवस्था में बढ़ोतरी की गई है ।

(ख) अनुसंधान प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां, केवल योग्यता के आधार पर ही दी जाती हैं । व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये, उम्मीदवारों का चयन, चयन समितियों के जरिये योग्यता के आधार पर किया जाता है । तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के लिये, केवल उन्हीं उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जो प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा रिक्त अधिकारिक स्थानों को भरने के लिये तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित होते हैं। योग्यता तथा साधन छात्रवृत्ति योजना के अधीन, प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, की शर्त निर्धारित की गई है । किन्तु तकनीकी संस्थाओं के नए विद्यार्थियों को इस योजना के अधीन छात्रवृत्तियाँ देना बन्द कर दिया गया है ।

योग्यता तथा साधन छात्रवृत्ति योजना के अधीन ऐसे उम्मीदवारों की छात्रवृत्तियां रोक दी जाती हैं, जिनका कार्य पाठ्यक्रम के दौरान असंतोषजनक होता है। उम्मीदवारों की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर, अन्य योजनाओं में छात्रवृत्तियां रोकने की ऐसी ही व्यवस्था है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित स्थिति के कारण, यह प्रश्न नहीं उठता।

मोहनजोदोड़ों की मुहरें

9142. **श्री बृजराज सिंह :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में ही स्वेडन के "रिसर्च प्रोफेसरों" ने प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो की मुहरों को पढ़ने की कुंजी खोज निकाली है जिसका अभी तक कुछ पता नहीं था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस महत्वपूर्ण खोज के व्योरे सभा पटल पर रखने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, फिन्लेन्ड के विद्वानों के एक दल ने सिंधु सभ्यता की मूल-द्रविड शिलालेखों को पढ़ने का दावा किया है।

(क) फिन्लेन्ड के विद्वानों की उपलब्धियों की जांच की जा रही है।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

9143. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उसके अधीन विभागों तथा सरकारी संगठनों में 1965 से हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक श्रेणी में कितने अतिरिक्त पद बनाये गये तथा उनके विभाग में वर्षवार कितने अनुसूचिवीय कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण दिया गया तथा कितने कर्मचारी सरकारी काम काज हिन्दी में कर सकते हैं; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित अनुदेशों को सभी संबंधितों के पास उनके पालन के लिए भेजा जाता है। मंत्रालय में अनुदेश जारी किए गए हैं कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में भेजा जाए और आदेशों परिपत्रों आदि को भी हिन्दी में जारी किया जाए। कुछ अनुभागों में, जहां सुविधा-पूर्वक सम्भव हो, सरल नोट लिखने और मसौदा तैयार करने का कार्य भी हिन्दी में किया जाता है।

(ख) हाल ही में तीन हिन्दी अनुवादकों और चार अवर श्रेणी लिपिकों के अतिरिक्त

पदों का निर्माण किया गया है। लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों में से 456 सदस्यों ने हिन्दी का या तो स्कूल ओर/अथवा कालेज में एक विषय के रूप में अध्ययन किया है या हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्राज्ञ परीक्षा पास कर ली है। व्यौरा इस प्रकार है :—

अनुभाग अधिकारी	20
सहायक	107
तकनीकी सहायक	40
प्रवर श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक	232
पुस्तकाध्यक्ष	36
आशुलिपिक	21
	456

(ग) स्वीकृत अतिरिक्त पदों के वेतन तथा भत्तों पर अप्रैल, 1969 तक 1,064.60 रुपए खर्च किए गए हैं।

कोहिमा में सेना के एक मेजर की पत्नी का एक लड़की को गोली से मारना

9144 **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री क० लकप्पा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अप्रैल, 1969 को कोहिमा में एक मेजर की पत्नी ने 12 वर्ष की एक आओ जनजाति लड़की को गोली मारी थी जिसके परिणामस्वरूप 6 अप्रैल, 1969 को उसकी मृत्यु हो गई;

(ख) क्या गोली चलाने से पहले आसाम राइफल्स के मेजर की पत्नी ने उस लड़की, उसकी मां और अन्य व्यक्तियों के पीछे दो कुत्ते छोड़े थे और यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है;

(ग) गत तीन वर्षों में कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि विशेषकर नाजुक जनजातीय क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). गोली से जख्मी आओ जनजाति की एक लगभग 10 वर्षीय लड़की मोकोकचुंग में अस्पताल में दाखिल की गई थी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह आरोप था कि असम राइफल के एक अधिकारी की पत्नी ने लड़की को गोली मारी थी। अधिकारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में दायर किये गये मामले में जांच-पड़ताल हो रही है।

(ग) तथा (घ). अपेक्षित सूचना नागालैंड सरकार से मालूम की जा है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में राजकीय परिवहन सेवा

9145. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि इस समय त्रिपुरा में कोई राजकीय परिवहन सेवा नहीं है;

(ख) क्या सरकार की नीति धीरे-धीरे अन्तराज्यीय परिवहन समेत यात्री सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ग) क्या त्रिपुरा में राज्य परिवहन सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य, तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). यात्री सड़क परिवहन के क्रमिक राष्ट्रीय करण की नीति के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना काल में त्रिपुरा में एक सड़क परिवहन निगम स्थापित करने का विचार है।

त्रिपुरा में सड़क विकास

9146. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 में और पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति पर और इस समय त्रिपुरा में प्रति 100 किलोमीटर के पीछे सड़क की लम्बाई क्या थी और अखिल भारतीय तथा राज्य-वार आंकड़ों की तुलना में आंकड़े कैसे हैं ;

(ख) 1969-70 और चौथी योजना अवधि में त्रिपुरा में सड़क विकास का कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) चौथी योजना के अंत तक सड़क विकास के मामले में त्रिपुरा किस हद तक अखिल भारतीय स्तर पर आ सकेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्तियां देना

9147. **श्री ब० रा० परमार :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री किकर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री देवेन सेन :

क्या शिक्षा **तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के छात्रों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्तियां देने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को कितनी विदेश अध्ययन छात्रवृत्तियां दी गयीं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में भारतीय छात्रों को कितनी विदेश अध्ययन छात्रवृत्तियाँ दी गई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को 15 तथा अनुसूचित कबीलों के उम्मीदवारों को 9 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं ;

(ग) विदेश अध्ययन के लिए भारतीय विद्यार्थियों को 1056 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं जिनमें मित्र देशों द्वारा प्रदान की गई 10.2 छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं।

Activities of Armed Pak Gangs on Kathua Border

9148. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that armed Pakistani Gangs are active in border areas particularly in Hiranagar Tehsil of Kathua District ;

(b) whether it is also a fact that Pakistanis have driven away 1,67,000 heads of cattle into Pakistan since 1966 ;

(c) whether it is further a fact that these gangs indulge in cow-slaughter apart from driving way cattle ; and

(d) if so, the nature of orders issued to Security Forces to take action in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Information from the State Government is awaited and will be laid on the Table of the House when received.

(b) According to the information received from the Government of West Bengal, Punjab, Jammu and Kashir and Rajasthan, the number of cattle driven away or stolen by Pakistanis during the period from the Ist January, 1966 to the 31st December, 1968 is 15,583. Information from other border States is awaited.

(c) Governments of Assam, Tripura, Punjab and West Bengal have no such information. Information from the other border States is awaited and will be pleased on the Table of the House when received.

(d) Regular and intensive patrolling is carried out by the security forces to deal with intrusions and trans-border crime.

शिल्चर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

9149. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज आरम्भ करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कालेज का कार्यालय अभी भी शिलांग में कार्य कर रहा है और उसे सिल्चर में स्थानान्तरित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कालेज के गवर्नर्स बोर्ड ने, 15 अप्रैल 1969 को हुई अपनी बैठक में, कालेज भवन का निर्माण प्रारम्भ करने का निर्णय किया है । मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है ।

(ख) और (ख). जी हां । स्थान उपलब्ध होते ही कालेज का कार्यालय सिल्चर स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ।

बंगाल बन्द के दौरान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का बन्द रहना

9150. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल, 1969 को केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी कार्यालयों के लिए इस दिन की छुट्टी घोषित की जायेगी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 10 अप्रैल, 1969 को कुछ स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों की सामान्य संख्या के साथ कार्य हुआ था । कुछ कार्यालयों में उपस्थिति बहुत थोड़ी थी तथा कुछ में अनुपस्थिति के कारण काम बिलकुल नहीं हुआ ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

शिक्षा स्तर में सुधार के लिये त्रिभाषा सूत्र

9151. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए उन्होंने एक त्रिभाषी सूत्र का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस मामले में कब तक विधान लाने का विचार कर रही है ?

शिक्षा शथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Cellular Jail in Andaman

9152. **Shri Mrityunjay Prasad :** **Shri S. Kundu :**
Shri V. Narasimha Rao : **Shri K. P. Singh Deo :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the 'Hindustan Standard' dates 9th April, 1969 under the head "Cellular Jail (despite P.M's instruction) demolished" ;

(b) if so, the factual position in this regard ;

(c) whether Government have received representation for the preservation of the jail building as a national monument ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The Cellular Jail at Port Blair, which was completed in the year 1903, was in the shape of a star with seven three-storeyed wings spreading out from a Central Tower. Two of its wings, namely wings Nos. 3 and 4 were destroyed during the Japanese occupation of the Islands. Wing No. 5 was also partially demolished during that period. After re-occupation of the Islands, the building was examined by engineers and a major portion of it was declared unsafe. It was, therefore, decided to demolish the structure, retaining only its Central Tower to serve as a memorial. The demolition of wing No. 5 was sanctioned in March 1960 and this wing was demolished by July, 1960. Wing No. 2 was also in a dilapidated condition and was likely to collapse at any time. Its demolition was sactioned in March, 1963 and it was demolished by March, 1968. Only the Central Tower and three wings are now left. The Ex-Andaman Political Prisoners Fraternity Circle, Calcutta, have represented that the Cellular Jail may be preserved as a "National Memorial". It has since been decided to preserve the Central Tower and the existing three wings of the Jail as a National Monument.

प्रतिनियुक्ति के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों के चयन की कसौटी

9153. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री शम्भू नाथ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डे के अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण अथवा अन्य कार्य निमित्त प्रतिनियुक्ति के लिये किस आधार पर चुना जाता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनको भेजने के कारण क्या थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि अन्य लोगों की उपेक्षा करके एक पदाधिकारी विशेष को ही अनेक बार प्रतिनियुक्त किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उडडयन मंत्री (डा० कर्ण सिह) : (क) जिस आधार पर नागर विमानन विभाग के अधिकारी प्रशिक्षण एवं बैठकों व सम्मेलनों इत्यादि में भाग लेने तथा नियुक्ति के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्ति के लिए चुने जाते हैं उसका विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1086/69]

(ख) नागर विमानन विभाग के जो अधिकारी 1-1-1966 से विदेशों में प्रतिनियुक्ति किये गये हैं उनका ब्यौरा परिशिष्ट 11 में दिया गया है । **पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1086/69]

(ग) जी, नहीं ।

हवाई अड्डों के नियन्त्रकों का स्थानान्तरण

9154. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री शम्भू नाथ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों के हवाई अड्डों के नियंत्रकों को एक स्थान पर कितने समय के लिए रखा जाता है ; और

(ख) क्या एक ही स्थान पर लम्बी अवधि तक ठहरने वाले नियंत्रकों को अन्यत्र तबदील करने का सरकार विचार कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) प्रत्येक नियंत्रक के, नियुक्ति के वर्तमान स्टेशन पर, ठहरने की अवधि नीचे उसके नाम के आगे दी गयी है : —

श्री एस० जी० देशपांडे, विमानक्षेत्र नियंत्रक, बम्बई ।	15-1-1963 से अब तक
श्री जे० एन० धर, विमानक्षेत्र नियंत्रक, दिल्ली	2-3-1968 से अब तक
श्री जोगिन्दर सिंह, विमानक्षेत्र नियंत्रक, मद्रास	17-3-1969 से अब तक
श्री पी० के० रामचंद्रन्, विमानक्षेत्र नियंत्रक, कलकत्ता	10-3-1969 से अब तक

(ख) जी नहीं । श्री देशपांडे को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर 28-12-1970 से उनकी सेवा निवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए बम्बई में अर्थात् उनके घर के प्रदेश में ही रहने दिया जा रहा है ।

अशोक होटल, नई दिल्ली का टावर

9155. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल के टावर का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सूची के अनुसार हो रहा है ;

(ख) यह टावर कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ; और

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अशोक होटेल्स के रिवाल्विंग टावर का निर्माण कार्य, जोकि तीसरी स्टोरी तक पूरा किया गया था तथा 1-2-1968 को स्थगित कर दिया गया था, अभी पुनः प्रारंभ नहीं किया गया है । समस्त मामला निदेशक मण्डल के विचाराधीन है ।

(ग) 25 लाख रुपये की मूल लागत के मुकाबले पुनरीक्षित लागत 47.25 लाख रुपये होने का अनुमान है ।

राजस्थान में हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियां

9156. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितने हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां काम कर रही हैं ;

(ख) इन में से कितने हवाई अड्डों तथा हवाई पट्टियों को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है और क्या इन को पोषक पथों जैसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाने की कोई योजना है ;

(ग) क्या पहले से प्रयोग में लाये जाने वाले हवाई अड्डों पर और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्यन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). नागर विमानन विभाग के नियंत्रण में राजस्थान में—जयपुर, उदयपुर और कोटा में—तीन सिविल हवाई अड्डे हैं । अनुसूचित विमान सेवाएं केवल जयपुर और उदयपुर से होकर परिचालित की जाती हैं । जयपुर में मुख्य धावन-पथ को 'एल० सी० एन० 30 तक मजबूत बनाने और इसके और आगे विस्तार के लिए भूमि प्राप्त करने और साथ ही उदयपुर के मुख्य धावन पथ के विस्तार एवं उसे मजबूत बनाने के प्रस्तावों पर, उन्हें नागर विमानन विभाग की चौथी योजना में सम्मिलित करने के लिए विचार किया जा रहा है । जहां तक कोटा का सम्बन्ध है, उसकी हवाई पट्टी का क्षेत्र इतना अधिक छोटा है कि मौजूदा धावन पथ का, जोकि केवल डकोटा परिचालनों के योग्य है, विस्तार करना व्यवहार्यता की दृष्टि से सम्भव नहीं है । हवाई अड्डे को किसी अन्य स्थान पर ले जाने के प्रश्न की राज्य सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है इंडियन एयरलाइंस का हवाई पट्टी की मौजूद स्थिति में अपनी फीडर सेवाओं के लिए इस हवाई अड्डे का उपयोग करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुजरात राज्य में तटवर्ती राजपथ

9157. **श्री रा० की० अमीन** :
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में तटवर्ती राजपथों में भावनगर, बड़ौदा और ओखा-पोरबन्दर को मिलाने वाली सड़कें नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सड़कों संबंधी कार्यकारी ग्रुप ने चौथी पंच वर्षीय योजना में तटवर्ती राजपथों में इन सड़कों का निर्माण कार्य शामिल करने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पहली अप्रैल, 1966 से आरम्भ होने वाली चौथी योजना से संबंधित कार्यकारी ग्रुप जो 1964 में स्थापित किया गया था उसने योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में, गुजरात में केम्वे से लेकर मालिया तक समस्त तटीय सड़क प्रायोजना को केन्द्रीय सहायता प्रायोजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। पहली अप्रैल 1969 से आरम्भ होने वाली चौथी योजना के बारे में कार्यकारी ग्रुप ने फिर भी ऐसी कोई विशेष सिफारिश नहीं की है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों का शीघ्र निपटारा

9158. श्री श्री गोपाल साबू : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) ऐसे मामलों में पुनरीक्षण याचिकाओं को निपटाने में उच्च न्यायालय द्वारा कितना समय लिया जाता है और उन के शीघ्र निपटारे के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पंजाब तथा हरियाणा के समस्त जिला तथा सब न्यायाधीशों से अधीनस्थ न्यायाधीशों के न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े पुराने मामलों को शीघ्र निपटाने को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया गया है। उच्च न्यायालय में प्राप्त पुराने मामलों की हिस्ट्री शीटों की बारीकी से संवीक्षा की जाती है और जहाँ कहीं आवश्यक होता है अनुदेश जारी किये जाते हैं।

(ख) अत्यावश्यक पुनरीक्षण याचिकाओं को निपटाने में सामान्यत: 3 से 6 महीने का समय लगता है और साधारण पुनरीक्षण याचिकाओं को निपदाने में 1 से 2 वर्ष तक लग जाते हैं। मुकदमों में दायर की गई एक वर्ष से अधिक पुरानी पुनरीक्षाओं याचिकाओं को निपटाने में 1 से 2 वर्ष तक लग जाते हैं। मुकदमों में दायर की गई एक वर्ष से अधिक पुरानी पुनरीक्षण याचिकाओं को अन्य मामलों के ऊपर वरीयता दी जाती है।

Aid to Samyukta Sadachar Samiti for Eradication of Corruption

9159. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any assistance or facility is provided by Government to the Samyukta Sadachar Samiti, an organisation which is intended to eradicate corruption in the country ; and

(b) if so, the details thereof, year-wise, since 1957, when it came into being ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The Samyukata Sadachar Samiti, was formed in 1964. Since 1964 two first class All India Complimentary open Card Passes have been issued annually by the Ministry of Railways in favour of any worker of the Samiti. Office accommodation was also allotted in 1964 by the Department of Works, Housing and Urban Development initially on rent free basis but this concession was withdrawn with effect from 1st December, 1965. The allotment has now been cancelled owing to the failure of the Samiti to pay rent.

Transmitter Seized in Jama Masjid

9160. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an active transmitter was seized from a person who was arrested near Jama Masjid, Delhi recently ; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A trans receiver set in working condition was seized on 6th April from a junk dealer. It was not then in use.

(b) A case under section 6(1-A) of the Indian Wireless Telegraphy Act was registered against one Shri Shakur Ahmed and is being investigated. During the course of investigation, two other persons were also arrested. The investigation has so far not revealed any subversive or espionage activities on the part of the accused.

Reservations for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Central and State Services and in Autonomous Bodies

9161. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether posts have been reserved for the Scheduled Castes in Central as well as State Services and in autonomous bodies and, if so, the details thereof ;

(b) whether he is aware that most of such reserved posts are not filled on the plea that applications from the Scheduled Castes/Scheduled Tribes were not forthcoming ; and

(c) if so, the steps which Government propose to take to set matter's right ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Vacancies are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services and posts filled by direct recruitment and in certain categories of services and posts filled by promotion, under the Government of India. Details of the reservations made are given in the statement annexed (Annexure I). Regarding autonomous bodies under the control of the Government of India, the administrative Ministries were asked by the Ministry of Home Affairs, in 1954, to direct the statutory bodies which were not then following the orders regarding reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to follow them provided the relevant statute permitted of such a direction. If in any particular case, the relevant statute did not permit of a direction to follow the reservation orders, the Ministries were requested to recommend these orders to the statutory authority for adoption by it. The State Government have also made reservations for Scheduled Castes and Scheduted Tribes in services under them under the orders issued by the respective State Governments. Based on the available information, a statement showing the reservations made in the services under the State Governments is annexed (Annexure II). [*Placed in Library. See* No. LT—1087/69].

(b) and (c). In services under the Central Government vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled by others unless all the steps to secure candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are taken and suitable candidates from these communities are still not available. These steps are, in the case of services and posts recruitment to which is made otherwise than through the Union Public Service Commission, notifying vacancies to the Employment Exchange, advertisement in newspapers and intimating vacancies to the associations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes recognised for the purpose. With a view to attract more candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the reserved vacancies the Government have already granted a number of concessions, such as age relaxation by five years for appointment to a service or post, reduced free for application for recruitment examinations

or for selection to a service or post, grant of travelling allowance when called for interview for appointment to Class III and IV advertised posts, application of relaxed standards of suitability in the matter of recruitment to services/posts etc. The reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services under the State Governments are the concern of the respective State Governments vide Article 335 read with Articles 16(4) and 12 of the Constitution.

राष्ट्रीय गीत का गाया जाना

9162. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री रा० बरुग्रा :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिल नाडु में एक सभा में, जिसमें उस राज्य के शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे, एक कालेज के कुछ छात्रों ने राष्ट्रीय गीत को नहीं गाने दिया और उसके स्थान पर उसका तमिल रूपान्तर गाया गया ;

(ख) क्या राष्ट्रीय गीत का वह तमिल रूपान्तर अधिकृत है ;

(ग) हमारे राष्ट्रीय गीत के प्रति इतना अधिक असम्मान प्रदर्शित किये जाने के विरुद्ध सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार का विचार संविधान में कुछ ऐसे उपबन्ध करने का है जिससे राष्ट्रीय गीत के प्रति असम्मान दिखाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) जन गण मन के नाम से ज्ञात शब्दों की रचना की सम्पूर्णता और संगीत भारत का राष्ट्रीय गान है और सरकार ने इस रचना में किसी दूसरी भाषा में अनुवाद द्वारा या किसी अन्य तरीके से किसी परिवर्तन को मान्यता नहीं दी है । अतः राष्ट्रीय गान का कोई अधिकृत तमिल रूपान्तर नहीं है ।

(ग) से (ङ). राष्ट्रीय गान के अपमान के प्रत्यक्ष कृत्यों को दण्ड देने के लिए एक विधान बनाने का प्रस्ताव है ।

इन्जीनियरी-स्नातकों और डिप्लोमा धारियों को बेरोजगारी भत्ता

9163. **श्री निहाल सिंह :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 7 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2248 के उत्तर से सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ और दिल्ली में इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों को कितने स्थानों पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है और इसका व्योरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने व्यक्तियों को यह प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है ; और

(ख) उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए कौन सी शर्तें पूरी करने पर चुना जाता है और यन का काम किस अधिकरण को सौंपा गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1088/69]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा बनाए गए जहाजों की अन्तर्राज्यीय कीमत

9164. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपने 37वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि जहाज के मालिकों द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड को दिया जाने वाला मूल्य उचित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य होना चाहिये ;

(ख) यह सिफारिश कब की गई थी ;

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) इस की क्रियान्वित में विलम्ब के कारण शिपयार्ड पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) शिपयार्ड द्वारा बनाये गये जहाजों को कौन-कौन से समवाय खरीद रहे हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी, हाँ, मार्च 1967 में।

(ग) और (घ). यार्ड में बनाये जाने वाले जहाजों के लिए मूल्य सूत्र का निश्चियींकरण का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लेने की सम्भावना है। तब तक वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, जहाजों के उत्पादन लागत और उनके वर्तमान मूल्य का अन्तर सरकार द्वारा उत्पादन के रूप में पूरा किया जाता है।

(ङ) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

9165. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एकीकृत विकास कार्यक्रम की एक योजना भेजी है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब भेजी गई थी ; और

(ग) उसके बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम ने अपनी उत्पादन क्षमता को 37500 डी० डब्ल्यू० टी० के वर्तमान

वार्षिक उत्पादन से बढ़ाकर 80000 डी० डब्ल्यू० टी० वार्षिक करने के लिए जून 1968 में शिपयार्ड का एक समेकित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार किया है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में 7.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के एक विकास कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव है। सरकार ने कुछ कामों को और तत्काल आवश्यक उपस्कर (जो यार्ड के विकास कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं) को लगभग 3.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पहले ही मंजूर कर लिया है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में युद्ध पूर्व भर्ती किये गये मुख्य भूमि के व्यक्ति

9166. **श्री के० आर० गणेश :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध से पहले के दिनों में अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में से उन्हीं शर्तों तथा निबंधनों पर जिन पर कि अन्य द्वीपों में पैदा हुए लोगों को भर्ती किया जाता है भर्ती किये गये व्यक्तियों को, 22 जनवरी 1951 के बाद पदोन्नति पाने पर भी मुख्य भूमि से भर्ती किये गये व्यक्तियों के समान माना गया है और माना जा रहा है, जैसाकि भारत सरकार के 21 जनवरी. 1951 के आदेश में उप-बन्धित है ; और

(ख) यदि हां, तो युद्ध से पहले के दिनों में द्वीपों से स्थानीय रूप में भर्ती किये गये व्यक्तियों को किस अधिकार/नियम के अन्तर्गत 'मुख्य भूमि' से भर्ती किये गये व्यक्ति माना गया अथवा माना जा रहा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अनपूरक नियम 294-क के खण्ड 2 के अनुसार सरकारी कर्मचारी जो, यद्यपि वहां की सेवा के लिये अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह के बाहर विशेषत: भर्ती नहीं किये गये, अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त भारत के किसी भाग के मूल निवासी हों और 8 जनवरी, 1937 या उससे पहले की तिथि से बिना व्यवधा के सतत सेवा में बने रहे हों, उक्त नियम के अधीन कार्य-ग्रहण अवधि की रियायत के अधिकारी हैं। उन्हें निःशुल्क यात्रा और बिना किराये के आवास की रियायत भी दी जाती थी। अतः भारत सरकार के एक निर्णय के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को अन्दमान विशेष वेतन देने के प्रयोजन के लिए भी मुख्य भूमि से भर्ती किया गया व्यक्ति माना जाता है।

अन्दमान प्रशासन में विशेष वेतन

9167. **श्री के० आर० गणेश :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को जिन का जन्म तथा पालन पोषण पश्चिम बंगाल में हुआ था और जिन्हें पश्चिम बंगाल से अध्यापकों के रूप में भर्ती किया गया था अन्दमान प्रशासन द्वारा कभी $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत विशेष वेतन नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख).

कलकत्ता में साक्षात्कार के बाद 1959 में, बारह प्रत्याशियों का प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के पदों के लिए चुनाव किया गया। वे मुख्यत: पूर्व बंगाल से आये शरणार्थी थे और उन्होंने स्थानीय व्यक्तियों को नौकरी देने की शर्तों पर, अर्थात अन्दमान-विशेष-वेतन रहित वेतनभत्तों पर, काम पर आना मंजूर कर लिया था। इन बारह व्यक्तियों में से आठ ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और काम पर आ गये। बाद में सभी नौकरी छोड़ कर चले गये, सिवाय एक के, जिसे बाद में मुख्यभूमि के कर्मचारियों को उपलब्ध की जाने वाली छूटें और सुविधाएं दी गई।

पुनर्वास मंत्रालय द्वारा मध्य अन्दमान में चलाये जाने वाली बस्ती के इलाकों में स्थित दो प्राथमिक स्कूलों के बन्द हो जाने पर प्राथमिक स्कूलों के फालतू के आठ अध्यापकों को अगस्त, 1968 से, स्थानीय लोगों के लिए निश्चित शर्तों पर खपा लिया गया। इन लोगों ने ये शर्तें मंजूर कर लीं और अपने पदों पर काम शुरू कर दिया।

दिल्ली विकास प्राधिकार की नारायण कालोनी के रेल के पुल पर सड़क

9168. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकार की नारायण कालोनी, नई दिल्ली में रेल के पुल पर एक सड़क बनाने में कितना समय लगेगा ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : सड़क के अक्तूबर, 1970 तक पूरा हो जाने की आशा है।

पश्चिमी बंगाल में कानून में सुधार

9169. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार मृत्यु दण्ड को समाप्त करने समेत न्याय प्रशासन के बारे में आधुनिक विधि शास्त्र के अनेक नये विचारों को कानून में स्थान देने का विचार कर रही है :

(ख) क्या राज्य सरकार दण्ड विधि संहिता में परिवर्तन कर सकती है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(क) और (ग). कानून में विशिष्ट परिवर्तनों के बारे में, जिन्हें करने का राज्य सरकार का विचार हो, सूचना के अभाव में, एक निश्चित उत्तर देने सम्भव नहीं है।

होटल पुनर्विलोकन तथा सर्वेक्षण समिति के सुझाव

9170. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त होटल पुनर्विलोकन तथा सर्वेक्षण समिति

ने भारतीय होटलों में व्यवसायिक अर्हता प्राप्त विदेशी प्रबन्धकों, गृहावेक्षकों, रसोइये तथा अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या होटलों को लाभ पर चलाने के लिए सक्षम तथा अर्हता प्राप्त भारतीय प्रबन्धक न मिलने के कारण ये सुझाव दिये गये हैं ;

(ग) सक्षम प्रबन्धक तैयार करने में इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रीशन एण्ड होटल मैनेजमेंट का क्या योगदान है ; और

(घ) क्या अन्य उद्योगों की अपेक्षा होटल उद्योग की विशेष स्थिति के कारण होटलों के लिए विदेशी प्रबन्धकों की आवश्यकता महसूस की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क), (ख) और (घ). होटल पुनरालोकन तथा सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। उसमें उठाये गये प्रश्नों की सरकार द्वारा सावधानी से जाँच की जायेगी।

(ग) एक ऐसे क्षेत्र में जिसमें कि अनेक वर्गों के कर्मचारियों की बहुत अधिक मांग होने की सम्भावना है, एक महत्त्वपूर्ण शुरूआत की गयी है। खान-पान तथा होटल प्रबन्ध संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षणार्थी आरम्भ में जूनियर मैनेजीरियल पदों पर नियुक्त हो सकते हैं और यथासमय उच्चतर पदों पर पहुंच सकते है।

ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी

9171. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में इस समय विश्वविद्यालय-वार तथा संकाय-वार कितने भारतीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ;

(ख) कितने विद्यार्थियों को ब्रिटेन से छात्रवृत्तियां मिल रही हैं ; और

(ग) अन्य विद्यार्थी अपने अध्ययन का व्यय किस प्रकार पूरा कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1-1-1968 को 1,830 विश्वविद्यालय-वार और संकाय-वार विवरण अनुबन्ध I और में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1089/69]

(ख) 252

(ग) आम अनुभव यह बतलाता है कि इंग्लैंड जाने वाले विद्यार्थियों में से लगभग 38 प्रतिशत विद्यार्थी अपना कुल अथवा कुछ खर्च पूरा करने के लिए, किसी न किसी प्रकार से छात्र-वृत्तियां प्राप्त कर लेते हैं और बाकी के साधन स्वयं जुटा लेते हैं।

प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना

9172. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय तथा कुछ अन्य संग्रहालय स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) दिल्ली अथवा अन्य राज्यों में उच्च अध्ययन केन्द्रों में एक प्राकृतिक इतिहास-संग्रहालय तथा कला-वी थी स्थापित करने का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिर भी, माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली में एक विज्ञान-केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

टैक्सी ड्राइवरों की दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में हड़ताल

9173. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पैट्रोल पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि किये जाने के विरुद्ध 28 मार्च, 1969 को दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में हुई टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस मामले की जांच करने के लिए सरकार एक समिति नियुक्त करेगी ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी, हां।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में योजनाओं के विकास के लिए आवश्यकीय साधनों को बढ़ाने के लिए मोटर स्प्रिट पर शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों का एक अंग है। सड़क परिवहन कराधान जांच समिति ने भी सड़कों पर के खर्च के स्तर को काफी बढ़ाने की सिफारिश की है ; तदानुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिए और अधिक आवंटन को प्रस्तावित किया गया है। इससे केवल सड़क परिवहन उद्योग की ही वृद्धि में सहायता नहीं मिलेगी अपितु इससे परिवहन गाड़ियों के परिचलन के खर्चे में कमी होने के कारण उद्योग को भी लाभ होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

देश के प्रतिरक्षा सम्बन्धी ढांचे में सुधार

9174. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल ने देश में प्रतिरक्षा सम्बन्धी ढांचे में सुधार करने के लिए कोई सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अध्ययन दल ने प्रशासनिक सुधार आयोग को अपना अन्तिम प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 6162 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF THE ANSWER TO THE UNSTARRED QUESTION NO. 6162

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : लोक-सभा के 11 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6162 के भाग (क) के उत्तर में पंक्ति में "अंग्रेजी" शब्द के स्थान पर "हिन्दी" पढ़िये।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1863 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 1863

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : श्री सिद्धैय्या द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 1863 के भाग (ख) के उत्तर में राज्य शिक्षा मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) ने 22 नवम्बर, 1968 को लोक सभा में बताया था कि 1966-67 के दौरान प्रदर्शन बहुउद्देशी स्कूल केन्द्र, अजमेर में ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा में जो उम्मीदवार बैठे थे उनकी संख्या 96 थी। बाद में पता चला है कि विद्यार्थियों की सही संख्या 86 थी। इसलिए 86 की संख्या को सही तथा प्रमाणिक माना जाए। असावधानी से हुई इस अशुद्धि के लिए खेद है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3959 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 3959

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 21 मार्च, 1969 को रेवती विमान के बारे में श्री बाबू राव पटेल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3959 के भाग (क) के उत्तर में मैंने कहा था कि "रेवती विमान आदि रूप पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर में उड़ान सम्बन्धी प्रयोग किया जा रहे हैं।" किन्तु वास्तविक स्थिति के अनुसार उत्तर का यह भाग इस प्रकार पढ़ा जाये कि "रेवती विमान के आदि रूप पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर में उड़ान सम्बन्धी प्रयोग किये गये।"

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1969

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अधीन राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1969 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1055/69]

भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम तथा दिल्ली भूमि सुधार नियमों में संशोधन करने सम्बन्धी अधिसूचना

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 26 अप्रैल 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1031 में प्रकाशित हुए थे। पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1056/69]

(2) (एक) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 191 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना संख्या एफ० 26 (4)/पंच ई० एल० ई/68 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 25 मार्च 1969 के दिल्ली राजपत्र मे प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा दिल्ली भूमि सुधार नियमों में कतिपय संशोधन किए गए।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1057/69]

बम्बई पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री (इकबाल सिंह) : मैं बम्बई पत्तन न्यास के 1967-68 के वार्षिक लेखे की एक प्रति, तथा उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1055/69]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं सोमवार, 12 मई 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूँ :—

(1) आज की कार्य सूची में से बची हुई सरकारी कार्य की मदें।

(2) विचार तथा पास किये जाने के लिए विधेयक ।

(एक) चाय (संशोधन) विधेयक, 1969

(दो) कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(तीन) मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(चार) अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किए गये रूप में ।

(पांच) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन विधेयक, 1969

(छः) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक, 1969

(सात) दिल्ली उच्च न्यायालय (सशोधन) विधेयक, 1969

(आठ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968

(नौ) दण्ड तथा निर्वाचन विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 1968, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

(3) गृह-कार्य मन्त्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर दल बदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(4) श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किए जाने पर देश में कतिपय राजनीतिक दलों तथा किन्हीं अन्य देशों द्वारा तोड़ फोड़ तथा हिंसात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा ।

(5) श्री नाथ पाई का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में, पर बुधवार, 14 मई, 1969 को आगे विचार ।

(6) नागरिकता (संशोधन) नियम, 1968, जिसकी सूचना श्री मधु लिमये द्वारा दी गई तथा अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968, जिसकी सूचना श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे द्वारा दी गई, में रूप भेद के लिए प्रस्तावों पर विचार जो गुरुवार, 15 मई, 1969 को क्रमश: 1-30 बजे म० प० पर और 5.00 बजे म० प० पर लिये जायेंगे ।

चौथी पंचवर्षीय योजना-प्रारूप के बारे में प्रस्ताव--जारी

MOTION RE. FOURTH FIVE YEAR PLAN—DRAFT *CONTD*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में योजना प्रारूप पर आगे चर्चा होगी । श्री विश्वनाथम अपना भाषण आगे जारी करें ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं बता रहा था कि हमारी योजनाएं असफल हो रही हैं । सरकारी उपक्रमों के असफल होने का कारण उनके इन्चार्ज अधिकारियों को उनके कार्य की सफलता में विश्वास नहीं है । उसके अतिरिक्त योजना आयोग जो लक्ष्य निर्धारित करता है वह पूरे नहीं होते क्योंकि बीच की अवधि में लागत बढ़ जाती है । प्रतिवर्ष सरकार की ओर से नये कर लगा दिए जाते हैं । इससे महंगाई बढ़ती है और अधिक मजूरी की मांग होने से परियोजनाओं की लागत पर अधिक व्यय होता है । अतः वित मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये । फिर निर्णय करने में

भी बहुत विलम्ब होता है। इसके लिए प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना चाहिए। केन्द्र और राज्यों को मिलकर और आपसी सहयोग से कार्य करना चाहिए। केन्द्र को अहम भावना नहीं रखनी चाहिए।

जन साधारण को भोजन अवश्य मिलते रहना चाहिये। आज रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। सरकार को उधु उद्योग बेरोजगार व्यक्तियों के लिये सुरक्षित कर देने चाहिएं। बड़े उद्योगों को लघु उद्योगों पर अधिकार नहीं करना चाहिए।

हमारे देश में आवास की स्विति बहुत खराब हैं। नगरों और देहातों में यही हालत है। अधिकांश लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। मुझे आशा थी कि इस सम्बन्ध में योजना आयोग बड़ा कार्यक्रम बनायेगा। हमें आवास निगम बनाने चाहिए। ताकि अधिक संख्या में मकान बनाये जा सकें।

सरकार को इस बारे में गैर सरकारी संसाधनों से लाभ उठाना चाहिये;

हमारे में ईमानदारी की कमी है। यदि ऊंचे स्तर पर मानदारी हो तो नीचे के स्तर पर यह अपने आप आ जायेगी। मंत्रियों और बड़े अधिकारियों को अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिये।

योजना में प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। सब से प्रथम वस्तु खाद्य पदार्थ है। सभी इस पर निर्भर करते हैं।

हम 3,730 करोड़ रुपये विदेशों से प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं। इसमें से हमें एक बड़ी राशि की आवश्यकता पहले लिये ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिये होगी। हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यह सब देश पर एक बडा बोझ होगा। ऐसी बातों के कारण ही देश में असन्तोष फैला है। प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों को ध्यान देकर आत्म अनुशासन के बारे में निर्णय करना चाहिये। अब हमें आजाद हुए 21 वर्ष हो चुके हैं। अन्यथा यह अनुशासन-हीनता समूचे देश में फैल जायेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं आप के प्रति आभारी हूँ कि मुझे आपने समय दिया। हम इस योजना पर चर्चा बड़े महत्वपूर्ण समय पर कर रहे हैं। आज हमारे देश के राज्यों मे एक ही दल का शासन नहीं है। अतः अब लोकतन्त्र का वास्तविक परीक्षण हो रहा है। इस समय संघीय संविधान के प्रावधानों को अमल में लाया जा रहा है। हमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार आयोजन में भी परिवर्तन करना चाहिये। आज-कल जो आलोचना हो रही है हमें उसका स्वागत करना चाहिये। आज की स्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। योजना आयोग ने आरम्भ में बहुत काम किया था। उस समय इसने भारी उद्योगों पर बल दिया था। ऐसा करना आवश्यक भी था।

हम देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी जैसे विकसित देशों को भी कभी-कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहां सोने के बाजार में संकट खड़ा हो गया था। अतः आर्थिक निर्णयों के बारे में आप एक ही नीति नहीं अपना सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय करने होंगे।

केन्द्रीय सरकार को राज्य-सरकारों की मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये। उन सरकारों को जनता ने चुनकर भेजा है। योजना आयोग को मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करना चाहिये। संघीय प्रणाली के अन्तर्गत एक प्रकार का साझा होता है। राज्य केन्द्र के अधीन नहीं हैं। केन्द्र को पिछड़े वर्गों और लोगों की सहायता स्वयं करनी चाहिये। इसीलिये संविधान में केन्द्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। सभी राज्यों में पिछड़े क्षेत्र हैं। पिछड़े वर्ग भी सभी राज्यों में हैं। केन्द्रीय सरकार को उनके हित में सोचना चाहिये और आवश्यक कार्यवाही

करनी चाहिये। हमें केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाये रखना चाहिये। यही देश के हित में है। यह ठीक है कि आज राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हैं। हमें उनको साथ लेकर चलना है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

जो योजना प्रारूप प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई नई बात नहीं है। इन तीन वर्षों में आयोग देश में चल रही चर्चाओं से लाभ उठा सकता था। हम पुरानी धारणाओं के अनुभव के आधार पर ही आगे चल रहे हैं। हम सरकारी क्षेत्र पर अभी भी अपनी आशाएं बांधे हैं। अब फिर इस क्षेत्र को बड़ी राशियां देने की योजना है। क्या यह उचित है। इस बात की क्या गारंटी है कि सरकारी क्षेत्र भविष्य में हमें लाभ देगा और इसके कार्यकरण में सुधार होगा ?

प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो इस बारे में सिफारिश की हैं उनपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें लागू नहीं किया गया। योजना आयोग को संसद सदस्यों को अधिक जानकारी देनी चाहिए। योजना आयोग पर संसद का अधिक नियन्त्रण रहना चाहिये। योजना प्रारूप एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। हमें इस पर अधिक ब्यौरे से चर्चा करनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में यहां पर एक अलग बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उस पर पूर्ण रूप से चर्चा होनी चाहिए।

संसद इस देश की आंखें और कान है। अतः इसके समक्ष सभी तथ्य आने चाहियें। संसद सदस्यों को सरकारी क्षेत्र के बारे में पूरी-पूरी जानकारी रखनी चाहिये। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि आगामी पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र में सुधार हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं। प्रथम और द्वितीय योजनाओं में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। जैसा कि प्रधान मन्त्री ने चर्चा आरम्भ करते हुए कहा है अब सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है। हमें एक ही ओर ध्यान न देकर आर्थिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की ओर ध्यान देना चाहिये। दूसरी योजना में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि अन्य क्षेत्र कृषि में पिछड़ गये और हमें अनाज का आयात करना पड़ा। तीसरी योजना में भी लगभग यही स्थिति रही। हमारा देश एक निर्धन देश है। हमारे संसाधन सीमित हैं अतः उनसे अधिकतम लाभ उठाना चाहिये। साथ में हमें अपने कार्यकरण में कार्यकुशलता लानी है। सरकारी क्षेत्र में कार्यकुशलता तभी लायी जा सकती है जब उसे संसद के अधिक नियन्त्रण में लाया जाये।

सचिवालय के अधिकारी कार्यकुशल व्यक्ति हो सकते हैं। परन्तु उन्हें वाणिज्यिक उपक्रमों को चलाने का अनुभव नहीं है। उन्हें सभी प्रकार के पदों पर नहीं लगाया जाना चाहिये। जो जिस काम में विशेषज्ञ हो वही उस कार्य को ठीक प्रकार से कर सकता है। यह आवश्यक नहीं कि यहां पर सचिवालय में बैठा एक अधिकारी सभी विषयों पर विशेषज्ञ हो।

तकनीकी मामलों में राजनीतिज्ञों को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें विकसित देशों में हुए परिवर्तनों से लाभ उठा अपने यहां भी आवश्यक परिवर्तन करने चाहियें। इसमें विचारधारा के झंझट में नहीं पड़ना चाहिये। स्थिति का सामना करने के लिए जो भी तरीका वांछनीय और उपयुक्त हो, अपनाया जाना चाहिए।

केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के दो पहलू हैं। प्रथम है राजनैतिक सम्बन्ध। उनका इस चर्चा से कोई सम्बन्ध नहीं है। हां, मोटे तौर पर नीतियों का इससे सम्बन्ध है। आर्थिक मामलों में परस्पर सम्बन्धों और संसाधनों के आवंटन पर विचार किया जाना चाहिये। इस बारे में वर्तमान प्रणाली में यदि आवश्यकता हो तो परिवर्तन किया जाना चाहिये। राज्यों ने 5,991 करोड़ रुपये का ऋण केन्द्र को चुकाना है। क्या वे यह भुगतान कर पावेंगी ? यह असम्भव है। अतः इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। इस बारे में वित्त आयोग सुझाव दे सकता है। मेरे विचार में आयकर का 90 प्रतिशत राज्यों को मिलना चाहिये। उत्पादन शुल्क में राज्यों के भाग में भी वृद्धि की जानी चाहिये। एक समय था जब भूराजस्व केन्द्र और राज्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिये बिना ही वसूल किया जाता था। परन्तु आज भूराजस्व को आय का एक साधन समझा जाता है।

मैं सरकार से सहायातार्थ अनुदान देने की पद्धति को समाप्त करने का अनुरोध करती हूँ। परन्तु कुछ ऐसी कसौटी तथा सिद्धान्त बनाये जाने चाहिए जिससे पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़े वर्गों की आय को बढ़ाने के लिए सहायतार्थ अनुदान दिया जा सके। लगभग सभी राज्यों में पिछड़े क्षेत्र हैं जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, महाराष्ट्र में विदर्भ, बिहार में छोटानागपुर और उत्तर प्रदेश में पूर्वीजिले अतः सहायतार्थ अनुदान सम्बन्धी कसौटी को इन क्षेत्रों का आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार इन क्षेत्रों पर 100 रुपये खर्च करती है तो केन्द्रीय सरकार को अपनी ओर से इनमें 50 रुपये और जोड़ देने चाहिए।

एक स्थायी वित्त आयोग होना चाहिए। इसको किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। योजना आयोग के मूल आधार में ही परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसको केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होना चाहिए। इसको योजना का राष्ट्रीय ढांचा ही तैयार करना चाहिए परन्तु प्राथमिकता देने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। प्राथमिकता निर्धारित करने के काम में केन्द्रीय सराकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मार्च 1950 के संकल्प में निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें चौथी पंचवर्षीय के प्रारूप पर विचार करना है। जहांतक देश की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो यह योजना कोई गतिशील योजना नहीं है।

इस में समाजवाद के शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु संकल्प में स्पष्ट-रूप से कहा गया है कि देश में समाजवाद द्वारा आर्थिक समानता लाई जायेगी। परन्तु इस योजना में ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवाद के बारे में हुई प्रगति का कोई उल्लेख नहीं है। क्या हम यह समझ लें कि सरकार तथा योजना आयोग ने समाजवाद को पूर्णतया त्याग दिया है। उससे केवल वैयक्तिक लाभों का ही पता लगता है न कि सामाजिक लाभों का।

यह सच है कि चीन और पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया है परन्तु इससे अर्थव्यवस्था को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए था परन्तु हमने योजना को स्थगित कर दिया। यह भी कहा गया है कि कृषि उत्पादन में संकट उत्पन्न हो गया था अतः इसलिए भी योजना को

स्थगित करना पड़ा है। मेरे विचार में यदि कृषि उत्पादन में संकट उत्पन्न हुआ था तो यह केवल हमारी तीन पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता ही है। योजना को स्थगित करने के लिए बाढ़ तथा सूखे आदि पड़ने के कारण भी सरकार द्वारा दिये गये हैं। हमारे कृषि उत्पादन पर बाढ़ों तथा सूखे का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परन्तु सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जहां सूखा पड़ता है उस क्षेत्र में पानी तथा सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध की जाने वाली सिंचाई सुविधायें का मामूली उल्लेख ही किया गया है। सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करने के काम को कोई प्राथमिता नहीं दी गई है। यद्यपि इन से देश सूखे की बाढ़ की समस्या ही हल नहीं होगी बल्कि इनसे कृषि पर आधारित अर्थ व्यवस्था भी स्थापित होगी।

आसाम में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। 1951 से लेकर अबतक राज्य सरकार को औसतन 7·7 करोड़ रुपये प्रतिशत के हिसाब से हानि हुई है। बाढ़ से न केवल कृषि की प्रगति में बाधा पड़ती है बल्कि मानव को भी बहुत कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है और इससे सम्पत्ति के नष्ट होने के साथ-साथ घाटा राज्य सरकार के राजस्व में भी होता है। अतः देश के विभिन्न भागों से राज्यों को अधिक धन दिये जाने की मांग की गई है।

हाल ही के चुनावों से देश के राजनैतिक ढांचे में परिवर्तन हो गया है। परन्तु चौथी पंच वर्षीय योजना में इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है। योजना को, बदले हुए राजनैतिक ढांचे को ध्यान में रख कर बनाया जाना चाहिए था।

योजना को स्थगित करने का एक अन्य कारण भी बताया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TO MEET AGAIN AT 14.00 HOUR

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

THE LO SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT FIVE MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

[**श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन** हुए]

Shri Gadilingana Gowd *in the Chair*]

सभापति महोदय : श्री हेम बरुआ अपना भाषण जारी रखेंगे।

SHRI SHASHI BHUSHAN (Khargaon) : I want to draw your attention to the 377. The voter's list was changed during the one month period that follows after the filling): the nomination papers in the recent by-election of the Corporation.

सभापति महोदय : मैं इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम इस समय योजना पर चर्चा कर रहे हैं । इस लिए यह मामला उठाना चाहते है ।

सभापति महोदय : मैं इस समय किसी मामले को उठाने की अनुमति नहीं दें सकता ।

श्री हेम बरुआ : महोदय मैं बाढ़ के बारे में बोल रहा था । यह सच है कि बाढ़ों को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता परन्तु उनकी गम्भीरता को कम किया जा सकता है । परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बाढ़ों की गम्भीरता को कम करने के मामले को कोई उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई है ।

योजना को स्थगित करने का एक कारण यह बताया गया है कि विदेशी सहायता बहुत धीरे-धीरे मिली है । देश में जब योजना आरम्भ की गई थी तो यह कहा गया था कि विदेशी सहायता को खत्म करने के लिए ही विदेशी सहायता ली जा रही है । मेरा निवेदन यह है कि युद्ध युद्धों को समाप्त नहीं करते । इसी प्रकार विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता कम नहीं हुई है ।

सरकारी क्षेत्र के लिए भी हम विदेशी सहायता पर निर्भर कर रहे हैं । अतः देश में पूंजीपतियों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो रहा है । यह सच है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं परन्तु ऋण लेकर ऐसा करने से हमारी योजना के अच्छा होने का पता नहीं लगता है ।

विदेशी सहायता लेने से हमारे राजनैतिक सम्बन्धों पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ता है ।

विदेशी नियोजक भारतीय नियोजकों के सहयोग से इस देश में निहित हित उत्पन्न कर रहे हैं । विदेशी नियोजक लाभ को तथा पूंजी के कुछ भाग को भी अपने-अपने देशों को भेज सकते हैं । हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है । मेरा निवेदन यह है कि यदि एक बार देश में ऐसा निहित हित उत्पन्न हो जाता है तो फिर उसको समाप्त करना कठिन है । समाजवाद से ही ऐसे निहित हितों को पूरा किया जा सकता है । परन्तु समाजवाद एक नारा बनकर रह गया है । एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि देश में एकाधिकार के 70 ग्रह हैं । एकाधिकारपति सरकार तथा सरकार द्वारा आयोग के सहयोग से अपनी जेबें भर रहे हैं ।

एक प्रश्न यह भी है कि योजना के लिए संसाधन कैसे जुटाये जायेंगे । देश के अन्तरिक साधनों का भी लाभ उठाया जा सकता है । परन्तु क्या हमने बैंकों, खनन, चाय, पटसन अथवा सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण का कभी प्रयत्न किया है । हमने ऐसा करने का कभी प्रयत्न नहीं किया । इन साधनों के राष्ट्रीयकरण से ही विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम किया जा सकता है । ऐसा किया जाना चाहिए अन्यथा हमारी अर्थ-व्यवस्था को और धक्का लगा है ।

मार्च 1950 के संकल्प में यह भी बताया गया था कि आय के विभिन्न स्तरों में जो असमानता है उसको कम किया जायेगा । परन्तु इस योजना में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है । असमानता बढ़ती ही जा रही है । योजना में यह भी कहा गया गया है कि अगले दस वर्षों में

लोगों को जीव निर्वाह का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित कराया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि अबतक ऐसा नहीं किया गया है। परन्तु क्या इस योजना में भी इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है। यह हमारे देश के लिए बड़े अपमान की बात है कि श्री मोरारजी देसाई देश-देश में सहायता मांगने जाये, अतः उनको देश के आन्तरिक साधन जुटाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीयकरण का सक्रिय कार्यक्रम शुरु करना चाहिए।

भारत के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार गहरी जड़ें पकड़ चुका है। हम सभी भारतीय दुनिया की निगाहों में गिर गये हैं। इस योजना में भ्रष्टाचार को रोकने अथवा बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। बल्कि इस योजना से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री मसानी ने कहा था कि मजूरी को उत्पादिकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। नया सिद्धांत यह है कि मजूरी को आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए न कि उत्पादिकता पर। इन योजनाओं से धन कुछ लोगों के हाथों में जमा हो गया है और इससे देश में प्रादेशिक असन्तुलन भी बढ़ गया है।

नामरूप उवर्रक संयंत्र तथा गोहाटी स्थित तेल शोधक कारखाने को छोड़कर आसाम में एक भी औद्योगिक परियोजना आरम्भ नहीं की गई है। योजना के शुरू होने से पूर्व आसाम की प्रतिव्यक्ति आय सबसे अधिक थी, परन्तु अब आसाम में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो गई है।

पारादीप वहन को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया हालांकि यह देश में अपनी किस्म की एक ही गहरे समुद्र वाली बन्दरगाह है। तालचेर और विमलागढ़ को रेल द्वारा जोड़ा जाना चाहिए ताकि रूरकेला तथा (बिहार से माल को जापान भेजा जा सके। इस योजना में इस वर्ष में भी कुछ नहीं बताया गया है।

मैं राज्यों की स्वायत्तता तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकार को कम करना नहीं चाहता परन्तु यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धों को स्पष्ट करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

योजना के बावजूद देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। देश में कम रोजगार भी अपने आप में कि समस्या है, जहां तक आसाम का सम्बन्ध है वहां पर बेरोजगारी बहुत अधिक है। यदि बेरोजगारी बढ़ रही हो तो देश में स्थायित्व नहीं लाया जा सकता। प्रधान मन्त्री लोगों को योजना में भाग लेने को कहती है परन्तु लोग इसमें किस प्रकार भाग ले सकते हैं जबकि इनके द्वारा पूंजीपति गरीब जनता का शोषण करते हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि सभा को इस योजना के प्रारूप को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि इस योजना में मार्च 1950 के संकल्प में दिये गये उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते।

मैं चाहता हूँ कि योजनाओं अर्थव्यवस्था में सुधार हो, उत्पादन बढ़े धन का युक्तियुक्त वितरण हो तथा मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सके। परन्तु इस योजना से ऐसा होगा इसमें मुझे सन्देह है।

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : हमें इस बात को देखना है कि योजना के बारे में मौलिक बात क्या है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत ग्रामों का देश है और यदि गांवों का विकास होता है तो वही वास्तविक विकास है। परन्तु हम आजकल इससे बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं; पिछली तीन योजनाओं के बारे में मेरा अनुभव यह है कि इनमें गांवों की उपेक्षा की गई है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग नगरों की ओर आ रहे हैं और इससे झुग्गी-झोंपड़ी की समस्या उत्पन्न हो रही है।

हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति है। जब तक हम अपनी इस पर्याप्त जनशक्ति का प्रयोग नहीं करते तब तक इस आयोजन की समस्या को हल नहीं कर सकते चाहे उसके लिए हम कितना ही धन क्यों न जमा कर लें। परन्तु आज एक अथवा दूसरे क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही है तथा उसके विकास के लिए धन माँगा जा रहा है। कुछ लोग अधिक खण्ड विकास अधिकारी बनाने की मांग पर रहे हैं। परन्तु यदि इनके काम की जांच की जाये तो पता लगेगा कि ये वास्तव में 'विकास रोको' अधिकारी हैं

हमें गांवों में जाकर लघु उद्योग स्थापित करने चाहिए। यदि हम भारत का विकास करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम गांवों का विकास करना चाहिए। अपने विकास के लिए दूसरों से सहायता मांगना हमारे जैसे बड़े देश के लिए एक शर्म की बात है।

मेरा निवेदन है कि जो राज्य जनशक्ति देने को तैयार हैं उन्हीं को केन्द्र द्वारा धन की सहायता भी दी जानी जानी चाहिए।

आज हरियाणा एक पिछड़ा हुआ राज्य है क्योंकि इसने 1857 में भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था हरियाणा विकास समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है परन्तु सरकार का कहना है कि उसके पास इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए धन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं यह समिति नियुक्त की थी। अतः उनकी याद को जीवित रखने के लिये ही इसको क्रियान्वित कर दिया जाना चाहिए।

इस समय हमें पीने का पानी लेने के लिये आठ अथवा नौ मील जाना पड़ता है, साहिबी नादी संकल्प में 200 गांवों को पीने का पानी सप्लाई करने सम्बन्धी एक योजना को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इस योजना पर केवल $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये व्यय होने थे। परन्तु इस योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

गांवों का विकास करने के बजाये इन बड़े-बड़े नगरों को और बड़ा बनाते जा रहे हैं। हमें दूसरे देशों का अनुशरण न कर गाँधी जी के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। देश में पर्याप्त साधन हैं हमें उनका लाभ उठाना चाहिए।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Bagpat) : Eighty-two per cent of our people are living in the villages. These people are unaware of our plans. Nothing has been done in this Plan to uplift the villages. After the 1959 resolution ceiling on the possession of land in the villages was fixed by the Government but rich ceiling was fixed on the urban property Deputy Prime Minister has recently stated that he will consider the question of fixing a

ceiling on the urban property. I do not know what the Government has been doing at all these years.

Agriculture is more important in our country than the industry. In the agricultural production is hampered then we will see that our industrial capacity will also remain idle because they will not get sufficient raw material und people will also not have sufficient purchasing power. This has been our experience during the last two years when there was a severe drought in the country. But what is happening in the country to-day. The small farmers are not getting any kind of help from the Government. The corruption has struck deep roots in our country and the officers always try to take away something from the pockets of these small peasants. Therefore, I say that small peasants will not be benefitted from these Plans.

Now the Government is trying to increase the production of foodgrains through hybrid seeds. It is like that production of wheat has been increased a little thereby. But alongwith increasing the production of foodgrains we should pay more attention for increasing the production of commercial crops such as Sugarcane, Cotton, Jute etc. No hybrid seed has yet been develop for increasing the production of sugarcane Five to seven districts in Uttar Pradesh are engaged in producing sugarcane but Government have failed to supply any improved seeds to them. That is the reason I was saying that villages have been neglected in the Plans. Even in this Plan 2,085 crores have been allocated for the Public Sector. Out of this allocation only 313 crores of rupees have been kept for rural electrification. This amount will be suffice only for supplying electric connection to pumping sets. I want to emphasise another point that out of the total generated electricity only seven per cent will be supplied to the villages. This small quantity of electricity cannot help in bringing prosperity in the villages.

In this Plan 829 crores of rupees have been allocated for the development of roads. Only ten per cent of this amount will be spent in the villages as has been indicated in the Plan.

Government have not suggested any step that will be taken for the development of industries in the villages. Forty-five projects were started 1962-63 for developing small scale industries with villages. Out of these 45 projects only fifteen projects are working successfully. Other projects have failed miserably. Small scale industries should be set up in the villages to solve the economic problems of the villages. Unless we resort to such things we cannot bring prosperity in the villages.

Nothing has been suggested for bringing improvements in the field of education. There are no schools for the education of the girls in the villages even at a distance of fifteen miles. More schools should be opened in the villages for the education of the girls.

Separate corporations should be set up for rural electrification and also for rural education. Separate institution should be set up for development of education in the villages specially among the girls.

I hope that the Government will take into consideration all these suggestions and draft of the Plan will be amended accordingly.

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : मैं कल से विभिन्न दलों के सदस्यों के भाषण को सुन रहा हूँ, श्री मसानी कह रहे थे कि यह योजना रूस की योजना के समान है । वह आरोप लगा रहे थे कि इस योजना के निर्माण के पीछे साम्यवादियों का हाथ है । परन्तु साम्यवादी सदस्य श्री वासुदेवन नायर का कहना था कि इसके पीछे पूंजीपतियों का हाथ है ।

यह भी कहा गया है कि यह योजना साधारण व्यक्ति में उत्साह उत्पन्न करने में असफल रही है और कि इसमें कोई रुचि नहीं ले रहा है। योजना का लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर को तेजी से बढ़ाना है। योजना में जनसाधारण तथा समाज के कमजोर वर्गों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में चाहे जो भी कहा गया है। हमें इस बात को स्वीकार करना है कि भारत में 18 वर्षों के आयोजन के पश्चात भी सैकड़ों गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है सैकड़ों गांवों में स्कूल नहीं हैं। लाखों लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। पता नहीं हम कब तक योजनाबद्ध प्रगति प्राप्त करेंगे। यदि चौथी पंचवर्षीय योजना के पश्चात भी यही स्थिति रही तो लोग योजना में रुचि लेना बन्द कर देंगे और सरकार बदनाम होगी। इस योजना को अन्तिमरूप देने से पूर्व सरकार को गांवों में रहने वाले लोगों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। महात्मा गांधी लोगों को नगर छोड़कर गांवों में रहने की प्रेरणा देते थे परन्तु आज कल उल्टी स्थिति उत्पन्न हो रही है। सरकार नगरों की विकास योजनाओं पर अधिक ध्यान दे रही है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती हैं। अतः उनकी ओर अधिक ध्यान देना सरकार का कर्तव्य है।

जहां तक साधनों का लाभ उठाने का प्रश्न है मेरा कहना है कि हम ऐसा करने में असफल रहे हैं। लाखों एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई है। व्यापक जल साधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

संविधान का एक निदेशात्मक सिद्धान्त यह भी है कि ऐसा समाज उत्पन्न किया जाये जिसमें सबको समान अवसर प्राप्त हों और आय तथा धन में जो विषमता है उसको कम किया जाये। इस बारे में बहुत कुछ किया जाना शेष है यद्यपि हम समाजवाद की बातें करते हैं तथापि धन कुछ लोगों के पास जमा होता जा रहा है। गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है। एकाधिकार में वृद्धि होती जा रही है। इस सब को रोकने के लिए हमें अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा। कुल राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत कृषिसे प्राप्त होता है। अतः हमें कृषि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। निरन्तर दो वर्ष सूखा पड़ने के कारण औद्योगिक उत्पादन में भी कमी हुई है। यदि किसानों के पास क्रय शक्ति नहीं होगी तो उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बेकार पड़ी रहेंगी। हम किसानों को सुधरे बीज देकर उर्वरक सप्लाई कर तथा सिंचाई की अधिक सुविधाएं देकर कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। भारत में प्रति एकड़ उपज भी बहुत कम है। अतः प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए हमें किसानों को अधिक सुविधायें उपलब्ध करानी होगी।

देश में उर्वरक की प्रतिएकड़ उपज भी बहुत कम है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

तीन पंचवर्षीय योजना की पूर्ति पर हमारी अर्थ व्यवस्था में केवल 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि जनसंख्या में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में 1.2 प्रतिशत की कमी हुई है। हमारे औद्योगिक उत्पादन में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अन्य देशों में यहां तक कि विकासशील देशों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारत की राष्ट्रीय आय में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि यह वृद्धि जापान में 6 प्रतिशत थाइलैंड में 7 प्रतिशत फारमूसा में 8 प्रतिशत है।

मूल्यों में वृद्धि से भी हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रतिरक्षा व्यय तथा अप्रत्यक्ष करों से भी हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा पड़ी है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के पूरा होने पर देश में लगभग एक करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे। ये योजनाएं बेरोजगारी में मामूली बृद्धियाँ रोकने में भी असफल रही हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने अपने साधनों के बारे में कुछ अधिक अनुमान लगाया था। इन योजनाओं की असफलता का एक कारण नौकरशाही की व्यवस्था है। इन परिस्थितियों में हम जो भी योजनाएं बनायेंगे उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए कुछ सीमा तक गैर-सरकारी नेतृत्व का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है :

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : यह प्रसन्नता की बात है कि इस योजना को अभी प्रारूप का नाम ही दिया जा रहा है। अतः इसमें कुछ परिवर्तन किये जाने की गुंजायश है।

श्री मसानी ने जो कुछ कहा उससे मैं बहुत सीमा तक सहमत हूं। पहली तीन योजनाएं कुछ पूर्वधारणाओं पर आधारित थीं। विचार यह था कि देश में भारी उद्योग स्थापित होने से देश को बाद में लाभ होगा। प्रथम पंच वर्षीय योजना कुछ हद तक सफल हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सफल ही रही है। परन्तु तीसरी योजना के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता इन सभी योजनाओं में गलती यह की गई है कि भारी उद्योगों का केन्द्रीयकरण किया गया परन्तु रोजगार क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया।

जहाँ तक खेती का सम्बन्ध है यदि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उत्पादकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के सम्बन्ध में जो गलती की गई है वह यह है कि कृषि के यन्त्रीकरण का प्रयत्न किया गया है। रूस तथा अमरीका के मामले में यंत्रीकरण लाभदायिक हो सकता है परन्तु हमारे देश में यंत्रीकरण से हानिकारक परिणाम निकलेंगे और इससे अनेक सामाजिक जटिलताएं भी उत्पन्न होंगी। इस बात को सदा महसूस नहीं किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार होगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Commnittee on Private Members Bills and Resolutions

49वां प्रतिवेदन

श्री मालजी भाई परमार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 49वें प्रतिवेदन से, जो 8 मई, 1969 को सभा पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 49वें प्रतिवेदन से, जो 8 मई, 1969 को सभा पटल पर रखा गया था, सहमत है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : APPOINTMENT OF COMMISSION TO GO INTO CHARGES AGAINST BIRLA GROUP OF CONCERNS—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के नियत समय में से केवल 17 मिनट शेष हैं। परन्तु मैं आधा घंटे का समय बड़ा समझता हूँ। माननीय मंत्री कितना समय लेगे।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : आधा घन्टा।

उपाध्यक्ष महोदय : 20 मिनट। श्री विश्वनाथम् अपना भाषण जारी रखा।

श्री तन्नेटि विश्वानाथम् (विशाखापटनम) : श्री बिड़ला का नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि श्री बिड़ला का सरकार पर बहुत प्रभाव है। वास्तव में इस प्रकार के महान उद्योगपति के विरुद्ध एक शिकायत है और वह यह कि उनके पास 50) करोड़ रुपये की सम्पत्ति है जो गत 12 या 13 वर्षों में एकत्र की गई है। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि दूसरे सदन में एक माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये 40 या 44 आरोपों में से कुछ ठीक सिद्ध हुए हैं और शेष की जांच की जा रही है। इससे जांच आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता सिद्ध हो जाती है। बिड़ला ग्रुप के अपने हित में है कि वह अपने लिए जांच आयोग की नियुक्ति करवाये क्योंकि कुछ आरोप सिद्ध हो चुके हैं। 12 या 13 वर्ष पहले बहुत छोटे-छोटे मामलों में जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच करवाई गई थी। जब सरकार ने इस मामले को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी है तो मेरी समझ में नहीं आता कि अब वह जाँच आयोग नियुक्ति किये जाने के विरुद्ध क्यों हैं। साधारणतः व्यक्तिगत मामलों को सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती परन्तु श्री बिड़ला अपने आप में एक संस्था है। उनका प्रभाव लगभग सारी सरकार पर है। उनका नाम 1951 से है और बाद में उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी दी गई। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को आयोग से क्यों घबराना चाहिये। सरकार को चाहिए कि इस मामले में आयोग नियुक्त करे।

श्री हिम्मत सिंहका (गोंडा) : मैं आयोग की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं मानता। 1967 के निर्वाचनों के बाद दूसरी सभा के एक सदस्य द्वारा बिड़ला उद्योग समूह के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं और सरकार उनका उत्तर भी दे चुकी है, आधे आरोपो का तो कोई आधार नहीं हैं, कुछ आरोप अनैतिक या अवैध रायों के बारे में नहीं तथा कुछ मामलों में ताला-

शियां तथा जांच आरम्भ की गई हैं। न्यायालयों ने भी कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। जनता को न्यायालयों पर विश्वास है और हमें न्यायालयों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए।

बिड़लाओं पर आरोप लगाने के पीछे उद्देश्य है उद्योगपतियों तथा सरकार को बदनाम करना। विरोधी दल भी इस स्थिति का लाभ उठाकर उद्योगपतियों पर छीटाकसी करते हैं। प्रस्तावक ने उनके विरुद्ध आरोप लगाया है कि बाजार में हिन्दुस्तान मोटर्स के दोहरे अंश हैं। इस मामले में जांच से पता चला है कि दो व्यक्तियों को उत्तरदायी पाया गया है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। प्रशुल्क संबंधी कागजों में गड़बड़ी का मामला प्रथम दृष्ट्या ही सिद्ध नहीं हो सका। उत्पादन शुल्क विनियमों के उल्लंघन के मामलों में भी न्यायालयों ने उनको दोषी नहीं पाया। मंत्री जी ने बता दिया है कि इस समवायों के परिस्मापन के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, समवाया का कारोबार समाप्त हो गया तो उनको बन्द करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। खेतड़ी ताँबा खान को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है।

जहां तक राज्यों द्वारा पक्षपात किये जाने के आरोप का संबंध है, केरल जैसी सरकार ने भी बिड़लाओं को केरल में उद्योग स्थापित करने हेतु अच्छी सुविधाएं प्रस्तुत की हैं। मन्त्री जी द्वारा सब बातों का स्पष्टीकरण किये जाने पर आयोग नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : हम चाहते हैं कि यह संकल्प अधिक व्यापक आधार पर प्रस्तुत किया जाता तो अच्छा होता जिससे किसी भी व्यापार गृह के विरुद्ध किसी जिम्मेदार व्यक्ति अथवा संसद सदस्य से शिकायतें मिलने पर उनकी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा जांच की जा सके। इस संकल्प में तो केवल बिड़ला औद्योगिक समूह का नाम रखा गया है।

इस देश में इस सम्बन्ध में कई बार आरोप तथा प्रत्यारोप सुने जाते रहे हैं। राज्य सभा में उपप्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत सरकार बिड़ला औद्योगिक संस्थान के काम-काज के बारे में न्यायिक जांच अथवा उच्च शक्ति आयोग द्वारा जांच करवाने के विरुद्ध है। हम सब जानते हैं कि बिड़ला परिवार ने कांग्रेस को संरक्षण दिया है। अब उनकी इस धारणा में कुछ परिवर्तन भी आ रहा है। परन्तु हमारा सम्बन्ध इस सभा में पारित औद्योगिक नीति से है।

औद्योगिक नीति संकल्प के मुख्य रूप से तीन आधार है। उनमें एकाधिकार से बचना और एक ही स्थान पर धन अकत्र करने को रोकना भी है। क्या सरकार ने गत 20 वर्षों में इस दिशा में कोई कार्यवाही की है? दूसरा आधार बड़े पैमाने के उद्योगों के मुकाबले से छोटे पैमाने के उद्योगों को बचाना है। देश के विभाजन के बाद कुछ उद्योगपतियों ने असाधारण रूप से धन अर्जित किया है। अभी अभी हमारे मित्र ने बताया है कि बिड़ला परिवार के पास लगभग 500 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। क्या इसी प्रकार एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को रोका जा रहा है? क्या हम इसी प्रकार इस सभा द्वारा पारित औद्योगिक नीति संकल्प में निहित उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं?

मेरे विचार में बिड़ला बन्धुओं को अपने हित में जांच करवाना स्वीकार कर लेना चाहिए जिससे उनकी आलोचना समाप्त हो जाये।

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : I do not find any reason as to why the agents and solicitors of Birla are upset about setting up an Enquiry Commission. The income of 82 per cent people is less than Re. 1 but the assets of Birla have been increased from 30 crores to 400 crores during the period from Chinese invasion to Pakistani invasion. In my opinion a permanent Commission should be set up to see as to which business house carries illegal business. Today Birlas have fifty industrial licences for which no industry has been set up. There should not be any objection to the Commission being set up.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मेरे विचार में राजनीतिक कारणों से जांच आयोग की नियुक्ति की मांग की जा रही हैं। कांग्रेस के कुछ सदस्य जाँच आयोग की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर प्रशासन उद्योगपतियों पर दबाव डाल कर चन्दा प्राप्त करता है। यह तरीका अपनाया जा रहा है। (**व्यवधान**) मूल प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान कानून किसी भी आरोप के साथ कारगर ढंग से निपटने के लिये पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार में सरकार के पास ऐसी स्थिति के साथ निपटने के लिये पर्याप्त शक्तियां है। परन्तु हम उद्योगपतियों अथवा राजनीतिकों पर निराधार आरोप लगाने के विरुद्ध हैं। साम्यवादी सरकारे तथा विदेशी सरकारें भी बिड़ला परिवार का उद्योग स्थापित करने के लिये आमंत्रित करते हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में भी उन्हें आमंत्रित किया जाता है। बिड़ला बन्धु उद्योगों के प्रबन्ध क्षेत्र में परिश्रमी और कुशल व्यक्ति हैं और वे नियोजित धन-राशि से अधिकतम लाभ अर्जित कर सकते हैं। वे अधिष्ठापित क्षमता से भी अधिक क्षमता का उपयोग करते हैं। यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपनी अधिष्ठापित क्षमता, कम से कम 90 प्रतिशत का भी प्रयोग करे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी।

क्या सभी आरोपों की उचित जांच नहीं की गई है? इसका उत्तर स्वीकारात्मक है। दूसरे क्या फर्मों ने सहयोग नहीं किया है? इसका उत्तर भी स्वीकारात्मक है। क्या वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है? इसका भी उत्तर स्वीकारात्मक है। चौथे न्यायालय रोज बिड़ला परिवार को दोष मुक्त करते जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि या न्यायालय गलती कर रहे हैं अथवा आरोप निराधार है। जांच आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : बिड़ला बन्धुओं के व्यवहार के कारण कर्मचारियों के मन में बहुत निराशा है। अत: यदि कोई मामला उनके विरुद्ध है तो उपयुक्त दंड मिलना चाहिये। वर्ष 1961 में धन-कर पर चर्चा के दौरान मैंने कहा था लगभग 175 औद्योगिक फर्मे अथवा परिवार सभी बड़े-बड़े उद्योगों पर नियंत्रण रख हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : 75 फर्मे।

डा० मेलकोटे : ठीक है। अतः इस संकल्प का रुप व्यापक बनाना चाहिए। पता नहीं ये लोग श्री बिड़ला के पीछे क्यों पड़े हैं। यदि कोई प्रत्यक्ष मामला है तो हम उस पर पूर्णतः विचार करेंगे। सरकार ने कहा है कि कुछ मामले निराधार हैं और कोई प्रत्यक्ष मामला नहीं है। जहां कोई ऐसा मामला है वहां न्यायालय में मुकदमा चला दिया गया है। जब तक विशिष्ट रूप से आरोप नहीं लगाये जाते तब तक केवल जांच से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े और प्रतिवेदन भी अस्पष्ट हैं। उसमें कोई बात विशिष्ट रूप से नहीं कही गई है। अतः मेरा सुझाव यह है कि इस संकल्प को व्यापक बनाकर लाइसेंस नीति तथा अन्य मामलों पर चर्चा

की जानी चाहिये । लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रम समिति को इस बात पर विचार करना चाहिये कि औद्योगिक उपक्रम में क्या दोष हैं ।

मुझे पता चला है कि वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार ने उद्योगपतियों से अपील की है कि वे वर्तमान औद्योगिक संकट में उनकी सहायता करे । इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति सामने आया और उसकी शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं और वह व्यक्ति भी पश्चिम बंगाल में बिड़ला बन्धु हैं ।

यदि जांच आयोग नियुक्त किया जाता है तो हमें जांच करने वाली विशिष्ट बातें सभा के समक्ष रखनी होगी । फिर सरकार ने यह देखना है कि क्या उनमें कुछ सचाई है और उसके बाद न्यायालय में लाना है मेरे विचार में इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिए (व्यवधान) यदि सरकार गम्भीरता से इस मामले पर कार्यवाही करना चाहते हैं तो उन्हें ब्यौरेवार आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे जिससे यह पता चले कि केवल बिड़ला ही नहीं, बल्कि सभी उद्योगपतियों की क्या गलतियां हैं । तब हम इस विषय पर सूक्ष्मता से विचार कर सकेंगे ;

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Kindly hear me.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को बुलाया है । कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा (व्यवधान) ।

Shri Prem Chand Verma : ***

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : प्रस्तुत विषय में इस सभा के सदस्यों की ही नहीं, सभा के बाहर के लोगों की भी रुचि है । हमें इस विषय पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए । बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध मामलों अथवा आरोपों पर पर्दा डालने के सम्बन्ध में सरकार और कांग्रेस दल पर जो आरोप लगाये गये हैं, मैं जोरदार शब्दों में उन्हें अस्वीकार करता हूं । अधिकतर सदस्य जांच आयोग को न्यायोचित सिद्ध करने में असफल रहे हैं; उनका मुख्य प्रयोजन सरकार को नीचा दिखाना रहा है ; यह आरोप निराधार है कि किसी व्यापार गृह के साथ कोई रियायत की जा रही है । कोई भी माननीय सदस्य इस आरोप को सिद्ध नहीं कर सका है । श्री चन्द्रशेखर द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के अतिरिक्त और किसी माननीय सदस्य ने कोई आरोप नहीं लगाया है ।

मूल विषय यह है कि उपर्युक्त ज्ञापन में लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाये । अब जांच आयोग का प्रयोजन क्या है ? आयोग का एक प्रयोजन तथ्यों का पता लगाना है, क्या बिड़ला बन्धुओं अथवा किसी व्यापार गृह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों से कोई प्रत्यक्ष मामला बनता है । फिर यदि कोई ऐसी अनियमितताएं हैं तो उनको दूर करने के लिए क्या कानूनी साधन हैं ? तीसरे यदि प्रशासन में त्रुटि है तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

यदि जांच आयोग नियुक्त किया जाता है तो पहली चीज उनके लिये निदेश-पत्र बनाने का

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded as ordered by Chairman.

प्रश्न हमारे सामने आता है। जब आरोपों में 88 या 90 मामले निहित हो तो निदेश-पत्र निर्धारित करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है।

क्या कोई व्यक्ति इस बात से इन्कार कर सकता है कि तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच आयोग की प्रतीक्षा किये बिना सरकार ने स्वयं बहुत से तथ्यों का पता लगाया है और जहां भी उन्हें कानूनी उपबन्धों के उल्लंघन का पता चला है, ऐसे मामलों पर कार्यवाही करने के लिए उन्हें उपयुक्त अधिकारियों को भेज दिया गया है ? आयोग भी बिड़ला अथवा किसी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता उनका काम भी तथ्यों का पता लगाना है और बाद में सरकार ने ही आवश्यक कार्यवाही करनी है।

श्री बिड़ला के विरुद्ध लगाये गये 88-90 आरोपों में से कुछ ऐसे हैं जिनसे कोई प्रत्यक्ष मामला नहीं बनता। जो प्रत्यक्ष मामले हैं, उनके सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। जैसे हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लिमिटेड का उल्लेख किया गया है। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि इस मामले में जल्दी किसी फर्म विशेष को लाइसेंस दिया गया है। हमने इस मामले को दत्त समिति के पास भेज दिया है। हम और क्या कर सकते हैं ? हालांकि 1967 में फर्म को प्रत्यक्ष-पत्र दिया गया था, अब उसकी अवधि समाप्त हो गई है और अब हम विचार कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में इनका निर्माण आरम्भ कर दिया जाये। अतः जब तथ्य हमारे सामने है तो इस प्रकार के मामले को जांच आयोग को भेजने का कोई औचित्य नहीं है। संदेहजनक मामलों को हमने दत्त समिति के पास भेज दिया है जो इस प्रकार के कदाचारों को दूर करने के लिए आगे कार्यवाही करने के लिए सरकार को परामर्श दे।

बहुत से मामलों में आय-कर नियम और उत्पादन शुल्क नियमों का उल्लंघन बताया गया है। क्या सरकार ने आवश्यक जांच के लिए उन्हें उचित अधिकारियों को नही भेजा है ? माननीय सदस्य ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्रशासन त्रुटिपूर्ण है। यदि यह बात ठीक है तो इस समस्या का समाधान क्या है ? क्या वे चाहते हैं कि समस्त व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और जाँच व्यवस्था को बिल्कुल बदल दिया जाये ? जब जांच आयोग मामलों की जांच करके निर्णय करेगा तो हम वर्तमान प्रशासन के माध्यम से उनकी जांच करवानी होगी। सरकार ने इन मामलों को जांच आयोग को भेजने के स्थान पर उनकी जांच करने का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। जब भी किसी मामले पर हमें संदेह हुआ है, हमने उसकी पूरी जांच करने के लिए उसे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को भेज दिया है अथवा जहां हमें प्रत्यक्ष मामला प्रतीत हुआ है, हमने कार्यवाही की है और मुकदमा चलाया है। जहां उत्पादन शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस की गई है वहाँ वह कार्यवाही भी की गई है।

जहां तक लाइसेंस दिये जाने की बात है हम बिड़ला बन्धुओं अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। लाइसेंस के 6 या 7 मामलों को मैंने दत्ता समिति को भेजा ताकि वह हमें बतायें कि उनमें क्या गलती है ताकि उन पर कार्यवाही की जा सके। कोई निर्णय किये जाने से पूर्व लगभग 17 मामलों की जांच और की जानी है। वित्त मन्त्रालय के ही ऐसे कितने मामले हैं जिनके सम्बन्ध में कायवाही की जा चुकी है। उपर्युक्त 17 मामलों को समन्वित करने

के लिये अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो इस बात को देखेगा कि शिघ्रातिशिघ्र उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही जा सकती है जिससे हम यह निर्णय कर सकें कि उन मामलों में कोई कार्यवाही की जानी है या नहीं।

हमारे एक मित्र ने पूछा था कि हम एकाधिकार को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ? इस मामले के लिये जांच आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अन्य आयोग इस विषय पर विचार कर चुके हैं। अभी-अभी एकाधिकार जांच आयोग और हजारी समिति के के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस दिशा में कम्पनियों से चन्दे प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक पर सभा में चर्चा की जा रही है। दूसरे संसद में एकाधिकार (प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) विधेयक लाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की गई है। इस विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा की जा रही है। हमारा विचार इन दो उपायों से धन एकत्र करने को रोकने का है। जांच आयोग भी कानूनी उपायों का सुझाव देने के सिवाय और क्या कर सकता है ? और वे कानूनी उपाय पहले ही सभा के विचाराधीन हैं। अब यह निर्णय करना सभा का काम है कि सरकार को कितनी शक्तियां दी जायें जिससे इन प्रवृत्तियों को रोका जा सकता है।

एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस में दो ग्रुप हैं—एक उप-प्रधान मन्त्री के पक्ष में तथा दूसरा प्रधान मंत्री का समर्थक--और प्रधान मंत्री के आग्रह पर कुछ कांग्रेस सदस्यों ने यह आरोप लगाये हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि श्री चन्द्रशेखर बहुत सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं और वह चाहते थे कि एक गलत कार्य को ठीक किया जाये। वह किसी के आग्रह पर यह मामला सभा के समक्ष नहीं लाये। इस प्रकार के आरोपों में कोई सार नहीं है। हां, मतभेद तो प्रत्येक राजनीतिक दल में होते हैं। इसी प्रकार इस तर्क में भी कोई सार नहीं कि श्री बिड़ला श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रधान मंत्री बनाने चाहते थे, इसीलिये सरकार उनके साथ रियायत करती है। हमने जांच आयोग की माँग को अस्वीकार करने का जो निर्णय किया है, वह पूरी सरकार का निर्णय है, मंत्रिमंडल के किसी सदस्य विशेष का नही। यह निर्णय हमने सोच समझकर और निष्पक्ष रूप से लिया है। हमने यह निर्णय इसलिए किया क्यों कि जांच आयोग की नियुक्ति इस मामले में विलम्ब होगा। अतः यह निर्णय किसी के प्रभाव में आकर नहीं किया गया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the Chair]

हाल में ही श्री मुकर्जी ने डोडसाल के मामले का उल्लेख किया था। डोडसाल के मामले का श्री बिड़ला के साथ क्या सम्बन्ध है ? श्री चन्दशेखर के ज्ञापन के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने उप-प्रधान मंत्री पर 'कैमीकल्स' के बारे में आरोप लगाये थे। परन्तु इस बात को गुप्त नहीं रखा कि उन्होंने उस कम्पनी में धनराशि जमा नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि उस कम्पनी में धन राशि जमा करवाने में कोई गलती नहीं है। इसका बिड़ला बन्धुओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं। अतः इस प्रकार के बार-बार आरोप लगाने का कोई अर्थ

नहीं है। बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध बहुत से मामले हैं, अत जाँच आयोग की नियुक्ति से कोई लाभ नहीं हो सकता है, फिर जांच आरोप की नियुक्ति से केवल विलम्ब होगा।

दुर्भाग्य से इस सम्बन्ध में नियुक्त अधिकारी श्री गोपालन के विरुद्ध कुछ बातें कही गई है। इस तर्क का कोई आधार नहीं कि उसका सम्बन्ध श्री बिड़ला से है। यदि अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी भावनाएं रखी जायेंगी तो जांच आदि के लिये हम किन को मामले भेज सकते है। यदि कोई अधिकारी गलती करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में हमें कोई संकोच नहीं है। माननीय सदस्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए जिससे स्थिति को सुधारने में सहायता मिल सके।

यदि दत्त समिति अथवा अन्य समिति ने लाइसेंस समिति के कार्य संचालन में सुधार करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये तो हम उन पर विचार करने के लिये तैयार है हम उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही उनका प्रतिवेदन प्राप्त होगा, हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : क्या माननीय मन्त्री इस बारे में प्रकाश डालेंगे कि सरकार न्यायालय में अनेक मुकदमें हार गई है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इन मामलों का उल्लेख करना माननीय सदस्य के लिए वांछनीय नहीं है क्योंकि इनमें से अनेक मुकदमों में निर्णय दिया जा चुका है। अनेक मामलों में अपील भी की गई है। कई मामलों का निपटान तकनीकी अधारों पर किया गया है। अतः माननीय सदस्य के लिए उनका उल्लेख करना वांछनीय नहीं है।

श्री विश्व नाथ मेनन : इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूँ।

मैं किसी मन्त्री विशेष के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं ने तो आरम्भ में ही यह कहा था कि इस के लिए समूचा मंत्रिमण्डल ही जिम्मेदार है। सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से यह पता लगता है कि बिड़ला बन्धुओं की अरिन्तयां 1963-64 से 1966-67 के बीच 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 500 करोड़ रुपये की हो गई है। इस समय देश आपात की स्थिति थी और बिड़ला बन्धु जनता को लूट रहे थे। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं की। माननीय मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बिड़ला बन्धुओं ने बहुत रुपया जमा किया है।

मैं माननीय मन्त्री यह पूछना चाहता हूँ कि वह खुली जांच करने से क्यों हिचकचाते हैं। मेरा आरोप यह है कि बिड़ला बन्धुओं का न केवल कुछ संसद सदस्यों पर बल्कि मंत्रिमण्डल के कुछ मंत्रियों पर भी प्रभाव है। अतः मेरा कहना यह है कि सभी तथ्य सभा के समक्ष रखे जाने चाहिए। माननीय मन्त्री शायद इस कारण बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध खुली जाँच नहीं कराना चाहते क्योंकि वे कांग्रेस को दान देते हैं। सरकार ने सरदार प्रताप सिंह कैरो तथा बख्शी गुलाम मुहम्मद के विरुद्ध जांच आयोग स्थापित किए थे तो वह बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध जांच करने

हेतु आयोग स्थापित क्यों नहीं करती। मुझे किसी के तर्कों में कोई रुचि नहीं है मैं लोक कल्याण में ही रुचि रखता हूं। अतः इसी लिए मैं ने अपने पहले भाषण में यह कहा था कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। यह प्रश्न दल गत हितों से उपर है। मेरे तर्कों का उत्तर देने के बजाये माननीय मंत्री ने श्री मधु लिमये के तर्कों तथा कांग्रेस पार्टी की आन्तरिक गुटबन्दी का उल्लेख किया है।

श्री लोबो प्रभु ने सभा में यह प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया था कि बिड़ला बन्धुओं ने अनेक लोगों को नौकरियां दी हैं। परन्तु मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इस बारे में डा० मेलमकोटे पहले ही बता चुके हैं। अतः इस बात को मैं पुनः नहीं उठाना चाहता।

केरल सरकार तथा श्री नम्बूदरीपाद के विरुद्ध आरोप लगाया गया था। मेरा निवेदन यह है कि बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस केन्द्रीय सरकार देती है। केरल में लोग बेरोजगार हैं। अतः जो कुछ केरल सरकार ने किया है इसके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। केरल सरकार ने बिड़ला बन्धुओं को केवल बसों के लिए पट्टा दिया है जिनकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। इस मामले पर भी मैं जांच करने के लिए तैयार हूं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : लाइसेंस देने के मामलों में हम राज्य सरकारों से भी राय लेते हैं। इस विशेष मामले में बिड़ला फर्म को लाइसैंस देने के लिए श्री नम्बूदरीपाद ने हमें पत्र लिखा था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़) : माननीय मन्त्री ने पहले यह कहा था कि लाइसैंस देने सम्बन्धी समिति किसी की सिफारिश के बिना निर्णय लेती है। परन्तु अब वह कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने उनसे सिफारिश की थी

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस समिति द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश सहित सभी मामलों पर विचार किया जाता है।

श्री विश्वनाथ मेनन : मैं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। क्या सरकार इन सब बातों के लिए जांच आयोग नियुक्त करने को तैयार है। केरल में बहुत अधिक बेरोजगारी थी इसीलिए ऐसा किया गया था। यदि केन्द्रीय सरकार केरल सरकार को सरकारी क्षेत्र में कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस देती तो केरल सरकार स्वयं कारखाना लगाती। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने गैर-सरकारी पार्टी को कारखाना लगाने का लाइसेंस दे दिया। यह मेरी शिकायत है।

केरल सरकार की लाइसैंस सम्बन्धी गलत नीति के कारण ही बिड़ला बन्धुओं ने गत तीन चार वर्षों में 300 करोड़ रुपया जमा कर लिया है।

श्री भुपेश गुप्ता ने राज्य सभा में यह मामला उठाया था और वह आरोप लगाया था कि चार मंत्री बिड़ला बन्धुओं से वेतन लेते हैं।

मेरी जानकारी यह है कि कांग्रेस को फरीदाबाद सभा में श्री मोरारजी देसाई आयोग का सामना करने को तैयार थे परन्तु प्रधान मन्त्री ने ऐसा नहीं करने दिया इसलिए ही मैं कहता

हैं कि समूचा मंत्रिमण्डल इसके लिए जिम्मेदार है । यदि आवश्यक हो तो बिड़ला बन्धुओं द्वारा जमा की गई सम्पति को जब्त किया जाना चाहिए ।

मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार जांच करायेगी । उन्होंने मुकदमों के बारे में कुछ नहीं किया है । हम जानते हैं कि इन मुकदमों को किस प्रकार चलाया जाता है । यही कारण है कि सरकार ये मुकदमें हार गई है । अब वह कह रहे है कि उन्होंने अपीलें की हैं परन्तु मेरा निवेदन यह है कि बिड़ला बंधुओं का देश में बहुत प्रभाव है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार खुली जांच कराये ।

मैं अपने संकल्प को वापस नहीं लूंगा ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य ने लाइसैंसों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है मेरा निवेदन है कि हम ने ये सभी मामले दत्त समिति को सौंप दिए हैं प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही कहा लगेगा कि ठीक स्थिति क्या है और इसके बाद ही निर्णय किया जायेगा कि हमने क्या कार्यवाही करनी है ।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : When the report of the Dutt Committee will be received ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जून तक ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

THE AMENDMENT WAS PUT AND NEGATIVED

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों के विरुद्ध बहुत जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा, जिनमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, लगाये गए आरोपों की गम्भीरता की दृष्टि से इस सभा की राय है कि उन आरोपों की जांच करने और उचित कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए एक उच्च शक्ति आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए ।

संकल्प अस्वीकार हुआ

The resolution was negatived.

निजी थैलियों को समाप्त किये जाने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : ABOLITION OF PRIVY PURSES

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, I move :

"This House is of opinion that the continuation of late-free payment of privy purses to the farmer rulers of Indian States and of special privileges is against the democratic and egalitarian principles enshriend in the Constitution, and therefore, recommends to the Government to take all necessary steps, both executive and legislative, to complete the abolition of these payments, subject to an outright rehabilitation lum-sum payment of seven times the annual privy purse amount at a sum of one million rupee, whichever is smaller, by the 2nd October, 1969."

I am not in favour of any legal discussion on this question. This is a question of principle and human and democratic values. It should be considered in this aspect.

So far as the question of the role of these farmer rulers during the freedom struggle is concerned I may say that most of the rulers committed atrocities on the public to suppress their demand of freedom. Most of the rulers sided with the Britishers. In this connection I may quote that in 1938 the people of the Denkamal Stata rose against the then ruler. The 'goondas' of the ruler committed so much atrocities that they raped the women of the villagers. At that time Mahatma Gandhi sent Makhan Baba there.

Therefore, I say that the payment of privy purses and other privileges to these rulers is against the spirit of our democracy.

Generally it is said that Sardar Patel promised the payment of these privy purses to the former rulers and if now these are abolished it will be a breach of that promise. In this connection I want to quote a portion of Sardar Patel's speech in which he stated that the so-called lapse of paramountly was a part of the plan announced on June 3, 1947 which was accepted by the Congress. We agreed to this agreement with same manner as we agreed to the partition of India. We accepted it because we had no option to act otherwise. So it will be seen that Sardar Patel accepted this arrangement because there was no other alternative at that time.

Some people say that the States were sovereign. In this connection I may quote from the letter of Lord Reeding which we wrote to Nizams. The Lord stated that "the sovereignity of the British Crown is of Supreme in India, and therefore, no ruler of an Indian States can justifiably claim to negotiate with the British Government on an equal footing. Its supremacy is not bared only upon treaties and engagements." So the above argument of some hon. Members that these States were sovereign does not bold good.

In addition to the privy purses they have been given many other privileges such as free medical attendance in Government hospitals, armed palace guards, escorts for rulers and their families, freedom to fly their own flags on residences, cars and aeroplanes, exemption under Indian Arms Act, 1959, exemption both from Income-tax and Super-tax. The States have also been advised that in the event of house-tax being levied as in extended to the areas formerly constituting the States, the main residential palaces of the Rulers should be exempted from the tax.

Further more they enjoy position of a Ruler of a foreign State under section 85 and of sub-section (1) and (3) of section 86 of the Civil Procedure Code. They have also been given some concessions under Criminal procedure Code.

Shri Gajindra Gadkar the former Chief Justice of India said that the agreements made with the Rulers of the Indian States may, no doubt, have to be accepted and the assurances given to them may have to be observed but if considered broadly in the light of the basic principle of the equality before law it seems somewhat add their section 87(B) should continue to operate for all time. This question should be considered afresh.

During the last 20 or 22 years Government have not provided even basic facilities to the people Government have failed to fulfil its obligations under the directive principles of this Consitution. Government made so many other promises to the people which they have never fulfilled.

In this connection Mr. Kupland, once said that 'No compact can endure when owing to the evolution of ideas it has ceased to square with general conceptions of right and wrong. And certainly things no longer stand in India as they stood when most of the treaties were made."

Therefore. I may say that we can alter these agreements which were made with these rulers according to the changed circumstances. I want to remind Shri Chavan said two years ago that the special privileges of the ex-rulers will be done away with as a first step. But nothing has been done in this connection so far. Government has also not taken any action for abolishing the privy purses because many ex-rulers are member of Congress Party or even member of the Cabinet. But I want to request that we are celeberating Gandhi Centenary Year and therefore, this is the best time when we can take steps for abolishing the privy purses of the ex-rulers.

I appeal to the Members to support the resolution and get it passed with thumping majority.

श्री श्रद्धाकार सुपाकर (सम्बलपुर) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : मैं संशोधन संख्या 2,3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रणजीत सिंह : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रताप सिंह (शिमला) : मैं संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ;

श्री शिवनारायण (बस्ती) : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं संशोधन संख्या1 0 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के लिए डेढ़ घंटे का समय दिया गया है। परन्तु आज इसके लिए केवल एक घंटे का समय ही दिया जा सकता है क्योंकि डा० रानेन सेन अपना संकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं। अत: इस चर्चा को मान्य भी किया जा सकता है।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : जहां तक संकल्प में निहित सिद्धान्त का सम्बन्ध है मेरे विचार में इससे समूची सभा सहमत है। कांग्रेस दल भी इससे सहमत है परन्तु अब प्रश्न यह है कि इस सिद्धान्त को कब तथा किस तरीके से क्रियान्वित किया जाना है। मेरे विचार में संकल्प से हम संविधान में संशोधन कर इन निजी थैलियों को समाप्त नहीं कर सकते। इस बात के लिए कि इन विशेषाधिकारों को संविधान में किस प्रकार दर्ज किया गया था हमें पुराने इतिहास को देखना है। विभाजन के समय हमारे देश को अनेक समस्याओं का सामना था। पहली समस्या देश की कता को बनाये रखने की थी। दूसरी स्थायी सरकार बनाये रखने की। उस समय देश में 600 से अधिक रियासतें थी। अंग्रेजों के जाने के बाद नरेशों को भारत संघ में शामिल होने अथवा न होने का विकल्प था। सरदार पटेल द्वारा दृढ़ कार्यवाही किये जाने तथा नरेशों को उचित प्रतिकर दिये जाने से भारत की एकता को बनाये रखा गया। सभी नरेशों ने अपनी रियासतों का भारत में विलय कर दिया।

अब प्रश्न यह है कि क्या केवल मात्र संकल्प को माप करके हम इस करार को भंग कर सकते हैं ? क्या हमें उस करार को कुछ मान्यता देनी चाहिए अथवा नहीं ? उस समय यह समझा गया था कि इस करार को संविधान में भी मान्यता दी जानी चाहिए।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) ; हैदराबाद का भारत में विलय नहीं हुआ था बल्कि उस पर हमें विजय प्राप्त करनी पड़ी थी। वह इस करार के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री रा० ढो० भण्डारे : मेरे माननीय मित्र एक बेकार का प्रश्न उठा रहे हैं। हमारा इस समय हैदराबाद अथवा निजाम से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों के बारे में विचार करते समय हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। प्रथम प्रवेशन अधिनियम द्वितीय समझौता तथा तृतीय संवैधानिक व्यवस्था। अब हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि क्या हमें, एक साधारण संकल्प द्वारा परम्पराओं और संवैधानिक उपबन्धों को छोड़ देना चाहिये। मैं समझता हूँ कि भूतपूर्व शासक भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि लोकतन्त्र में कोई भी व्यक्ति विशेष व्यवहार का अधिकार नहीं रह सकता। लोकतन्त्र में सबके साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है। यह सच है कि देश भक्ति से प्रेरित हो कर भूतपूर्व शासकों ने संघ में मिलना स्वीकार किया था। भूतपूर्व महाराजा बीकानेर ने दृढ़ निर्णय लेकर अन्य शासकों को सही रास्ता दिखाया था जिसके परिणाम स्वरूप भारत के सभी राज्यों का संघ में विलय संभव हुआ। विलय का संविधान में उल्लेख किया गया है। इस समझौते को संविधान का अंग बनाया हुआ है।

अतः मेरा सुझाव है कि संकल्प के प्रस्तावक माननीय सदस्य संकल्प को वापस ले लें क्योंकि उचित समय पर संविधान में इस आशय का संशोधन किया जा सकता है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : संकल्प के प्रस्तावक ने स्वतन्त्रतापूर्व उड़ीसा के कुछ राज्यों में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में असंगत मामलों का उल्लेख किया है।

मैं संविधान सभा का सदस्य था जिसने समतावाद और लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों के आधार पर संविधान का गठन किया था। किन्तु इसके साथ ही भूतपूर्व शासकों के लिये निजी थैलियों का उपबन्ध किया। यह ठीक है कि संविधान की प्रस्तावना में रुतबे और अवसर की समानता निहित है। किन्तु उसमें आर्थिक समानता का सिद्धान्त निहित नहीं है। महत्वपूर्ण बात सामाजिक न्याय की है और समानता और सामाजिक न्याय में बड़ा अन्तर है।

जैसा कि श्री भण्डारे ने कहा निजी थैलियां एक पक्षीय रूप से दी गई रियायतें नहीं हैं, ये द्विपक्षीय समझौते थे। महाराजाओं ने अपनी प्रभुसत्ता, अपने राज्य, अपने विशेषाधिकार, अपने महल और इमारतें बहुत कुछ दिया और इनके बदले में जो निजी थैलियाँ दी गईं। यदि उनको देखा जाये तो वे कुछ भी नहीं हैं। उनको दिया गया यह मुआवजा लोकतन्त्र के बिल्कुल अनुकूल हैं। केवल सम्पत्ति हरण ही अलोकतन्त्रात्मक है।

राजाओं ने भारतीय संघ को भारतीय डोमिनियन का 48 प्रतिशत क्षेत्र और 28 प्रतिशत जन संख्या दी और बदले में उनको तुच्छ निजी थैलियां और ये विशेषाधिकार मिले। इस मुआवजे को न देना लोकतन्त्र का उल्लंघन होगा। यह नहीं हो सकता कि लोग संविधान के एक भाग में तो विश्वास करें किन्तु दूसरे भाग में विश्वास न करें। सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा था कि जिस रूप में भूतपूर्व शासकों को भारत के नये संविधान में मान्यता दी गई हैं, राज्य के लोकतन्त्रात्मक ढांचे को उससे किसी भी तरह हानि नही पहुंचती है।

कांग्रेस कार्यकारिणी के जून 1967 के प्रस्ताव में यह कहा गया था कि निजी थैलियां लोकतन्त्र के अनुकूल हैं किन्तु छोटे विशेषाधिकार असंगत हैं। वास्तविक प्रश्न नैतिकता का है। क्या सत्यनिष्ठा से किये गये वायदों को तोड़ना उचित है? क्या उन सन्धियों को तोड़ना उचित है जिस पर देश स्वतन्त्र रूप से हस्ताक्षर करता है?

इस संकल्प के प्रस्तावक ने सुझाव दिया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर हमें इस विश्वासघात का दोषी बनना चाहिये। महात्मा गांधी सत्य और दिये हुए वचन को सबसे अधिक महत्व देते थे। मैं माननीय मंत्री का ध्यान भारतीय दण्ड संहिता को धारा 415 की ओर दिलाता हूं। यह धोखा देने से सम्बन्धित है और इसके लिये जेल का दण्ड निर्धारित है। उनके पूर्वाधिकारी द्वारा किये गये समझौते को तोड़ने का कोई भी प्रयत्न धोखा देने के समान है। मैं माननीय गृह मंत्री से अपील करूंगा कि वह अपने प्रति और जिनके लिये वह बोल रहे हैं उनके प्रति सम्मान का ख्याल करें।

फिर, यह सोचिये कि सरकार और संविधान में लोगों का जो विश्वास है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। यदि संविधान के एक भाग का उल्लंघन किया जा सकता है, तो मूल अधिकारों का क्या होगा? विदेशों में देश की साख पर क्या असर पड़ेगा? यदि माननीय मंत्री इस गलत सिद्धान्त को स्वीकार कर लेंगे तो वह अपने प्रति, अपने दल के प्रति तथा देश के प्रति घोर अन्याय करेंगे।

अतः हम इस संकल्प के सिद्धान्तों तथा शर्तों, दोनों का विरोध करते हैं।

श्री एस० कन्डप्पन (मंटूर): मैं श्री रवी राय द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने इस सभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को वचन दिया था कि निजी थैलियां समाप्त करने के बारे में उसे अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया है। मुझे संदेह है कि सरकार पर दबाव डाला जा रहा है और वह अपने दिये हुए वचन को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। 1967 के चुनावों के पश्चात इस प्रश्न पर यहां जब भी चर्चा हुई श्री चव्हाण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह निजी थैलियों को समाप्त करने के पक्ष में हैं।

4 जुलाई, 1968 के हिन्दू में यह समाचार आया था कि "सरकार ने निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है। जबकि विशेषाधिकारों को तुरन्त समाप्त किया जायेगा, निजी थैलियों की राशि स्लैब पद्धति के अनुसार 20 या 25 वर्ष की निर्धारित अवधि के लिये दी जायेंगी ताकि इसकी समाप्ति से अनुचित वित्तीय कठिनाइयां न हों। किन्तु आज तक इस रूप में अपने वचन को पूरा नहीं किया है।

किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिये एक गरीब देश की सरकार से अनार्जित आय की आशा करना उचित नहीं है। वास्तव में उन्हें स्वेच्छा से आगे आकर निजी थैलियों का त्याग करना चाहिये। किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया है।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा (आनन्द): मैंने 1948 में इसे त्याग दिया था।

श्री एस० कन्डप्पन: दूसरों को भी ऐसा करना चाहिए था। श्री मसानी ने सरदार पटेल को उद्धरित करते हुए कहा कुछ राज्यों में लोग राजाओं को पुनः बहाल करना चाहते हैं। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि 600 राज्यों में से कितने राज्यों में लोगों का भूतपूर्व राजाओं के साथ इतना लगाव और स्नेह है कि वे भारतीय राष्ट्र में मिलने को तैयार नहीं हैं। जहां तक मुझे पता है अधिकांश राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो चुकी थी और यह व्यवस्था करके राष्ट्रीय नेताओं ने उन्हें बचाया;

हमारा देश एक लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र में राज्य की सम्पत्ति पर सभी लोगों का अधिकार होता है न कि केवल शाही परिवारों का। क्या भारत सरकार के साथ यह करार करते समय राजाओं ने लोगों की मर्जी को कोई महत्व नहीं दिया था।

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए]

[Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

यदि आप यह मानते हैं कि यह सार्वजनिक सम्पत्ति थी, तो निजी थैलियां स्वीकार करने से पहले क्या आपने जनता से परामर्श किया था ? अतः यह तर्क, कि यह करार बड़ी सत्यनिष्ठा से किया गया था और इसलिये हमें इसका पालन करना चाहिए, मानने योग्य नहीं लगता।

इसके अतिरिक्त इस तथाकथित करार को किये 20 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया है अब परिस्थितियां बदल गई है। लोकतन्त्र में क्या बदली हुई परिस्थितियों में भी इस करार का आदर किया जाना चाहिये ? अतः इसके बारे में पवित्रता की कोई बात नहीं है।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और गृह मंत्री श्री चव्हाण से आशा करता हूँ कि वह शीघ्र इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाकर अपने वचन को पूरा करेंगे।

दिल्ली पुलिस आयोग का प्रतिवेदन*

DELHI POLICE COMMISSION'S REPORT**

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The present police set-up of the Country has not registered any change since the Britishers left this country. The Police pattern during the British regiune was motivated by the sole objective of quetting and crushing our freedom struggle. But all our hopes, that after this advent of freedom Government would give more facilities to the police personnel to enable them to land their active Corporation in the native building programmes, have been belied. Even today, police Constable is getting a pay scale of Rs. 75.95. They are living in appolling conditions and do not have benefit of medical and educational facilities.

Discontent went on simmering among the ranks and sites of the Police because the Government remained aporthetic to their demands from 1947 to 1966. With a view to give went to their pent up grievances they formed their unions in Delhi and other states. It is lamentable that this Congress Government is making the police the instrument of putting down labour and peasants movements.

Discontent was setting among the Delhi Policemen even before the formation of the Delhi Police Union. This compalled the Government to appoint the Khoshla Commission on 5.11 66, to go into their grievances. One of the main recommendations of that report is that the total emoluments of an ordinary Constable on his appointment should be Rs. 228.50. But, evidently, this recommendation has not been implemented.

Although the Union is duly constituted under Article 19 of the constitution and recognition has been given to it, but it is ironical that a number of inhibitions have been imposed upon it. The surging discontent among the Delhi Policemen Culminated in their meeting with the Home Minister in April, 1967. On the day provious to their meeting their

*आधे घन्टे की चर्चा

**Half an hour discussion.

officers had been dismissed. The Home Minister threatend them of dire consequence. On the same day at 3.30 about 1000 policemen were arrested and buils were not accepted even 45 days after the arrest. 600 temporary employees, 500 of when were Harijan were dismissed.

Most of the suspended policemen are facing prosecution and they are being harassed. Many hon. Members had written to the hon. Home Minister in this regard urging him to give sympathetic consideration to their demands, to withdrawn suspension order and the dismissal orders, but the hon. Minister did not Condecend even to send a reply to those letters.

Now I want to put a few questions to the hon. Minister. In the first place may I know the reasons for the invidious discrimination being made against the police personnel vis-a-vis the Central Government employees ?

Secondly, Do Government propose to withdraw all the termination and suspension orders as also the legal proceedings against the employees with a view to end the discontent among the Delhi Police personnel and restore normaly ?

Thirdly, what recommendation of the Commission have been accepted in respect of pay, housing, medical and educational facilities for the children of the Police personnel ?

Finally, Do Government propose to solve this pungle by conciliating with the non-Gazetted Delhi Police Employees Union ?

डा० रानेन सेन (बारसाट) : पुलिस कर्मचारियों द्वारा किये गये आन्दोलन से यह स्पष्ट है कि सरकार ने उनके प्राथमिक अधिकार भी नहीं दे रखे हैं। पुलिस आयोग के प्रतिवेदन में यह दिया गया है कि जबकि स्वतन्त्रता पूर्व सशस्त्र पुलिस केवल 10 से 15 प्रतिशत होती थी अब यह कुल पुलिस बल की 50 प्रतिशत हैं। इससे विदित होता है कि विरुद्ध एक सशस्त्र बल के रूप में तैयार किया जा रहा है। किन्तु इन लोगों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि यदि वर्तमान स्थिति को बिल्कुल समाप्त करना है तो दिल्ली पुलिस के लिये पर्याप्त वेतन क्रमों का उपबन्ध करना होगा। क्या सरकार ने वेतन, सेवा की शर्तों आवास की स्थिति, चिकित्सीय सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

Shri Sita Ram Kesari (Katihar) : I fully endorse the views of Shri Ramavtar Shastri that the police personnel are exposed to the vagaries of weather, whether it be rainy night on the chilly night or the sweltering heat of June, they must stick to their posts unflindingly. While I agree to the suggestion that their legtimate demands should be met, I have my own misgivings whether the guardians of law and order will be able to discharge their functions properly if they revolt against the administration.

May I know of the hon. Minister the recommendations on which a decision has been taken as also those which are proposed to be implemented and whether the recommendation in respect of housing facilities to the pollce personnel is proposed to be implamented ?

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : उनके साथ किये गये घोर अन्याय और दुर्व्यवहार के विरुद्ध उनके संघर्ष को विद्रोह कहना सरासर गलत है। यदि हम इस प्रकार के गलत अनुमान लगाते रहेंगे तो मुझे भय है कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जायेंगी और फिर स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी। उनकी उचित शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस को दमन के लिए प्रयोग किया जाता था और आज कांग्रेस के शासन में इसे मजबूर

संघों और विरोधी दलों के दमन के लिये प्रयोग किया जाता है। उनके साथ नौकीदारों और घरेलू नौकरों जैसा सलूक किया जाता है। खोसला आयोग ने अपने प्रतिवेदन में पुलिस कर्मचारियों के वेतनक्रमों में वृद्धि करने के लिए जोरदार शब्दों में सिफारिश की है। सारे भारत का दौरा करने के पश्चात आयोग ने देखा कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों की पुलिस की अपेक्षा दिल्ली पुलिस की हालत अपेक्षाकृत अधिक खराब है।

लगभग 3000 आपराधिक मामले इन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किये गये हैं; 900 व्यक्तियों को मुअत्तल किया गया है, 74 व्यक्तियों को बरखास्त किया गया है। सितम्बर हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के साथ सरकार ने कुछ उदारता दिखाई है। सरकार को वही रवैया यहां भी अपनाना चाहिये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर समझ में नहीं आता कि सरकार इस मान्यता प्राप्त निकाय से बातचीत क्यों नहीं करना चाहती। सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ भिन्न बर्ताव किया है। आखिर पुलिस कर्मचारी भी उसी व्यवस्था के अंग हैं। खोसला आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के एक बहुत बड़े बहुमत को अनुशासन में रखा जा सकता है यदि उनके साथ सूझबूझ के साथ काम लिया जाये।

मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार खोसला आयोग की सिफारिश को कब तक क्रियान्वित करेगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : May I know why recruitment of Haryana people has been stopped to the Delhi Police since it fantamounts to a discrimination between a man and a man which is in contravention of the provisions of the constitution ?

Secondly, why differential treatment is being met out to the Delhi Police personnel vis-a-vis the Government employees ?

श्री नम्बियार : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता...(**व्यवधान**)। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा...(**व्यवधान**)।

* * * *

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री श्रीचन्द गोयल ने एक दस्तावेज का हवाला किया है। मैं चाहता हूँ कि उस दस्तावेज को सभा पटल पर रख दिया जाये...

सभापति महोदय : श्री स० मो० बनर्जी का एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : **

सभापति महोदय : बस एक सार्वजनिक दस्तावेज है और प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है।

** सभा के कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

** Not recorded.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं खोसला आयोग के प्रतिवेदन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं श्री स० कुण्डू द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेज का जिक्र कर रहा हूं। यह दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ का ज्ञापनपत्र है जिस पर खोसला आयोग की टिप्पणियां हैं। मैं अपील...

सभापति महोदय : आधे घन्टे की चर्चा के दौरान ज्ञापनपत्र को सभापटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी आप इसे सभापटल पर दे दीजिए। मैं इस पर विचार करूंगा कि क्या आधे घन्टे की चर्चा के समय ऐसा किया जा सकता है।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): The Khosla Commisslon submitted an Interim Report on pay and allowances and housing of Delhi Police personnel. The recommendations contained in that report were immediately attended to and 70-80 lakhs of rupees were spent on police housing facilities. The Housing Scheme is going on according to a phased programme. Similarly, necessary orders had been issued in regard to pay and allownces. A tabular statement in this regard is being compiled and it will be laid on the Table of the House.

As regards their prosecution, that is a delicate question and requires serious cogitation. It is true that we deat with the Central Government employees in a most liberal way, but we did not extend the same generosity to the police personnel. Here we must not forget that the Central Governmet employees and the Police personnel have to function under different disciplines. The latter are the guardians of law and order and hence we can illafford to brook any indiscipline on their part. They connot be equated with the former catagory of employees. We agree that their grievances should be redressed and it is only with this end in view that the Khosla Commission had been appointed. We are also accepting the recommendations of that Commission. I must make it clear to the hon. Members that the prosecution proceedings against the police personnel for breach of discipline will not be withdrawn under any circumstances. If at the conclusion of the prosecution proceedings they are discharged or acquited, we shall see how best to reinstate them.

Political pressure was brought to bear upon the innocent people who were misled by the politicians and this fact is borne by the Commissions report. I am assure that if there is no interferance by the politicians in Police matters, many problems can be solved on merits and justice dispensed with.

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना देनी है : 'कि राज्य सभा को विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1969, लोक सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 12 मई, 1969/22 वैसाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 12th May, 1969/ Vaisakha 22, 1891 (Saka)

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6।